लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF

3rd LOK SABHA DEBATES

[पन्द्रहवां सत्र]

Fifteenth Session

[खंड 57 में अंक 1 से 10 तक हैं]
[Vol. LVII contains Nos. 1—10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English Hindi.]

विषय सूची/CONTENTS

अंक 7—मंगलवार, 2 अगस्त, 1966/11 श्रावण, 1888 (शक)

No. 7—Tuesday, August 2, 1966/Sravana 11, 1888 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर — ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. No.	विषय SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
180.	बैल्जियम से सहायता — Aid from Belgium	1—3
181.	वनस्पति का तस्कर व्यापार — Smuggling of Vanaspati	3—6
182.	उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के चुनावों के लिये सरकारी शासन तंत्र का प्रयोग — Use of Government Machinery for Elections to U.P. Legislative Council	6—10
183.	कृषि ऋण निगम — Agricultural Credit Corporations	10—12
184.	उपभोक्ता सहकारी भण्डार — Consumer Co-operative Stores	12—16
185.	सघन कृषि जिला कार्यक्रम — Intensive Agricultural Districts Programme	16—20

अल्प सूचना प्रश्न संख्या	S. N. Q. No.	
1.	द्वितीय "शिपयार्ड" कोचीन — Second Shipyard, Cochin	

प्रश्नों के लिखित उत्तर — WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. No.		
186.	चूहों और कीड़ों के कारण अनाज की बरबादी — Destruction of Foodgrains by rats and Pests	20–21
187.	कृषकों को ऋण — Loans to Agriculturists	21
188.	उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में राशन व्यवस्था — Rationing in Urban Centres of U.P.	22
189.	अनाज के मूल्यों में वृद्धि — Rise in Prices of Foodgrains	22
190.	गन्ने की जल्दी तथा देरी से पकने वाली किस्में — Early and late ripening Varieties of Sugarcane	23
191.	फार्म ऋण — Farm Credit	23

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
192.	आपातिक खाद्य उत्पादन कार्यक्रम	Emergent Food Production Programme	24
193.	गन्ने की पेराई	Crusing of Sugarcane . .	25
194.	खाद्यान्नों का उत्पादन	Production of Foodgrains . .	25
195.	अमरीका से खाद्यान्न का आयात	Import of Foodgrains from U.S.A.	26
196.	अनाज का रक्षित भंडार	Buffer Stocks of Foodgrains . .	26
197.	पालम हवाई अड्डे पर चिकित्सा सुविधायें	Medical Facilities at Palam Airport	26–27
198.	महाराष्ट्र में भूख से मृत्यु	Starvation Deaths in Maharashtra	27–28
199.	बम्बई के लिये सहायक पत्तन	Satellite Port for Bombay .	28–29
200.	हल्दिया पत्तन परियोजना	Haldia Port Project	29–30
201.	सड़क पर माल ढोने वाले ट्रक आदि वाहनों का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Goods Road Transport	30–31
202.	पश्चिम बंगाल को चावल की सप्लाई	Supply of Rice to West Bengal	31
203.	कलकत्ता पत्तन में पत्तन शुल्क	Port Charges in Calcutta Port	31–32
204.	विमान दुर्घटनायें	Air Accidents . .	32
205.	रूस द्वारा पशुओं का अस्वीकार किया जाना	Rejection of Cattle by U.S.S.R. . .	32–33
206.	सोयाबीन के तेल का मूल्य	Prices of Soya Bean Oil	33
207.	परादीप पत्तन	Pradeep Port	33–34
208.	राजस्थान के रेगिस्तान को बढ़ने से रोकना	Control of Rajasthan Desert . . .	34
209.	हिन्द महासागर के संसाधनों का अध्ययन	Study of Indian Ocean's Resources . .	34–35

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.			
902.	उत्पादन लागत	Cost of Production	35
903.	गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के केन्द्र	Deep Sea Fishing Centres . . .	35

अता० प्रश्न संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
904.	केरल में भमि का वर्गीकरण	Classification of Lands in Kerala . .	36
905.	बडागरा–वयनाड़ सड़क	Badagara-Waynad Road . . .	36
906.	केन्द्रीय नारियल अनुसन्धान संस्था	Central Coconut Research Institute .	36–37
907.	अन्तर्राज्यीय सड़कें	Inter-State Roads	37
908.	चित्तूर के चीनी मिल को गन्ने का संभरण	Supply of Sugarcane to Sugar Mill at Chittur	37–38
909.	एर्णाकुलम-कुन्नमकुलम सड़क	Ernakulam-Kunnamkulan Road . .	38
910.	नायलान के जाल बनाने वाला कारखाना	Nylon Net Manufacturing Factory .	38
911.	गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की नावें (ट्रॉलर्स)	Trawlers for Deep-Sea Fishing . .	39
912.	पशुधन का विकास	Cattle Development	39
913.	नेफा में सहकारी क्षेत्र का विकास	Development of Cooperatives in NEFA .	39–40
914.	गन्ने की खेती	Cultivation of Sugarcane . . .	40
915.	हसनपुर के चीनी कारखाने द्वारा गन्ने के मूल्य का भुगतान न किया जाना	Non-Payment of Sugarcane price by Hasanpur Sugar Factory	40–41
916.	पूर्वी पाकिस्तान को चीनी का चोरी छिपे ले जाया जाना	Smuggling of Sugar into East Pakistan .	41
917.	सोनीपत में भूचाल के झटक	Tremors in Sonepat	41–42
918.	केरल को चावल का संभरण	Rice Supply to Kerala	42
919.	विशेष विवाह अधिनियम	Special Marriage Act	42
920.	मध्य प्रदेश में चीनी मिलें	Sugar Mills in Madhya Pradesh . .	42–43
921.	थोक उपभोक्ता सहकारी भण्डार, दिल्ली (होलसेल कज्यूमर्स को-आपरेटिव स्टोर्स, दिल्ली)	Wholesale Consumer's Cooperative Stores, Delhi	43

अता० प्रश्न संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
922.	गोहत्या के विरोध में भग्न हड़ताल	Hunger Strike Against Cow-Slaughter .	43-44
923.	छोटी गंडक पर पुल	Bridge over Choti Gandak . . .	44
924.	गन्ने का मूल्य	Price of Sugarcane	44
925.	फरवरी, 1966 में पालम हवाई अड्डे पर इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के केरेवल विमान की दुर्घटना	Crash of I.A.C. Caravelle at Palam Airport in February, 1966	45
926.	स्कूटरों के लिये किराये के मीटर	Fare Meters for Scooters . . .	45
927.	दिल्ली में सहकारी खेती	Cooperative Farming in Delhi . . .	45-46
928.	दिल्ली में उपभोक्ता सहकारी भण्डार	Consumers Cooperative Stores in Delhi .	46
929.	बीकानेर में दिल्ली दुग्ध योजना की नई दुग्धशाला	New Dairy of Delhi Milk Scheme at Bikaner	46
930.	कानूनी तौर पर राशन व्यवस्था	Statutory Rationing	46-47
931.	इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन विमान की उड़ान में विलम्ब होना	Delay of I.A.C. Flight	47
932.	मांट ब्लैंक पर एयर इंडिया बोईंग की दुर्घटना	Crash of Air India Boeing at Mont Blanc	47-48
933.	सहकारी समितियों का विनियमन	Regulation of Cooperative Societies . .	48
934.	आलू की खेती	Potato Cultivation	48-49
935.	बिहार सरकार द्वारा निर्धारित चावल का मूल्य	Price of rice fixed by Bihar Government .	49-50
936.	केरल में राशन की मात्रा में वृद्धि	Increase in quantity of Ration in Kerala .	50
938.	सान्ताक्रुज हवाई अड्डे पर इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के विमान का क्षतिग्रस्त होना	Damage to I.A.C. Plane at Santa Cruz Airport	50

अता० प्रश्न संख्या U. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/ PAGES
939.	दिल्ली में खाद्यान्नों की कीमत	Prices of Foodgrains in Delhi . . .	50-51
940.	उड़ीसा में केन्द्रीय बीज फार्म	Central Seed Farm in Orissa . . .	51
941.	पंचायती राज संस्थाएं	Panchayati Raj Institutions . . .	51-52
942.	रायल सीमा में सूखे की स्थिति	Drought Condition in Rayalaseema . .	52-53
943.	पर्यटन	Tourism	53
944.	सहकारी समिति के माध्यम से कृषि उत्पादन को बढ़ावा	Use of Cooperative in Boosting Agricultural Production	53-54
945.	भारत-इथोपिया विमान सेवा	Indo-Ethopia Air Service . . .	54-55
946.	गन्ने का विकास	Development of Sugarcane . . .	55
947.	अनाज की कमी वाले क्षेत्रों का सर्वेक्षण	Surveys of Food Scarcity Regions . .	55-56
948.	जोधपुर का पर्यटक केन्द्र के रूप में विकास	Jodhpur as Tourist Centre . . .	56-57
949.	जोधपुर के साथ विमान सम्पर्क	Air Link with Jodhpur . . .	57
950.	राजस्थान में नलकूपों का लगाया जाना	Exploration of Tube-wells in Rajasthan .	57
951.	बिहार में खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि	Rise in Prices of Foodgrains in Bihar .	57-58
952.	कोदो (माइलो) का आयात	Import of Milo	58
953.	सहकारी खेती के सम्बन्ध में गाडगिल समिति का प्रतिवेदन	Gadgil Committee's Report on Cooperative Farming	59
954.	परिसीमन सम्बन्धी प्रस्ताव	Delimitation Proposals	59
955.	चौथी पंचवर्षीय योजना में ट्रैक्टरों तथा शक्ति-चालित हलों की मांग	Demand for Tractors and Power Tillers during Fourth Plan	60
956.	दीर्घकालीन आधार पर अनाज लेना	Securing of Foodgrains on Long Term Basis	60
957.	ग्रामीण ऋणग्रस्तता	Rural Indebtedness	61
958.	उत्तर प्रदेश में चीनी की मिलें	Sugar Mills in U. P.	61-62
959.	खाद्यान्नों का राशन	Rationing of Foodgrains . . .	62-63
960.	उत्तर प्रदेश में दुग्धशाला विकास	Dairy Development in U. P. . . .	63

अता० प्रश्न संख्या U. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
961.	चाय, काफी आदि पर लगाया गया उपकर	Cess levied on Tea, Coffee, etc. . .	63-64
962.	सहकारिता आन्दोलन में भ्रष्टाचार	Corruption in Cooperative Movement .	64
963.	सड़क दुर्घटनाएं	Road Accidents	64
964.	नये हवाई मार्ग	New Air routes	65
965.	गन्ने के मूल्य संबंधी सेन समिति	Sen Committee on Price of Sugarcane .	65
966.	लन्दन हवाई अड्डे पर एयर इंडिया के बोइंग विमान की दुर्घटना	Crash of Air India Boeing at London Airport	66
967.	ब्रह्मपुत्र नदी को राष्ट्रीय जल-पथ बनाना	Brahmaputra as a National Waterway .	66
968.	परादीप तथा मद्रास पत्तनों में अनाज से लद हुए जहाजों से माल उतारा जाना	Handling of Food Ships at Paradeep and Madras Ports	66-67
969.	सहकारी खेती (फार्मिग)	Co-operative Farming	67
970.	खाद्यान्नों का आयात	Import of Foodgrains	67-68
971.	राज्यों में अयाकट विकास	Ayacut Development in States . .	68-69
972.	हुगली नदी में चावल से भरे जहाज की क्षति	Loss of Rice Ship in Hooghly River .	70
973.	खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के अधिकारियों का नौकरी से निकाला जाना	Removal from Service of Officers of Food and Agricultural Ministry . . .	70-71
974.	केरल में पशुरोग	Cattle Disease in Kerala . . .	71
975.	केरल में पर्यटक केन्द्र	Tourist Centres in Kerala . . .	71-72
976.	अनाज की बरबादी	Destruction of Foodgrains . . .	72
977.	उड़ीसा में अनाज का संभरण	Food Supplies in Orissa . . .	73
978.	निर्वाचन आयोग के प्रतिवेदन	Reports of Election Commission .	73
979.	किसानों को ऋण	Loans to Farmers	74
980.	इण्डियन नेशनल आफशोर फिशिग सीमेन्स एसोसिएशन, कोचीन से अभ्यावदन	Representation from Indian National Off, shore Fishing Seamen's Associaiton, Cochin	74-75
981.	दिल्ली में दुर्घटनाओं के केन्द्र	Centres of Accidents in Delhi .	75-76

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
982.	पी० एल० 480 के अन्तर्गत अनाज का आयात करने पर भाड़ा	Freight for Import of Foodgrains under P. L. 480	76
983.	विकासशील देशों के लिये रियायती भाड़ा दरे	Concessional Freight Rates for Developing Countries	76-77
984.	अदालतों में उर्दू	Urdu in Law Courts	77
985.	खेती के लिये ऋण	Agricultural Credit	77-78
986.	नेफा में सड़कें	Roads in NEFA	78
987.	सांताक्रुज हवाई अड्डे पर रेडार व्यवस्था	Radar System at Santa Cruz Airport	78-79
988.	उड़ीसा में लघु सिंचाई कार्य	Minor Irrigation Works in Orissa	79
989.	उड़ीसा को अनाज का संभरण	Supply of Foodgrains to Orissa	79
990.	उड़ीसा में राष्ट्रीय राजपथ	National Highways in Orissa	80
991.	उड़ीसा में सहकारी आन्दोलन	Cooperative movement in Orissa	80-81
992.	कन्दरा भूमि (रेवीन लैण्ड) को खेती योग्य बनाना	Reclamation of Ravine Lands	81
993.	अनाज उतारना	Unloading of Foodgrains	81
994.	किसानों के लिये मौसम सम्बन्धी प्रसारण	Weather Broadcast for Farmers	82
995.	किसानों की शिक्षा	Farmers' Education	82
996.	बर्मनघाट के निकट राष्ट्रीय राजपथ पर पुल	Bridge on National Highway near Barmanghat	83
997.	गेहूं और चावल से बने खाद्य पदार्थ होटलों में परोसने पर प्रतिबन्ध	Ban on serving of wheat and rice Preparations in Hotels	83
998.	पर्यटक बिकास निधि	Tourist Development Fund	84
1000.	बिहार में बनमनकी चीनी कारखाना	Banmankhi Sugar Factory in Bihar	84
1001.	रुपये के अवमूल्यन के कारण इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन और इंडिया को हानि	Loss to I.A.C. and Air India due to Devaluation	84-85
1002.	अनाज की खपत	Consumption of Foodgrains	85
1003.	राज भाषा (बिधायिनी) आयोग	Official Language (Legislature) Commission	85-86

1235 (Ai) LS—B.

तारांकित प्रश्न संख्या U. S. Q. Nos.	विषय SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1004.	ग्राम सभायें — Gram Sabhas	86
1005.	पशुधन का विकास — Cattle Development	86
1006.	लू से फसलों की हानि — Crops affected by Heat Wave	86
1007.	राजनैतिक दलों के दल-चिन्ह — Symbals of Political Parties	87
1008.	अखिल भारतीय पर्यटन विकास परिषद् — All-India Tourist Development Council	87-88
1009.	पश्चिमी बंगाल में राशन व्यवस्था — Rationing in West Bengal	88
1010.	मद्रास में नया हवाई अड्डा — New Aerodrome at Madras	88
1011.	खाद्य विभाग के कर्मचारी — Employees of Department of Food	88-89
1012.	पंजाब के सीमा क्षेत्रों में सड़कें — Roads in Border Areas of Punjab	89
1013.	विश्वविद्यालयों में उपभोक्ता सहकारी भंडार — Consumer Cooperative Stores in Universities.	89
1014.	व्यावहारिक पोषण कार्यक्रम — Applied Nutrition Programme	89-90
1015.	जाक्कड़ फ्लाइंग क्लब के विमान की दुर्घटना — Accident to Jakkar Flying Club Plane	90
1016.	मैसूर में हवाई अड्डे — Aerodromes in Mysore	90
1017.	मैसूर में राष्ट्रीय राजपथ — National Highways in Mysore	90-91
1018.	बिहार के लिये चीनी के मूल्य — Prices of Sugar for Bihar	91-92
1019.	बच्चों के लिये मुफ्त भोजन — Free Food for Children	92
1020.	किसानों को सहायता — Assistance to Farmers	92
1021.	बिहार में झाड़खण्ड पार्टी के लिये दल-चिन्ह (सिम्बल) — Symbal for Jharkhand Party in Bihar	92-93
1022.	सिलचर पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं की सूची — Voters List of Silchar West Constituency.	93
1023.	महान्यायवादी (अटोर्नी जनरल) द्वारा निजी प्रैक्टिस — Private Practice by Attorney General	93
1024.	जयन्ती शिपिंग कम्पनी — Jayanti Shipping Company	94
1025.	पंजाब में सूखे की स्थिति — Drought conditions in Panjab	94

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1026.	विस्तार में प्रशिक्षण सम्बन्धी तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन	Third National Conference on Extension Training	95
1027.	गोबर की बर्बादी	Wastage of cow Dung . . .	95
1028.	दिल्ली के निकट सोना के गर्म पानी के चश्मों का विकास	Development of Sohna Hot Springs near Delhi	95-96
1029.	एक सहकारी समिति में गबन	Embazzlement in a Cooperative Society .	96
1030.	केरल में मैनम चीनी मिलें	Mannom Sugar Mills in Kerala . .	96
1032.	जी० टी० रोड के विकल्प के रूप में दूसरी सड़क	Alternative Route to G.T. Road .	97
1033.	दिल्ली में सहकारी समितियां	Co-operative Societies in Delhi	97
1034.	उड़ीसा में अभाव की स्थिति	Scarcity Conditions in Orissa	97-98
1035.	राज्यों में खाद्य स्थिति	Food Situation in States.	98
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	98—100
	बर्मा के सीमा-शुल्क कर्मचारियों द्वारा भारतीय बेट आदिम जाति के लोगों पर गोली चलाया जाना	Firing by Burmese customs personnel on Indian Baite tribesmen	98—100
	सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	100—111
	अधिवक्ता अधिनियम समीक्षा समिति की सदस्यता के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Membership of Advocates Act Review Committee	101—103
	श्री चे० रा० पट्टाभि रामन्	Shri C. R. Pattabhi Raman . .	101—103
	दक्षिण-पश्चिम अफ्रीका के संबंध में अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Judgement of International Court of Justice on South-West Africa .	103—106
	श्री स्वर्ण सिंह	Shri Swaran Singh .	103—106
	लोक-लेखा समिति के पचासवें प्रतिवेदन (तीसरी लोक सभा) के पैरा 4.39 से 4 52 के बारे में प्रस्ताव	Motion Re. Paragraphs 4.39 to 4.52 of 50th (Third Lok Sabha) Report of P.A.C. .	106—111

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
मंत्रि परिषद् में अविश्वास का प्रस्ताव	Motion of No-confidence in the Council of Ministers	111—124
श्री रामेश्वर राव	Shri Rameshwar Rao . .	111—113
श्री अ० क० गोपालन	Shri A. K. Gopalan . . .	113—116
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद	Shri Sidheshwar Prasad .	116–117
श्री अ० चं० गुह	Shri A. C. Guha . .	117–118
श्री मनोहरन	Shri Manoharan . . .	118–119
श्रीमती सुभद्रा जोशी	Shrimati Subhadra Joshi . .	119–20
श्री जी० भ० कृपलानी	Shri J. B. Kripalani . . .	120–121
डा० राम मनोहर लोहिया	Dr. Ram Manohar Lohia . .	121—123
श्री राम सहाय पांडेय	Shri R. S. Pandey . .	123–24
सदस्य की गिरफ्तारी	Arrest of Member . .	

लोक-सभा

LOK SABHA

मंगलवार, 2 अगस्त, 1966/11 श्रावण, 1888 (शक)

Tuesday, August 11, 1966/ Sarvana 11, 1888 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

बैलजियम से सहायता

+

180. श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, 1966 में दुकानों के माध्यम से 1 करोड़ फार्म बांट कर, जिन में प्रत्येक बैलजियमवासी से भारत के लिये कम से कम 50 फ्रेंक देने के लिये कहा गया था, बैलजियम में "भारत के साथ एकता" अभियान आरम्भ किया गया था; और

(ख) क्या भारत की इतनी दयनीय स्थिति चित्रित करने का ऐसा अभियान प्रारम्भ किये जाने से पहले सरकार की अनुमति ले ली गयी थी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन): (क) बैलजियम सरकार ने बैलजियम की भूख के विरुद्ध आन्दोलन समिति के माध्यम से मुख्यतः भारत में कृषि उपज बढ़ाने की प्रायोजनाओं को वित्तीय सहायता करने के लिए धन जुटाने हेतु पहली जून, 1966 को "भारत के साथ एकता" दिवस मनाया था। इस समिति ने "भारत के साथ एकता" का पोस्ट आफिस में एक खाता खाला है और दुकानों, विभागीय भण्डारों, बड़ी फर्मों, विज्ञापन एजेंसियों, आदि के सहयोग से सारे बैलजियन में एक करोड़ पोस्टल चन्दा फार्म बटवाये हैं। प्रत्येक फार्म पर यह प्रार्थना छपी हुई है कि भारत के लिए डाकखाना खाते में 50 बैलजियन फ्रांक की राशि जमा करवायें।

(ख) जी नहीं। यह अभियान पूर्णत: बैलजियम सरकार के कहने पर चलाया गया था। सरकार को प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार बैलजियम सरकार ने कदम कदम पर ये प्रयत्न किए जिस से कि भारत में स्थिति का कोई सनसनीपूर्ण चित्र चित्रित न हो और बैलजियम के लोगों का ध्यान भारतीय अर्थ-व्यवस्था की दीर्घकालीन आवश्यकताओं विशेषतया कृषि क्षेत्र की ओर केन्द्रित किया ।

श्री भगवत झा आजाद : बैलजियम के प्रत्येक नागरिक को फार्म दिया जाना जिस से वह दया के रूप में 50 फ्रैंक की छोटी सी राशि जमा करायें क्या सरकार उस देश के इस कृत्य को ऐसा नहीं समझती कि वहां पर भारत की दयनीय अवस्था का चित्रण हो रहा है ? सरकार ने यह कह कर कि स्थिति ऐसी नहीं है क्यों विरोध नहीं किया ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : विरोध प्रकट करने का प्रश्न ही नहीं उठता खास कर जब कि एक मित्र देश ने मित्रतापूर्ण इरादे से ऐसा किया है । हमने अपने दूतावासों को निदेश दिये हैं कि वे विदेशी सरकारों से सम्पर्क रखें ताकि इस प्रकार के धन संग्रह के लिये भारत की स्थिति धुंधली न चित्रित हो ।

श्री भागवत झा आजाद : क्या सरकार यह कह कर कि हम इस प्रकार का अपमानजनक दान नहीं चाहते, उनकी इस तुच्छ भेंट को अस्वीकार करेगी ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैं नहीं जानता कि यह अस्वीकार करना उचित होगा । हम माननीय सदस्य द्वारा उठाई गई बात पर जब कभी प्रस्ताव आयेगा अवश्य विचार करेंगे। अभी इस राशि के सम्बन्ध में कोई सुझाव नहीं हैं।

Shri M. L. Dwivedi : Mr. Speaker, I would like to know whether the Hon. Minister had sought permission from the Government of Belgium to roam with bowl in his hand from door to door and say, "Is there some one dear to Ram who can offer 50 francs for the starving citizens of India." If so, what was the reaction of Belgium Government to this ?

Mr. Speaker : The Minister has already answered in the negative.

Shri Kapur Singh : Where are the dear to Ram in Belgium ?

श्री स० चं० सामन्त : मंत्री महोदय ने कहा है कि भूख विरोधी अभियान के अन्तर्गत बैलजियम की सरकार ने बैलजियम के नागरिकों से भारत की मदद करने को कहा । क्या इस कार्यक्रम के अन्तर्गत उन्होंने किसी दूसरे देश के लिये भी कुछ धन एकत्र किया है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : दुःख है कि मुझे कोई जानकारी नहीं है। इस साल ही नहीं पहले भी ऐसे कार्यक्रमों के अन्तर्गत भारत सहित सभी अविकसित देशों के लिये धन संग्रह होते रहे।

श्री सुबोध हंसदा : इस भूख निवारण अभियान के अन्तर्गत भारत का ही क्यों प्रचार हो रहा है ? क्या इस से भारत का अपमान नहीं है हुआ ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : सम्भवत: वे चालू वर्ष की सूखे की स्थिति के कारण ऐसा कर रहे हों। मेरा विचार है कि इस प्रकार के अभियान दूसरे देशों के प्रति भी चलाये जा रहे हैं।

Shri Bagri : Will the honourable Minister be pleased to state whether there is some collection of grains, money or aid which can be termed as begging and which the Government of India got from Belgium or any other country which might have been rejected as below dignity or not commensurate or in keeping with National honour ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैं नहीं समझता कि इसमें भीख मांगने जैसी कोई बात है । विश्व समुदाय में अगर कहीं भी संकट आता है, तो स्वतः स्फूर्त प्रतिक्रिया स्वरूप उन क्षेत्रों को सहायता दी जाती है । उदाहरणतः हम अपने देश में विपन्न भागों की सहायता करते हैं । हमने भी दूसरे देशों के संकट के समय उनके लिये धन संग्रह किये । इसलिये यदि विपत्ति में या अभाव में सहायता दी जाती है तो उसे भीख नहीं कह सकते हैं । मेरे विचार में यह विश्व समुदाय की बढ़ती हुई चेतना का द्योतक है कि मानवता का कोई भी अंश भूखा न रहे ।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : मंत्री महोदय ने कुछ समय पहले अपने इस कथन के विरुद्ध कहा था जिसका आशय था कि विदेशों में भारत की स्थिति धुंधली चित्रित की गई है ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : नहीं, नहीं; यह दूसरे ढंग से था ।

श्री इन्द्रजीत गुप्ता : उन्होंने ऐसा कुछ कहा था कि वे धुंधली चित्रण को ठीक करने का प्रयत्न कर रहे हैं । दूसरे माननीय सदस्यों ने भी उन्हें सुना । मैं जानना चाहूंगा कि उनके पास इसकी कोई सूचना है कि इस प्रकार का धुंधला चित्र पेश करने के लिये कौन उत्तरदायी है जिसके कारण बैलजियममें ही नहीं, अपितु लेटिन अमरीको और यूरोपीय देशों में भी स्कूल के बच्चे तथा दूसरे लोग अपने निजी खर्चे से स्वेच्छा चन्दा एकत्र कर रहे हैं ताकि उन लाखों भारतीयों को सहायता हो सके जिनका उन्हें भूख से मरणासन्न होने का अनुमान है ? क्या सरकार किसी प्रकार भी इसके लिये उत्तरदायी नहीं है ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : मैं निवेदन करूंगा कि इस सभा में चर्चा भी इस विचार के प्रचार में सहायक होती है कि इस देश में दुर्भिक्ष से मृत्यु हो रही हैं । हम इसे नहीं रोक सकते । इसलिये, इस दृष्टि से यदि कोई मित्र देश की सरकार द्वारा इस प्रकार का अभियान चलाया जाता है, हम नहीं कह सकते कि वे गलत कार्य कर रहे हैं । किन्तु दूसरी तरफ हम ने विदेशी सरकारों से अनुरोध किया है कि वे स्थिति का अवास्तविक चित्रण न करें । साधारणतया उन्होंने हमारे सुझाव मान लिये ।

श्री हेम बरुआ : क्या यह सच नहीं है कि यह दुर्भिक्ष पीड़ित और भूख से मरते हुये भारत की तस्वीर हमारे मंत्रियों के समय-समय पर किये गये भाषणों का फल है जिनमें यह चित्रण होता है ।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : दूसरी तरफ शायद मैंने सभा को बताया होगा कि मैंने विदेशी राजदूतों की एक बैठक में अनुरोध किया था कि दुर्भिक्ष मृत्युओं का अतिशयोक्तिपूर्ण चित्रण आदि जो विदेशी समाचार पत्र अपने अपने देशों में करते हैं वह समाप्त होना चाहिये । उन सभी ने सहमति प्रकट की और मेरे विचार में उन में से अधिकांश ने अपनी सरकारों को इस सम्बन्ध में लिखा है ।

Smuggling of Vanaspati

+

*181. **Shri Sidheshwar Prashad :** **Shri Raghunath Singh :**
Shri Hukam Chand Kachavaiya : **Shri Rameshwaranand :**

Will the **Minister of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation** be pleased to state :

(a) whether his attention has been drawn to the news-item appearing in "Shakshi" of the 15th May, 1966 that vanaspati is being smuggled from Delhi to the hostile countries on a large scale;

(b) if so, whether this matter has been enquired into; and

(c) the number of persons arrested so far in this connection ?

खाद्य, कृषि, सांमुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) "साक्षी" में देश से बाहर तस्करो का समाचार अनिश्चित सा था, जिस से जांच आरम्भ करने का आधार नहीं बन सकता था।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Shri Sidheshwar Prasad : Sir, is the Government aware of the fact that there were some facts in the background of the report which was published in "Shakshi" ? I would like to know whether the Government has enquired regarding those facts ? If so, what was the type of enquiry and what was the conclusion drawn ? If not, how has the Government been able to conclude that it is a wrong report ?

Shri Surendranath Dwivedi : No evidence for smuggling is available.

श्री शिन्दे : यह अप्रैल-मई के समय से सम्बन्धित है। अप्रैल-मई में बनस्पति तेल के दिल्ली से बाहर भेजने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं था। इसलिये "साक्षी" द्वारा तस्करी (smuggling) शब्द का प्रयोग इस सम्बन्ध में मेल नहीं खाता या संगत नहीं बैठता । साथ ही दिल्ली किसी दूसरे देश की सीमा नहीं लगती । यह केवल दिल्ली प्रशासित क्षेत्रों के बारे में है ।

Shri Sidheshwar Prasad : Are the Government aware that the rates of Vanaspati have soared very high during the last three months and there is too much of black marketing in it ? If so, what has been done to improve that ?

श्री शिन्दे : जहां तक दिल्ली का सम्बन्ध है, 2200 टन वनस्पति बराबर मिल रहा है । अप्रैल और मई के महीनों में कुछ दिक्कत रही तथा कुछ कमी महसूस हुई । अब शादियों का मौसम समाप्त हो गया है और दिल्ली से वनस्पति को बाहर भेजने पर भी प्रतिबन्ध लगाया गया है । हम इन कार्यवाहियों से सहमत हैं। अब सम्भरण स्थिति सुधर गई है और अधिकांश वनस्पति जो उत्पादकों से प्राप्त होता है, उचित मूल्य की दुकानों तथा उपभोक्ता सहकारी भंडारों को नियत मूल्यों पर भेजा जाता है ।

Shri Hukam Chand Kachavaiya : The hon. Minister has stated that the restrictions have been imposed on the movement of Vanaspati to outside areas, it can be deduced that Vanaspati used to be supplied to outside areas formerly and the restrictions have been restricted there after. I would like to know whether this is supplied to Burma, Ceylon and Pakistan in large quantities and whether this has been investigated and if its movement to these areas is proved, have you imposed any restrictions ?

श्री शिन्दे : भारत से नियमित आयात पिछले साल से बन्द कर दिये गये । मैं केवल दिल्ली प्रशासित क्षेत्रों की बात कर रहा था क्योंकि "साक्षी" में दिल्ली का ही जिक्र हुआ है । अप्रैल और मई के महीनों में उस वक्त सीमावर्ती राज्यों यानी पंजाब तथा उत्तर प्रदेश में कीमतें कुछ बढ़ी हुई थीं । स्वभावत: दिल्ली से वनस्पति को बाहर के क्षेत्रों को भेजने की प्रबल प्रवृत्ति थी किन्तु दूसरे देशों को नहीं ।

श्री श० ना० चतुर्वेदी : क्या मैं जान सकता हूं कि "साक्षी" के सम्पादक या प्रबन्धक से यह पूछा गया है कि उन्होंने किस आधार पर यह समाचार अपने पत्र में छापा ?

श्री शिन्दे : दिल्ली प्रशासन से इस मामलों में जांच करने की आशा की जाती थी। दिल्ली प्रशासन के अधिकारियों ने इसके सम्बन्ध में प्रतिवेदन हमें भेजा है। उन्हें इस सम्बन्ध में जांच करने का पर्याप्त आधार नहीं मिला ।

श्री श० ना० चतुर्वेदी : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। मेरा प्रश्न था कि क्या "साक्षी" वालों से पूछा गया कि नहीं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : ठीक ठीक सूचना नहीं मिली । मैं दिल्ली प्रशासन से सूचना प्राप्त कर इसे माननीय सदस्य को भेज दूंगा।

श्री कपूर सिंह : सरकार ने गृह-प्रयोग में आने वाले वनस्पति में मोबिल आयल की अत्यधिक मात्रा को मिलाने से रोकने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

अध्यक्ष महोदय : वह केवल अत्यधिक मात्रा को रोकना चाहते हैं।

श्री कपूर सिंह : साधारण मात्रा को हम नहीं रोक सकते।

श्री शिन्दे : मैंने पिछले हफ्ते भी बताया था कि हम को पंजाब के अतिरिक्त कहीं से भी मिलावट की सूचना नहीं मिली । मैंने यह भी कहा था कि उत्पादन स्तर पर सामान की किस्म के लिये एक कानून बना है ...

श्री दी० चं० शर्मा : पंजाब में ही मिलावट नहीं हो रही है अपितु सारे देश में हो रही है ।

श्री शिन्दे : मेरे विचार में मोबिल आयल को वनस्पति के साथ नहीं मिलाया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : क्योंकि पंजाब में ही पता लगा है, इसलिये लोगों को पता लगेगा कि पंजाब में ही ऐसा कुछ हो रहा है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : यह श्री कपूर सिंह भी जानते थे।

श्रीमती सावित्री निगम : यह वनस्पति की कमी वाले पिछले दो महीनों की विभिन्न घटनाओं से सिद्ध हो गया है कि चोरबाजारी, जमाखोरी तथा सभी प्रकार की आर्थिक बुराइयां रही हैं। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगी कि उन्होंने ऐसी स्थिति की पुनरावृत्ति तथा तस्करी रोकने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

श्री वि० सुब्रह्मण्यम : दरअसल, उत्पादक विभिन्न राज्यों को उनका कोटा देने के लिये सहमत हो गये हैं और अब यह राज्य सरकारों पर है कि वे उचित मूल्य की दुकानों पर तथा उपभोक्ता सहकारी भण्डारों आदि से वनस्पति के विक्रय की व्यवस्था करें। परिणामस्वरूप अब स्थिति में काफी सुधार हो गया है और शिकायत भी कम आई हैं ।

Shri Yashpal Singh : Is it not a fact that the smuggling cannot go on without the hand of producers or millowners there in ? Why does not the Government disclose the names of thosr millowners who indulged in such anti-national activities ?

श्री शिन्दे : मैं कह चुका हूं कि तस्करी की सूचनाओं की जांच नहीं हुई है, इसलिये आगे जांच करने का कोई आधार नहीं है ।

Shri Gulshan : Have the Government enquired that the price of Vasnaspati tin soared up to 100 rupees and not only mobil oil but grease also was found mixed with it ? Have the Government enquired for this price rise and has it stablised now ?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : इस संबंध में खाद्य अपमिश्रण रोक अधिनियम बना है और मुझे विश्वास है कि सम्बन्धित अधिकारी उसके अन्तर्गत खासकर पजाब में आवश्यक कार्यवाही कर रहे होंगे । पंजाब सरकार इस अधिनियम को अपने राज्य में चलाने के लिये उत्तरदायी है ।

Shri Gulshan: My question as to whether the price of Vanaspati tin soared up to 100 rupees and whether that has been investigated into and prices are stablised or not ?

Mr. Speaker : That did not arise from this question and therefore, I kept silent.

Shri Sarjoo Pandey : The hon. Minister has stated that the investigations have been carried out into black marketing of Vanaspati and all this could not be proved. I would like to know who conducted the enquiry ? Do you have information that the persons who conduct enquiry promote blackmarketing by supplying goods to that direction ?

श्री शिन्दे : मंत्री महोदय ने बताया है कि यदि कोई सूचना मिल सकेगी तो उसे दिल्ली प्रशासन से प्राप्त करके प्रचारित किया जायेगा ।

Shri Ram Sewak Yadav : Mr. Speaker, just now the hon. Minister has stated that Delhi has no border with any foreign country and therefore the question of supplying the smuggled goods does not arise. And in answer to another question he stated that Vanaspati goes to Punjab in blackmarketing in large quantities and Punjab has border with a foreign country and thus Vanaspati can be supplied to that country easily. Do the Government have any information in this regard ?

Use of Government Machinery for Elections to U. P. Legislative Council

***182. Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Rameshwaranand :
Shri Raghunath Singh :

Will the Minister of **Law** be pleased to state.

(a) whether it is a fact that Government machinery was used during the last elections to the U. P. Legislative Council; and

(b) if so, the action taken against those persons who used it ?

विधि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभीरामन) : (क) उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के गत द्विवार्षिक निर्वाचनों के संसर्ग में शासन तंत्र के प्रयोग के बारे में निर्वाचन आयोग को कुछ अभिकथन प्राप्त हुये थे। उनमें से कुछ तो इतने अस्पष्ट थे कि उन पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती थी और कुछ निारा धार रिपोर्ट किये गये थे । कुछ मामले मुख्य निर्वाचन आफिसर और राज्य के मुख्य सचिव को यह पता लगाने के लिये निर्दिष्ट किये गये थे कि क्या ये अभिकथन तथ्यों पर आधारित हैं । निर्वाचन आयोग उनकी रिपोर्टों की प्रतीक्षा कर रहा है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : May I knowthe nature of the allegations recei ved by the Election Commissioner ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : मेरे पास एक लम्बी सूची है। इन में से सरकारी गाड़ियों के प्रयोग का उल्लेख किया गया है। इन अभिकथनों की जांच की जा रही ह और हम निर्वाचन आयोग के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Sir, I want to know whether it is a fact that the amount of money which was collected during the elections for the Defence Fund, was utilised by certain Ministers.

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : मेरी जानकारी के अनुसार ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया गया है।

Shri Prakash Vir Shastri : May I know the Government machinery which will be utilised to enquire into the allegations about the use of Government vehicles by the certain Ministers in connection with the last biennial Council elections to the Uttar Pradesh Legislative Council in order to get this matter enquired into impartially ?

The Minister of Law (Shri G. S. Pathak) : It is for the Commission to enquire into these allegations. Some cases about which the commission thought that enquiry was necessary, have been referred to the Electoral Officer and the state Government concerned. The Commission will be able to state about the factual position of these allegations only after their reports are received by it.

Mr. Speaker : He says that these things happened during the elections in which certain Ministers were candidates. If enquiry is to be made by the Government itself, then it would not be an impartial enquiry.

Shri G. S. Pathak : It is the responsibielity of the Election Commission to enquire into these allegations. The Election Commission has not only asked for a report from the Government but also from the Electoral Officer and on receipt of these reports the Commission will have the rights to adopt any other method of enquiry if it considers necessary. (*Interruptions*).

श्री दीनेन भट्टाचार्य : वह भी तो उत्तर प्रदेश सरकार के ही एक अधिकारी हैं

Shri Prakash Vir Shastri : Sir, you have also asked the Minister of Law whether there were some allegations against the Ministers but.....

Mr. Speaker : He has said that the Election Commission is an independent machinery. They have asked for a report from the Electoral Officer also; they are getting this matter enquired into by him also.

Shri Prakash Vir Shastri : My question was whether any allegations against the Ministers have been received.

Shri G. S. Pathak : I have already said that the names of Ministers are also the and I can show him the list of allegations which is here with me.

श्री दी० चं० शर्मा : क्या यह सच नहीं है कि उत्तर देश विधान सभा के कुछ सदस्यों ने, जिनमें अधिकांशत विरोधी दल के सदस्य शामिल हैं, अपना अपना मत चोर बाजार की दरों पर बेचा.....

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। मैं इस प्रश्न की अनुमति नहीं देता।

श्री दी० चं० शर्मा : इस बारे में क्या किया गया है ?

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : उनका कहने का अर्थ यह है कि कांग्रेस दल के सदस्य अपना अपना मत बाजार दर पर बेच रहे हैं और केवल प्रतिपक्षी दल के सदस्य ही चोर-बाजार की दर पर बेच रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : हमें अधिक जिम्मदारी से व्यवहार करना चाहिये । यदि हम सभी चोर हैं तो इसका प्रचार करने का कोई लाभ नहीं है ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : यह केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं है । क्या यह सच नहीं है कि चुनावों में प्राय: सरकारी शासन तंत्र का प्रयोग किया जाता है और क्या मैं जान सकता हुं कि क्या सरकार क विचार निर्वाचन विधि में उचित संशोधन करने का है जिससे देश में ऐसी बात न हो ।

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : प्रश्न केवल उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में था । अन्य राज्यों में जो घटनाय हुई हैं उनके बारे में मैंने आयोग से कोई पूछ-ताछ नहीं की है । निर्वाचन विधि में संशोधन करने के बारे में मैं माननीय सदस्यों का ध्यान दण्ड संहिता की धारा 171 (ग) की ओर दिलाता हूं जिसमें यह कहा गया है कि जो कोई भी निर्वाचन प्रक्रिया की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करेगा वह एक ऐसा अपराध कर रहा होगा जो दण्ड संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय है ।

Shri Ram Sewak Yadav : Is it not a fact that the chief of the Uttar Pradesh Congress Shri Kamla Pati Tripathi had also levelled charges against the Supply Minister and the Deputy Home Minister of Uttar Pradesh who foyught elections from Agra and also against the Deputy Minister of Education who fought election from Lucknow-Unnaon about the use of Government machinery and also in the matter of counting of votes ?

Shri G. S. Pathak : I have just stated that I will place the list of all the allegations which have been levelled and which have been received by the Election Commission before him. He may kindly see from the list as to against whom allegations have been made.

Shri Ram Sewak Yadav : He will place the list here but why does he not tell us.

Mr. Speaker : If he has no copy of the list, what can I do. He may find out from the list as to against whom allegations have been made.

श्री भागवत झा आजाद : क्या यह जांच सरकार के क्षेत्राधिकार में आती है अथवा केवल निर्वाचन आयोग ही इस मामले की जांच कर सकता है ? यदि यह निर्वाचन आयोग के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आता है तो क्या वह यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि यह जांच निर्वाचक अधिकारी द्वारा न की जाय क्योंकि प्रत्येक राज्य में उसका नामनिर्देशन राज्य सरकार द्वारा ही किया जाता है ?

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, मैं केन्द्रीय विधि से अवगत हूं और यहां एक सरकारी कर्मचारी आचरण नियम है जो सरकारी कर्मचारियों को निर्वाचन प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से रोकता है । मुझे विश्वास है कि राज्यों के लिये भी एक ऐसा नियम है । इस नियम के अन्तर्गत सरकार निश्चय ही कार्यवाही कर सकती है, यदि सरकार को यह जच जाय कि किसी व्यक्ति ने इस नियम का उल्लंघन किया है ।

श्री भागवत झा आजाद : क्या मेरे प्रश्न का यही उत्तर है ?

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : मैं अभी प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं । मैंने अभी पूरा उत्तर नहीं दिया है ।

श्री भागवत झा आजाद : आप मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं। इसीलिये तो मैं आपत्ति कर रहा हूं।

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : मैं जानता हूं कि आप हर चीज पर आपत्ति करते हैं।

श्री भागवत झा आजाद : मैं इस बात पर आपत्ति करता हूं कि एक विधि वेत्ता संसद में आये और इस प्रकार का व्यवहार करे।

उन्हें उचित रूप से व्यवहार करना चाहिये था। यदि आप मंत्री हैं तो इस से क्या होता है, आपको यह पता होना चाहिये कि सभा में कैसे व्यवहार किया जाता है। यह उच्चतम न्यायालय नहीं है। उन्हें इस प्रकार मेरे पर आक्षेप नहीं करना चाहिये कि मैं हर चीज पर आपत्ति करता हूं। उन्हें इस प्रकार से नहीं कहना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : क्या वह बैठ जायेंगे ?

श्री भागवत झा आजाद : जी, हां, मैं बैठ रहा हूं परन्तु मंत्री महोदय को अच्छा बरताव करना चाहिये। पैसा कमाने के लिये यह कोई विधि न्यायालय नहीं है।

Shri Bagri : He should be asked to leave the House.

श्री भागवत झा आजाद : उन्हें अच्छा बरताव करना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : अब वह बैठ जायं..... **(अंतर्बाधाएं)**

श्री भागवत झा आजाद : वह तो संसद में केवल पांच महीने पहले आये हैं जब कि मैं पिछले बारह वर्षों से यहां हूं और मंत्री महोदय की तुलना में मैं अधिक जानकारी रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय : यदि मुझे अवसर दिया जाता तो मैं कुछ कहता परन्तु जब माननीय सदस्य इस प्रकार से अपनी बात कहने लगते हैं तो मैं क्या कर सकता हूं।

श्री भागवत झा आजाद : मुझे खेद है।

अध्यक्ष महोदय : बहुत कुछ कहा जा चुका है। अब मुझे और कुछ नहीं कहना है। यदि सदस्य चाहते हैं कि मैं कोई कार्यवाही करूं तो उन्हें मेरे पर छोड़ देना चाहिये..... **(अंतर्बाधाएं)**.....इस बात को अब खतम किया जाना चाहिये।

Shri Bagri : Mr. Speaker, if you want to take action, this can be moved in the House but if you do not want to take any action, that is not desirable. You should take action against every body whosoever does any thing in contravention of the rules and conventions even when you may or may not want to take any action. If you want to up keep the dignity of the House, you must take action.

Mr. Speaker : If any Member commits a mistake and the other Member commits more than one, then what can I do ? Other Members have the right to leave the matter to me, I may reprimand him or do anything alse.

Shri Bagri : That is why I have not pressed you. I have only made a request. you are shielding the Minister.

Mr. Speaker : All right, I am shielding the Minister, this is also right.

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : मैं आगे यह कहना चाहता था कि निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र निकाय है। सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध जो अभिकथन हैं वे निर्वाचन आयोग के विचाराधीन

हैं। संविधान के अनुच्छेद 324 के अन्तर्गत यह एक स्वतंत्र निकाय है, इसलिय सरकार इस के कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, मैंने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया। प्रश्न यह था कि जिस अधिकारी ने जांच करनी है क्या वह सरकार के नामनिर्दिष्ट व्यक्ति हैं ?

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : मैं वह सारी जानकारी दे सकता हूं जो मुझे निर्वाचन आयोग से प्राप्त हुई है।

अध्यक्ष महोदय : यह एक सरल प्रश्न है कि क्या निर्वाचक अधिकारी, जिस ने जांच की है, एक सरकारी कर्मचारी नहीं हैं।

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : मैं यह नहीं कह सकता कि वह सरकारी कर्मचारी हैं अथवा नहीं। मैं इस बारे में पूछताछ कर सकता हूं। **(अंतर्बाधाएं)**

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यह तो जानते ही हैं कि निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र निकाय है परन्तु जिस शासनतंत्र को यह प्रयोग में लाता है वह सरकारी शासन-तंत्र ही है। यह निर्वाचक अधिकारी सरकारी कर्मचारी ही हैं। इस में कोई सन्देह नहीं है। यद्यपि कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो किसी दूसरे राज्य के हैं तथापि अधिकांश निर्वाचक अधिकारियों को राज्य सरकारों से लिया जाता है। वे निःसंदेह सरकारी कर्मचारी होते हैं। फिर भी हमारे संविधान में यह उपबन्ध किया गया है कि यह एक स्वतंत्र शासन तंत्र होगा क्योंकि इसकी अध्यक्षता मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा की जाती है जो संविधान के अन्तर्गत एक स्वतंत्र व्यक्ति होता है।

कृषि ऋण निगम

*183. **श्री वारियर :** **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री ईश्वर रेड्डी : **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री रामचन्द्र उलाका : **श्री दिगे :**

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री 10 मई, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 1595 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्यों में कृषि ऋण निगम स्थापित करने के प्रश्न पर इस बीच विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या निर्णय किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) और (ख) मामला अभी तक भी विचाराधीन है।

Shri Vishwa Nath Panday : May I know the time by which Government would be able to take decision about it ?

Shri Shyam Dhar Misra : At present nothing can be said. The matter is being considered and the draft bill is being formulated. As soon as it is formulated by the Ministry of Finance it would be brought before the House.

Shri Vishwa Nath Panday : May I know whether State Governments will be consulted in this matter ?

Shri Shyam Dhar Misra : The State Governments have alreadty been consulted. In this connection, a conference was held in which the Chief Ministers and the Ministers of Agriculture and Co-operation participated.

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : क्या सरकार को कृषि ऋण निगम की नियुक्ति के विरुद्ध भी कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो किस राज्य से तथा क्या यह सच है कि इस निगम से सहकारी ढांचे पर प्रभाव पड़ेगा ?

श्री श्यामधर मिश्र : जी, नहीं। वास्तव में प्रयत्न यह होगा कि सहकारी ढांचे को अन्ततोगत्वा मजबूत बनाया जाय। सभी राज्य सरकारों ने सर्वसम्मत सिफारिश की है कि इस योजना को स्वीकार कर लिया जाय।

Shri Onkar Lal Berwa : May I know whether these corporations will be set up in relation to population and if so, on what ratio ?

Shri Shyam Dhar Misra : This corporation will not be set up on the basis of population. This is being set up in five States namely Assam, Bihar, Bengal, Orissa and Rajasthan and this will give loans through cooperative structure. It will have to be seen that loans are given in those areas also where the cooperative structure is weak.

Shri Bibhuti Mishra : May I know whether this corporation will function in collaboration with the cooperative societies which already exist ; or separately from village to State levels ?

Shri Shyam Dhar Misra : This programme will not be implemented in those areas where the cooperative societies can be strengthened. There loans will, however, be advanced by this corporation through the co-operative societies but in those states where the cooperative societies are weak, loans will be given by the corporation directly till those cooperative societies are strengthened.

Shri Sarjoo Pandey : The hon. Minister has just stated that this corporation will be set up for five States. But the experience of the cooperative societies is that the poor agriculturists get less amount of loans from them. May I know the difficulty in setting up this corporation for the whole country because it is needed everywhere in the country and the time by which it will be set up on All India basis ?

Shri Shyam Dhar Misra : There is no such proposal that this corporation should be set up through out the country. This is a supplementary programme and it is for those States where the co-operative societies are weak. But there are certain areas in certain States which are not covered under this programme. So far as these areas are concerned we have a separate programme for them and we are trying to give loans there also. For instance in Uttar Pradesh a sum of Rs. 70 crores was given on credit last year. During the Fourth Five year Plan a credit of Rs. 125 crores is to be given to Uttar Pradesh through the cooperative societies. I cannot say as to what extant this programme would be successful but it is hoped that it would prove to be a success.

श्री श्रीनारायण दास : मंत्रियों के सम्मेलन में इस की स्वीकृति देने के साथ साथ क्या प्रत्येक राज्य ने अपनी निश्चित राय भेज दी है और क्या वे इस पर सहमत हैं तथा क्या वे अपने क्षेत्रों में ऐसे ही निगम स्थापित करना चाहेंगे ?

श्री श्यामधर मिश्र : मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था और उन्होंने इसके लिये अपनी स्वीकृति दे दी थी।

Shri Ram Sewak Yadav : The hon. Minister has just stated that a draft of this Bill is being prepared. May I know the main features thereof and whether this is also being taken into consideration that the rate of interest on loans to be made available to the farmers should be the same as is being charged from industrial establishments ?

Shri Shyam Dhar Misra : The bill perhaps relates to the constitution of the corporation and to the procedure to be adopted for the recovery of loans . This will also remain there as to how the loan requirements of the farmers are to be met. The rate of interest will be the same as is being changed on the loans advanced through cooperative structure because Government do not want that these loans should be advanced through two institutions.

Shri Ram Sewak Yadav : I wanted to know whether the same rate of interest would be charged from the cultivators as was being charged from the industrial establishments.

Shri Shyam Dhar Misra : To this I have replied that the rate of interest will be the same as is being charged on the loans which are advanced to the cultivators through the co-operatives.

Shri Sheo Narain : The farmers are under the impression that Government wants to bring all their fields under cooperative cultivation by and by. Will the hon. Minister clarify the position ?

Shri Shyam Dhar Misra : It is true that some people spread such rumours, but it is not our intention. The Government has all along been saying that it is not our intention to spread co-operative cultivation through Government machinery but if it spreads of its own accord, we will welcome it.

Consumer Cooperative Stores

+

*184. **Shri Naval Prabhakar :**
Shri Bagri :
Dr. Ram Manohar Lohia :
Shri Kishan Pattnayak :
Shri Ram Sewak Yadav :
Shri Madhu Limaye :
Shrimati Renu Chakravartty :
Shri P. C. Borooah :
Shrimati Vimla Devi :
Shri P. R. Chakraverti :
Shri Vishwa Nath Pandey :
Shri M. K. Kumaran :
Dr. L. M. Singhvi :
Shri Daljit Singh :
Shri Baswant :
Shri Subodh Hansda :
Shri S. C. Samanta :
Shri Bhagwat Jha Azad :
Shri M. L. Dwivedi :
Shri D. D. Mantri :
Shri Yashpal Singh :
Shri Basumatari :
Shri Surendra Pal Singh :
Shri Kajrolkar :
Shrimati Ramdulari Sinha :
Shri D. C. Sharma
Shri R. S. Pandey :
Shrimati Renuka Barkataki :
Shri Basappa :
Shri Linga Reddy :
Dr. P. Srinivasan :
Shi Rrij Basi Lal :
Shri Panna Lal :

Will the Min ster of **Food, Agriculture, Community Development and Cooperation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have formulated a scheme to set up Consumer Cooperative Stores and Departmental Stores in the country to check rise in prices ;

(b) if so, the main outlines thereof ;

(c) the number of such model stores to be opened in each State and Union territory ; and

(d) the amount of financial assistance to be provided to set up these stores ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) से (घ) . एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये एल० टी० नं० 6604/66]

Shri Nawal Prabhakar : Some days back a meeting was held in his Ministry wherein it was decided that the payments, financial aid and loans would be made expeditiously. May I know why have not the necessary forms been printed so far so that the loans may be granted?

Shri Shyam Dhar Misra : There is nothing for statement in this. I can tell one thing that the Consumers Stores which were opened two-three years back had to face the difficulty of working Capital. A decision was taken as referred to by the hon. member in this respect that the Government would advance loans on the surety of State Bank and Commercial Bank if the Central Government guarantees 25 percent of it. The details have been finalised and agreement has been reached with the State Bank in this regard. The forms are being printed. I hope the loans would be advanced within a fortnight through the State Bank.

Shri Naval Prabhakar : According to the details furnished, how many departmental and model Stores have been opened in Assam and Orissa.

Shri Shyam Dhar Misra : I have said in the statement that the departmental stores have been opened in the cities having population of over two lakhs. Consumers' Stores would be opened in thinly populated cities as Gauhati in Assam and Bhubneshwar in Orissa. There is question of opening a Departmental Stores in Assam. The population of Gauhati is about 2 lakhs. The idea is to set up a store there. The Government of Orissa have not so far made any request. There is no city having population of about 2 lakhs in Orissa.

Shri Bagri : Will the hon. Minister be pleased to let me know the idea behind setting up of Stores and shops for preventing profiteering and soaring trend in prices. Are the government aware that the poor and backward citizens largely full victim to profiteering, black-marketing and cheating ? Will these Consumer Stores and Big Stores be meant for big people only or will these be advantageous for the poor also ? Are the government taking some steps to prevent the greatest gang of looters that is active in the country from indulging in such activities and if so what are those steps ?

Shri Shyam Dhar Misra : The hon. Member has raised a very broad question. It is a good question also. But the question in view pertains to Consumers Stores and Departmental Stores in Cities. One of our plan is under implementation which can also be applicable to villages. If a separate question is raised I shall be able to answer that.

श्री स० चं० सामंत : क्या मैं जान सकता हूं कि अवमूल्यन से पूर्व जो उपभोक्ता सहकारी भण्डार और विभागी भण्डार खोले गये थे उन में से कितने प्रतिशत घाटे पर चल रहे हैं ? यदि बहुत घाटा है तो सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री श्यामधर मिश्र : इस प्रश्न पर पिछले वर्ष कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने विचार किया था। उन्होंने एक प्रतिवेदन दिया था जिसके अनुसार 15 से 20 प्रतिशत उपभोक्ता सहकारी भण्डार घाटे पर चल रहे हैं—जो अत्यधिक नहीं है—और अधिकांश लाभ पर भी चल रहे हैं । उन्होंने बताया है कि औसत बिक्री 6 लाख रुपये महीने के करीब है ।

Shri Kashi Ram Gupta : In a city like Delhi so many Co-operative Stores are in very bad condition. Some of these are locked and some of the cases regarding these stores are going on in courts. So much so that even the M.Ps. Co-operative Stores is verging on bankruptcy. I would like to know whether the government have taken some steps t do away with those ills which have of late become conspicuous in respect of this plan so that this Super

Market which has been set up and the consumers stores that are being started and will be started in future may not merge on bankrupting with all its evil consequences.

Shri Shyam Dhar Misra: I do not know on what premise the hon. Member is talking? I have information regarding Delhi and I have the statement also. There are no societies which have been declared bankrupt. But some . . .

Mr. Speaker : I know one which was formed by the Members of Parliament.

Shri Shyam Dhar Misra : Not only one there are more than three hundred societies in Delhi. One, two, three or four societies may be weak. We have a plan of stabilising them. We are allotting them more funds. In reply to a question put by a hon. member from Delhi. I had stated that the first weakness was that they did not get adequate supplies and another was that they did not get funds. We are making provisions on both these directions and we hope that they will run well.

Shri Kashi Ram Gupta : My question was that what steps have been taken to do away with the ills observed in the system including that of over-expenditure?

Mr. Speaker : He has stated that funds and facilities are being provided.

Shri Kashi Ram Gupta : Those have been closed not because of paucity of funds but because of mismanagement.

Mr. Speaker : Why are you taking all these to bankruptcy? He has stated that they would prevent.

श्री राम सहाय पाण्डे : श्रीमान, हमारी 70 प्रतिशत आबादी गांवों की है । लगभग सभी सुविधायें शहर निवासियों को दी जाती हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार शहरों से दूर रहने वाले ग्रामीणों को सस्ते मूल्य पर सामान देने के लिये चलते फिरते उपभोक्ता सहकारी भण्डार खोल रही है ? मैंने देखा है कि दूसरे देशों में इस प्रकार की व्यवस्था होती है । हमारी सरकार को भी चलते-फिरते सहकारी भण्डार खोलने चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : चलते फिरते एक नई बात है अन्यथा श्न पहिले भी पूछा गया है और जवाब भी दिया गया है । खैर, यह एक सुझाव है और इस पर विचार हो सकता है।

श्री राम सहाय पाण्डे : मेरा प्रश्न है कि क्या सरकार ऐसी कुछ व्यवस्था करने जा रही है ?

मंत्री महोदय कह सकते हैं, "नहीं, हमारा ऐसा विचार न ीं है ।"

अध्यक्ष महोदय : क्या इस विशेष व्यवस्था का कोई सुझाव है ?

श्री श्यामधर मिश्र : नहीं श्रीमान, हम अभी तो नहीं सोच रहे हैं किन्तु इस सुझाव पर भी हम विचार करेंगे ।

श्री भगवत झा आजाद : इस दृष्टि से कि ये विभागी भण्डार कीमतें स्थिर करने में बड़े सहायक सिद्ध हुए हैं, सरकार प्रबन्धक श्री दत्ता के उस वक्तव्य के संदर्भ विभागी भण्डारों को सामान भेजने की क्या उचित व्यवस्था करने जा रही है जिसमें उन्होंने कहा था कि उत्पादक सामान पहुंचाने के मामले में सहयोग नहीं दे रहे हैं ।

श्री श्यामधर मिश्र : हम उस समस्या का हल निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं । हमने इस सम्बन्ध में वाणिज्य मंत्रालय में एक संगठन बनाया है । हम उत्पादकों से सम्पर्क कायम किये हुये हैं । पिछले एक महीने और खास तौर पर सुपर बाजार खुलने और चलने के बाद पिछले कुछ दिनों का

यह अनुभव रहा कि थोक दरों पर उत्पादक इन भण्डारों को सामान पहुंचाने के लिये तैयार हैं। यदि बातचीत के द्वारा समस्या हल नहीं होगी तो हम आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या मंत्री महोदय जानते हैं कि पश्चिमी बंगाल के छोटे शहरों में 1962 के बाद जो सहकारी भण्डार खोले गये वे अब उत्पादकों द्वारा उचित मूल्य पर सामान न पहुंचाये जाने के कारण मृत अवस्था में हैं ?

श्री श्यामधर मिश्र : मुझे उस प्रश्न का उत्तर देने की सूचना मिलनी चाहिये।

Shri M. L. Dwivedi : Have the government made some arrangement for making things available easily and for avoiding thronging in the Super Market which was set up in the name of Pant Market and is now called Subramaniam Market or Super Market, in view of its over crowding and trampling posture wherefrom people sometimes find it difficult to have a hair breadth escape ?

Shri Shyam Dhar Misra : The Building is still bearing the name of Pant Market. There is no intention of turning it into Subramaniam Market. It is a Super Market and the building bears the name of Pant Market (*interruptions*).

Mr. Speaker : There is a question of overcrowding and nothing else.

Shri Shyam Dhar Misra : So far as overcrowding is concerned, the building has six storeys and the work is going on in two storeys only. Since yesterday one more storey has also been occupied and thus there will be three storeys for spreading the goods. We are thinking of starting other branches also. We are thinking of starting four or five more Departmental stores in Delhi. When these are set up in other areas also people will not be thronging this place and the crowding will thus be lessened.

Shri Yashpal Singh: Do the government know that the essential commodities are not available for the last 20 days in the Stores already started ? If so, who is responsible whether he is one person or any authority, and how are they going to remove these public difficulties ?

Shri Shyam Dhar Misra : I do not believe the Stores started earlier are getting these things. If some particular stores is named I collect the information and pass it on to the House.

श्री बसुमतारी : यह जिक्र हुआ है कि निश्चित सुझाव आने पर राज्यों में सुपर मार्केट खोले गये हैं। क्या आसाम से भी कोई प्रस्ताव आया है और यदि हां, तो वहां पर विभागी भण्डार खोलने की दिशा में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्री श्यामधर मिश्र : आजकल ही मंत्रालय के राज्य मंत्री महोदय गौहाटी में थे तो उन्हें वहां के मंत्री महोदय से एक अभ्यावेदन मिला। हमने मामले पर विचार किया, जैसा कि मैं पहिले कह चुका हूं, तथा हमने वहां पर एक भण्डार खोलने का निश्चय किया है। सहायता वक्तव्य में दिये गये रूप में होगी।

Shri Bade : The statement mentions towns with population barring from five to ten lacs. It also says that they would set up 3 stores in Madhya Pradesh, 5 in Maharashtra and 7 in U.P. What were the criteria kept in view for allocating the number of stores for various Provinces ? What have you taken only cities with population from 5 to 10 lacs ? Do you think that setting up three stores in Madhya Pradesh would bring down prices ? What is the criteria that formed the basis for this.

Shri Shyam Dhar Misra : 43 Stores that have been mentioned in the annexure of the statement are meant for the accelerated programme of the current year. We have not

described it as adequate. But this is only interim programme. If these stores run satisfactorily, we shall open more stores next year. We have fixed it at 2 lacs.

Shri Daljit Singh : I would like to know what arrangements have been made for checking accounts of these stores? Have they looked into the M.P.s cooperative store and if so what is the result?

Shri Shyam Dhar Misra : For investigations there is internal audit as well as auditing by the Registrar also. So far as recently set up Super Market is concerned Accountants and Auditors have been appointed. So far as the Society referred to by the hon. Member is concerned, that has also been audited. I do not know the amount of loss in that.

Mr. Speaker : There is a loss of more than forty thousand a rupees and the Chief Commissioner has written to me that he wanted to liquidate it.

Shri Daljit Singh : How has that loss been incurred?

Mr. Speaker : That is another point.

Shri Ram Sewak Yadav : I would like to know that the Consumers Co-operative Stores and Departmental Stores which have been set up or are going to be set up should not be allocated excessive amounts for their pattern and maintenance so that they may not be discontinued after sometime and people may not be deprived of getting things on cheaper rates. Have the government taken up certain precautionary measures in this regard and if so what are those?

Shri Shyam Dhar Misra : We cannot lay down a pattern for this. Allocation of funds will depend on the amount of trade and number of Salesmen and officers in a particular store. For example, 500 persons have been employed in the Super Market,whereas only a few persons are running stores in other places. As I have already stated that we can lay down a pattern for this. We have been considering it from time to time and the Managing Committee has also been seized of the matter.

सघन कृषि जिला कार्यक्रम

+

185. **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री यशपाल सिंह :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री श्रीनारायण दास :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सघन कृषि जिला कार्यक्रम का मूल्यांकन करने वाले अध्ययन दल ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो दल की मुख्य उपपत्तियां क्या हैं ; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 6605/66]**

श्री **वासुदेवन नायर** : यह कार्यक्रम कितने जिलों में चालू किया जायेगा तथा क्या सरकार अध्ययन द्वारा इस बात का पता लगा सकी है कि इस योजना से बहुत थोड़े किसानों को लाभ पहुंचा है और इस योजना विशेष से बहुसंख्यक छोटे तथा निर्धन किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ है ?

श्री श्यामधर मिश्र : 15 जिलों को चुना गया है जिन में लगभग 314 विकास खंड, 27,827 गांव तथा 80.8 लाख हेक्टेयर भूमि है जो देश में खेती वाले क्षेत्र का लगभग 5 प्रतिशत है। 1964-65 के अन्त तक यह कार्यक्रम 283 विकास खंडों, 22,029 गांवों तथा 30 लाख हेक्टेयर खेती के क्षेत्र में चालू था।

श्री वासुदेवन नायर : मेरा प्रश्न यह था कि इस कार्यक्रम से केवल उच्च वर्ग के ही किसानों को लाभ हो रहा है, क्या अध्ययन से इस बारे में कुछ पता चला है ?

श्री श्यामधर मिश्र : मुझे खेद है। डा० सेन की अध्यक्षता में इस समिति ने इस प्रश्न पर भी विचार किया और वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इस कार्यक्रम से न केवल बड़े बड़े किसानों को परन्तु छोटे किसानों को भी लाभ हुआ है।

खाद्य, कृषि, सामुदायक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : माननीय सदस्य शायद उन काश्तकारों के प्रश्न का उल्लेख कर रहे हैं, जो मौखिक काश्तकार हैं। इस प्रश्न पर विचार किया गया है। यह सच है कि ऐसे क्षेत्रों में जहां पट्टेदारी है और जहां पट्टेदारी की कोई सुरक्षा नहीं है, किसान इसका लाभ नहीं उठा सके हैं क्योंकि वे इस प्रयोजन के लिये ऋण नहीं ले सके। इसीलिये हम इस बात पर बल दे रहे हैं कि हमें इस बात का अभिलेख रखना चाहिये कि भूमि वास्तव में किसके कब्जे में है जिसके आधार पर हम उनको ऋण दे सकें और वे इस पैकेज से लाभ उठा सकें जो उनको खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिये उपलब्ध है। यह एक त्रुटि है जिसके बारे में हम विचार कर रहे हैं।

श्री वासुदेवन नायर : अध्ययन दल इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि जहां तक ऋण सहकारी ऋण समितियों का सम्बन्ध है, व्यावहारिक रूप में उस क्षेत्र के बहुसंख्यक लोगों को ऋण नहीं दिया जाता है और केवल 25 प्रतिशत लोगों को लाभ होता है। सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिये क्या विशिष्ट कदम उठाये जा रहे हैं कि इन क्षेत्रों में अधिकाधिक लोगों को ऋण प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध हो ?

श्री श्यामधर मिश्र : हम सहकारी ढांचे को ही मजबूत बनाने तथा सदस्यों की संख्या बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं, परन्तु जहां सदस्यों की संख्या नहीं बढ़ी है वहां पर सरकार द्वारा तकावी ऋण दिया जाता है। भारतीय खाद्य निगम की एक योजना के अन्तर्गत उत्पादन ऋण भी दिया जायेगा।

Shri Bibhuti Misra : The hon. Minister wants to extend the intensive Agricultural Programme but he has admitted in his statement that we have failed in this programme. It has been said in the statement :-

> "In fact, what is holding up progress in the IADP areas is not so much the lack of demand from the farmers but the lack of supply of essential inputs.....This administrative system, based essentially on checks and balances evolved in a different time and for a different purpose is more procedure-oriented than action oriented and has proved woefully inadequate for any operation."

It is clear from the above that the Intensive Agricultural Programme has proved to be a failure as has been admitted by the Government itself. But the hon. Minister says that they want to extend this programme. I want to know whether after having failed in any programme, we should carry out reforms in the existing programme or we should further extend it ?

Shri Shyam Dhar Misra : It is true that we should go ahead even after having failed. That is why the Government has appointed an Administrative Reforms Commission that will

go into all these questions. The recommendations made by the Committee have been given in the statement.

Shri K. N. Tiwary : The report of the study Team which has been laid on the Table is a second report and as such it is not final report. I want to know whether all these suggestions which were made in this House have been included in it. I also want to know whether this report will be implemented even before the final report is submitted.

Shri Shyam Dhar Misra : No, we will not wait for the final report we have already forwarded this report to the State Governments. As soon as their views are known, action will definitely be taken on it.

Shri Sidheswar Prasad : It has been pointed out in the statement that this programme has proved to be a failure because of archaic administrative system and also due to the fact that the measures adopted to implement this programme were inadequate. The Team has recommended that the period of 5 years should be increased. May I know the decisions going to be taken by Government in regard to these two matters ?

Shri Shyam Dhar Misra : This programme will continue. I would submit that it should not be construed from this report that only failures are referred to in it. The Team has referred to the achievements also to which I have made a reference to you. The Team has pointed out that these have been 19 to 100 per cent increase in the production.

Shri Yashpal Singh : The poor are becoming poorer and the rich, richer in this so called socialism. Only one per cent richest lands have been covered by the Intensive Agricultural Programme with the result that the remaining 99 per cent lands are becoming useless. May I know the action being taken by Government in this regard ?

Shri Shyam Dhar Misra : These are only pilot projects which we are extending. The hon. Member is aware of this fact that Government has formulated a High Yielding Variety Programme which will cover 32 million acres of land. Besides a number of million acres of land has been brought under the Intensive Area Programme. It is not a show piece but it is practicable and this will cover about 10 to 15 per cent area during the Fourth Five Year Plan period.

श्री श्रीनारायण दास : इन क्षेत्रों में सहकारी ऋण समितियों के कार्य के बारे में यह कहा गया है कि :

> "यह देखा गया है कि $\frac{3}{4}$ से भी अधिक उधार अब भी परम्परागत साहुकारों द्वारा दिया जाता है ।"

क्या सरकार इन क्षेत्रों की, जहां ये उधार अब भी परम्परागत साहुकारों द्वारा दिया जाता है, सहकारी ऋण समितियों में सुधार लाने की बात नहीं सोचती है, क्योंकि सहकारी समितियां अच्छी तरह से कार्य नहीं कर रही हैं ?

श्री श्यामधर मिश्र : यह औसत है । कुछ जिलों में, औसत 60 प्रतिशत से भी अधिक है । मैं मानता हूं कि वहां पर सहकारी ढांचा बहुत ही कमजोर है, परन्तु जहां भी सहकारी ढांचा कमजोर है, जैसा कि मैंने कहा—हम ढांचे को सुधारने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

श्री हरि विष्णु कामत : सभा पटल पर रखे गये विवरण में कहा गया है कि पुरानी प्रशासन व्यवस्था को बदलने की आवश्यकता है । इसमें यह भी कहा गया है :

> "सघन कृषि जिला कार्यक्रम का प्रभाव पड़ने में कार्यक्रम के मौलिक मसौदे में निर्धारित 5 वर्ष की अवधि से बहुत ही अधिक समय लगेगा ।"

क्या सरकार वास्तव में यह सोचती है कि भारत के निर्धन किसान जो सारी जनसंख्या का 80 प्रतिशत हैं, अपनी स्थिति सुधारने के लिये इतने लम्बे समय तक के लिये प्रतीक्षा कर सकते हैं और यदि नहीं, तो उनकी स्थिति जल्दी सुधारने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

श्री श्यामधर मिश्र : हमने पहले ही दो आरम्भिक परिणाम निकाले हैं। विपुल उत्पादन कार्यक्रम तथा सघन क्षेत्र कार्यक्रम मंजूर करके हमने पहले ही इस परियोजना को बढ़ावा दिया है। सहारनपुर से माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर देते हुये मैंने अभी कहा कि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत इन जिलों की केवल एक प्रतिशत भूमि अथवा भूमि का एक छोटा सा टुकड़ा ही शामिल नहीं होगा परन्तु यह कार्यक्रम इसी प्रकार से कुछ अन्य क्षेत्रों में भी क्रियान्वित किया जायेगा। वास्तव में सघन खेती कार्यक्रम के, जो उसी प्रकार और उसी ढंग का है, अलावा यह कार्यक्रम चौथी योजना में लगभग 130 जिलों में चालू हो जायेगा।

श्रीमती सावित्री निगम : हमें इस विवरण से यह बात जच गई है कि किसान उत्पादन इसलिये नहीं बढ़ा सकता क्योंकि ऋण तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं प्राप्त करने में उनको बहुत कठिनाई होती है। मंत्री महोदय से मैं यह जानना चाहता हूं कि इस प्रतिवेदन के प्राप्त होने के पश्चात् यह सुनिश्चित करने के लिये क्या विशेष कदम उठाये जा रहे हैं कि किसानों में ऋणता घटे और उन लोगों को, जो प्रतिभू नहीं दे सकते हैं, सस्ती दर पर ऋण मिले ?

श्री श्यामधर मिश्र : हमने कुछ राज्यों के कुछ जिलों में खरीफ की पिछली फसल से फसल पर ऋण देना पहले ही आरम्भ कर दिया है और रबी की इस फसल से यह सभी राज्यों में आरम्भ कर दिया जायेगा जिसमें प्रतिभू अथवा भूमि की प्रत्याभूति का कोई प्रश्न ही नहीं है। ऋण केवल फसल की मात्रा के आधार पर दिया जायेगा। अतः काश्तकार, थोड़ा मुनाफा कमाने वाले भूस्वामी—सभी भूस्वामी—भूमि की प्रतिभू के बिना सभी राज्यों में सहकारी समितियों द्वारा ऋण ले सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : अब हम अल्प-सूचना प्रश्न लेते हैं। श्री अ० क० गोपालन।

श्री अ० क० गोपालन : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संसद् में यह आश्वासन दिया था कि तीसरी योजना में कोचीन शिपयार्ड शामिल किया जायेगा ;

(ख) क्या परियोजना प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ;

(ग) यदि हां, तो परियोजना के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक है, तो देरी के क्या कारण हैं ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : यह विषय सूची में नहीं है।

हमें इसकी कोई सूचना नहीं दी गई थी कि यह अब लिया जायेगा। मैं इसका कल उत्तर दे सकता हूं। (**अन्तर्बाधाएं**)।

श्री वासुदेवन नायर : यह कैसे हुआ ?

श्री शिकरे : संसदीय सचिवालय में कोई गड़बड़ जरूर है। मुझे संसद् संबंधी कागज नहीं मिल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । यह कैसे हुआ कि उनको इसकी सूचना नहीं मिली ? कम-से-कम मेरे कार्यालय से 29 जुलाई को उन्हें एक प्रति भेजी गई थी ।

श्री संजीव रेड्डी : मैंने उत्तर देने की बात स्वीकार कर ली है । मुझे यह नहीं पता था कि यह अब लिया जा रहा है । मुझे खेद है कि कहीं कुछ गलती हो गई है । हो सकता है यह गलती मेरे ही विभाग में हुई हो । मैं यह नहीं कहना चाहता कि संसदीय शाखा में कोई त्रुटि है ।

अध्यक्ष महोदय : हमारे कार्यालय को इसका उत्तर भी प्राप्त हो गया है । फिर यह विषय सूची में था । समय देने तथा इसे कल पूछे जाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है परन्तु कम-से-कम सावधानी बरती जानी चाहिये जब कि यह कुछ दिन पहले ही भेज दिया गया था ।

श्री संजीव रेड्डी : जी हां, ।

अध्यक्ष महोदय : मंत्रालय ने हमें उत्तर दिया था कि इसका उत्तर 2 तारीख को दिया जायेगा और उन्होंने हमें अपना उत्तर भी भेज दिया है और यह विषय सूची में है और आर्डर पेपर पर भी . . .

श्री सजीव रेडडी : महोदय, हम इसका अभी उत्तर दे सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : जी हां ।

श्री अ० क० गोपालन : मुझे कोई आपत्ति नहीं है, यदि उत्तर कल दिया जाये । मैं कहना चाहता हूं कि यदि उत्तर इसी तरह से दिया जाना है तो इसका कोई लाभ नहीं . . .

अध्यक्ष महोदय : मैंने बहुत कुछ कह दिया है ।

श्री अ० क० गोपालन: उन्हें कल तैयार होकर आने दीजिये ।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, इसे कल के लिये रखा जा सकता है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

चूहों और कीड़ों के कारण अनाज की बरबादी

*186. **श्रीमती रेणुकाराय** : क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964-65 और 1965-66 में चूहों तथा अन्य कीड़ों के कारण कुल कितना अनाज बरबाद हो जाने का अनुमान है ; और

(ख) उपरोक्त अवधि में अनाज को इन कीड़ों से बचाने के लिये किये गये उपाय कहां तक कारगर रहे हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र): (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

चूहों तथा कीड़ों द्वारा फसलों को हानि

कीड़-मकोड़ों तथा वनस्पति रोगों द्वारा हुई हानि के विषय में संक्षिप्त आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । फिर भी अनमान है कि कीड़ों तथा रोगों से प्रतिवर्ष कुल कृषि उपज का 20 प्रतिशत भाग नष्ट

हो जाता है। अनमान है कि घास के झींगरों, टिड्डयों, चूहों तथा अन्य पशु-कीटों द्वारा 10 प्रतिशत हानि होती है। इसके अतिरिक्त हानिकारक घास-पात आदि से भी 10 प्रतिशत हानि होती है। केवल भण्डारण के दौरान में 5 से 7 प्रतिशत तक हानि होती है।

2. यह अनुमान लगाना कठिन है कि वनस्पति-रक्षा उपायों से कितना लाभ होता है। परन्तु प्रायः यह स्वीकार किया गया है कि यदि वनस्पति रक्षा उपाय ठीक तरह से अपनाये जायें तो हानि को काफी हद तक कम किया जा सकता है और इसके कारण रुपये के हिसाब से कुल उपज में 15–20 प्रतिशत तक लाभ हो सकता है।

कृषकों को ऋण

*187. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री राम सहाय पांडेय :
श्री काजरोल कर :
श्री लखमू भवानी :

क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषकों की वैध आवश्यकता को पूरा करने के लिये सहकारी समितियों तथा सरकारी अभिकरणों के माध्यम से उदारतापूर्वक ऋण दिलाने के लिये सरकार ने क्या निर्णय किये हैं ; और

(ख) उस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

किसानों के लिए उत्पादन ऋण की व्यवस्था करने हेतु सहकारी अभिकरण को एक मुख्य संस्थागत अभिकरण के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस दृष्टि से कि सहकारी समितियां अपने सभी कृषक सदस्यों को पर्याप्त उत्पादन ऋण दे सकें, सभी राज्यों में फसल ऋण प्रणाली शुरू की जा रही है। इस प्रणाली के अन्तर्गत काश्तकारों की ऋण संबंधी आवश्यकताओं का निर्धारण भिन्न-भिन्न फसलों के बारे में होने वाले प्रति एकड़ उत्पादन व्यय को देखते हुए किया जाना है और उनकी पूर्ति नकदी तथा जिंस के रूप में लेने वाले की लौटाने की क्षमता को देखते हुए की जानी है। इस प्रणाली के अन्तर्गत प्रत्येक सदस्य के लिए एक सामान्य ऋण विवरण, तैयार किया जाना है जिसमें काश्त की रकबे और प्रत्येक फसल के लिये प्रति एकड़ वित्त-मानों के आधार पर उसकी कुल ऋण की पात्रता दी जानी है। कुल ऋण नकदी तथा जिंस भागों में बांटा जाता बार सदस्य की ऋण सीमा निर्धारित हो जाने पर वह ऋण ले सकेगा, बशर्ते वह सीख लिए गये किसी पिछले ऋण के बारे में बाकीदार नहीं है। यह प्रणाली महाराष्ट्र और मद्रास के कुछ भागों में पहले से लागू है। चालू वर्ष से यह प्रणाली अन्य राज्यों में भी लागू की जा रही है।

उन क्षेत्रों में जहां सहकारी समितियां काश्तकारों को ऋण की अपेक्षित राशि देने की स्थिति में नहीं हैं, वहां राज्य सरकारें उत्पादन प्रयोजनों के लिए तकावी ऋण दे रही हैं।

भारत के खाद्य निगम जैसे अन्य अभिकरण भी उपयुक्त क्षेत्रों में उत्पादन वित्त सुलभ करने लगे हैं।

उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में राशन व्यवस्था

*188. श्री उटिया :
श्री मधु लिमये :

क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के प्रमुख शहरी स्थानों में राशन व्यवस्था लागू करने के अपने निर्णय को क्रियान्वित न करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या यह निर्णय केन्द्रीय सरकार की सहमति से किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) से (ख). उत्तर प्रदेश सरकार ने 16–2–1966 से कानपुर में सांविधिक राशन व्यवस्था लागू की है और अन्य क्षेत्रों में राशन लागू करना उपयुक्त भण्डार तैयार होने तक स्थिगित कर दिया है। भारत सरकार ने राज्य सरकार को शीघ्र सांविधिक राशन व्यवस्था लागू करने के लिये जोर नहीं डाला है ।

अनाज के मूल्यों में वृद्धि

*189. श्रीमती जयाबेन शाह :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री अ० ना० विद्यालंकार :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री कोला वेंकैय्या :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री गुलशन :
श्री हेम राज :
श्री दलजीत सिंह :
श्री जसवन्त मेहता :

क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई और जून 1966 में देश भर में अनाजों के खुदरा मूल्य में 5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई ; और

(ख) यदि हां, तो इस वृद्धि को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन):

(क) मई और जून 1966 के महीनों में खाद्यानों की खुदरा कीमतों में कुछ बढ़ोतरी हुई है। यह बढ़ोतरी विभिन्न क्षेत्रों और खाद्यान्नों के बारे में भिन्न-भिन्न है।

(ख) देश में खाद्यान्नों की कीमतों को बढ़ने से रोकने के लिये उठाये गये विभिन्न उपायों में ये उपाय शामिल हैं—अधिक क्षेत्रों में सांविधिक / अनौपचारिक राशन व्यवस्था लागू करके, अधिक उचित मूल्य की दुकानें खोलना, गहन अधिप्राप्ति, विदेशों से बहुत अधिक आयात आदि। हाल ही में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम यह है कि यद्यपि अवमूल्यन के कारण आयातित खाद्यान्नों की कीमतों में पर्याप्त वृद्धि हो गयी है फिर भी सरकार ने केन्द्रीय स्टाक से दिये जाने वाले खाद्यान्नों की निर्गम कीमतों में वृद्धि न करने का निर्णय किया है। अतः सरकारी स्टाक से दिये जाने वाले खाद्यान्नों की निर्गम कीमत अवमूल्यन के पूर्व स्तर पर बनाये रखी जा रही है।

गन्ने की जल्दी तथा देरी से पकने वाली किस्में

*190. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जल्दी पकने वाली तथा देर से पकने वाली गन्ने की किस्मों की व्यवहार्यता के बारे में की गई जांच के कोई परिणाम निकले हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या परिणाम निकले हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) विभिन्न क्षेत्रों में बोने के लिये गन्ने की शीघ्र और देर से पकने वाली उपयुक्त किस्मों का होना उपयोगी है । क्योंकि आमतौर पर गन्ने की शीघ्र पकने वाली किस्मों की मुख्य ऋतु की किस्मों की अपेक्षा प्रति एकड़ कम पैदावार होती है इस लिये गन्ना उत्पादक इसे पसन्द नहीं करते हैं ।

फार्म ऋण

*191. **श्री ईश्वर रेड्डी** :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री बागड़ी :
श्री मधु लिमये :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री किशन पटनायक :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री 10 मई, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 1588 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फार्म ऋण के सम्बन्ध में विवरण देने के लिये उच्च शक्ति प्राप्त एक समिति बनाने के बारे में इस बीच विचार लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस समिति के कौन-कौन से सदस्य होंगे तथा उसके निर्देश पद क्या होंगे? और

(ग) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में निर्णय करने में देरी होने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र): (क) जी हां, भारत के रिजर्व बैंक ने एक समिति स्थापित की है ।

(ख) रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति, जिसमें समिति के सदस्यों के नाम तथा उसके निर्देश पद दिए गए हैं, सभा पटल पर रखी जाती है । **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल. टी 6606/66]** ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

आपातिक खाद्य कार्यक्रम

*192. **श्री लिंग रेड्डी :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विकट खाद्य स्थिति का सामना करने के लिये केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा आरम्भ किया गया आपातिक खाद्य कार्यक्रम कहां तक सफल रहा है ;

(ख) विभिन्न राज्यों में विभिन्न योजनाओं पर कितना धन व्यय किया गया है; और

(ग) उनके मुख्य परिणाम क्या हैं।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र): (क) खाद्यान्नों की कमी के दौरान आपात्काली खाद्य उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत किए गए कुछ उपायों से सहायक खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई है। सूखे के बावजूद इस कार्यक्रम के फलस्वरूप कुछ अतिरिक्त क्षेत्र में खेती की गई है।

(ख) 1965-66 के दौरान विभिन्न राज्यों को 389.93 लाख रुपये की राशि निर्धारित की गई थी।

(ग) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

आपात्कालो खाद्य उत्पादन कार्यक्रम की मुख्य सफलतायें निम्नलिखित हैं :—

(1) सिंचाई वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त फसल का आरम्भ किया जाना—

वर्ष 1965-66 में रबी तथा ग्रीष्म ऋतुओं (सीज़न) के अन्तर्गत 33 लाख अतिरिक्त भूमि पर खेती करने के लक्ष्य की तुलना में, राज्य सरकारों से प्राप्त समाचारों के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि 39 लाख अतिरिक्त भूमि पर खेती की जायेगी।

(2) सहायक फसलों तथा सब्जियों के उत्पादन को प्रोत्साहन—

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों द्वारा 1.35 लाख अतिरिक्त भूमि पर सहायक (सह) फसल तथा 1.88 लाख एकड़ भूमि पर सब्जियां की खेती की गई है।

गड्डों में फार्म खाद का उत्पादन

कम्पोस्ट खाद के उत्पादन और सीवेज तथा सुल्लेज सिंचाई कार्यक्रमों में राज्य सरकारें निरन्तर प्रगति कर रही हैं।

बिजली के तथा डीज़ल तेल के पैम्पों का प्रयोग

1.60 लाख बिजली के पैम्प सेटों तथा 0.60 लाख डीज़ल के पैम्प सैटों का प्रयोग करने के लक्ष्य की तुलना में राज्य सरकारों द्वारा दिये गये समाचारों के अनुसार यह अनुमान किया जाता है कि 1.50 लाख बिजली के पैम्प सैट तथा 0.80 लाख डीज़ल सैट प्रयोग में लाये जायेंगे।

गन्ने की पेराई

*193. **श्री क० ना० तिवारी :** क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिन चीनी मिलों ने 30 अप्रैल, 1966 के बाद गन्ने की पेराई जारी रखी उनको सरकार ने पच्चीस प्रतिशत की छूट दी है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) जिन गन्ना उत्पादकों का गन्ना 30 अप्रैल, 1966 से पहले नहीं पेरा जा सका, क्या उन्हें कोई लाभ दिया गया था ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में-उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) मई और जून, 1966 के महीनों में शर्करा का उत्पादन 1960-61 से 1964-65 तक के पांच शर्करा वर्षों में मई और जून के औसत उत्पादन से जितना अधिक होगा उस पर मूल उत्पादन शुल्क में 25 प्रतिशत की छूट देने की अनुमति दी गयी है लेकिन यह शर्त रहेगी कि छूट की मात्रा मई-जून, 1966 के कुल उत्पादन के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

(ख) यह छूट शर्करा कारखानों की गर्मी के महीनों में गन्ने से शर्करा की हुई कमी को पूरा करने के लिये दी गयी है ।

(ग) जी नहीं ।

Production Of Food grains

*194. **Shri Bibhuti Mishra :**
Shri K. N. Tiwary :
Shri Liladhar Kotoki :

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development and Cooperation** be pleased to state:

(a) the total production of foodgrains in the various States during 1965-66;

(b) the quantity procured by the Central and State Governments out of that separately and at what rates ;

(c) whether it is a fact that the price paid to the farmers is less than the cost of production; and

(d) if so, the steps being contemplated by Government to ensure that farmers are paid reasonable prices ?

Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development And Cooperation (Shri Govinda Menon) : (a) to (d). A statement is laid on the Table of the Sabha.

अमरीका से खाद्यान्नों का आयात

*195. श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री लीलाधर कटकी :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री रा० बरुआ :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री रामपुरे :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री यशपाल सिंह :

क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966 में अब तक अमरीका से पी० एल० 480 करार के अन्तर्गत खाद्यान्न सम्बन्धी कुल कितनी सहायता प्राप्त हुई है ;

(ख) क्या अमरीका ने देश में खाद्य की वर्तमान कमी को दूर करने के लिये पी० एल० 480 कार्यक्रम के अन्तर्गत खाद्यान्न सम्बन्धी अतिरिक्त सहायता देने की पेशकश की है ; और

(ग) पी० एल० 480 कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत को खाद्यान्न की सप्लाई के बारे में वर्तमान स्थिति क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन): (क) से (ग) वर्ष 1966 के लिये पी० एल० 480 करार के अधीन अब तक सुलभ की गयी निधि से लगभग 69·3 लाख मीटरी टन गेहूं और लगभग 19·5 लाख मीटरी टन माइलो का आयात होगा। माइलो की थोड़ी सी मात्रा को छोड़ कर इन खाद्यान्नों का लदान अक्तूबर, 1966 तक पूरा होने की आशा है। अब तक उपयुक्त मात्राओं के अलावा पी० एल० 480 करार के अधीन संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा खाद्यान्नों की और मात्राएं भेजने का कोई वायदा नहीं किया गया है। तथापि, इस समय मामला विचाराधीन है।

अनाज का रक्षित भंडार

*196. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभाव के समय खाद्यान्न की कमी को पूरा करने तथा मूल्यों को बढ़ने से रोकने के लिये अनाज के रक्षित भंडार बनाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं और यह भंडार कब बनाया जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन): (क) जी हां।

(ख) 60 लाख मीटरी टन खाद्यान्न का, जिसमें 40 लाख मीटरी टन गेहूं तथा 20 लाख मीटरी टन चावल है, रक्षित भंडार बनाने का प्रस्ताव है। यह बताना कि यह रक्षित भंडार कब तक बनाया जायेगा संभव नहीं है। इसकी प्रगति आन्तरिक उपज की वृद्धि पर निर्भर है।

पालम हवाई अड्डे पर चिकित्सा सुविधायें

*197. श्री बागड़ी :
श्री किशन पटनायक :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री राम सेवक यादव :
श्री मधु लिमये :
श्री दे० द० पुरी :

क्या परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पालम हवाई अड्डे पर चिकित्सा सम्बन्धी सुविधायें अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के अनुरूप नहीं है ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार हवाई अड्डे पर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के अनुरूप चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था करने का है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन ने अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था के लिये कोई स्टैंडर्ड निर्धारित नहीं किया है। लेकिन उन्होंने इस संबंध में अन्तर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन अनुबंध 14 (हवाई अड्डे) में कुछ-कुछ निर्देशन किया है जो कि निम्नलिखित है :—

> "विमान दुर्घटना के कारण होने वाले हताहतों को हटाने और उनकी देखभाल करने के लिए एम्बुलेंस और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होने के बारे में हवाई अड्डा प्रबन्धकों को सावधानी से विचार करना चाहिए और उपर्युक्त व्यवस्था इस प्रकार की आपात स्थितियों का मुकाबला करने के लिए बनायी गयी समस्त आपात योजना का एक अंग होना चाहिए।

(ख) पालम सहित अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ परामर्श करके पर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है।

महाराष्ट्र में भूख से मृत्यु

198. **श्री मधु लिमये :**
श्री किशन पटनायक :
डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पूना के साप्ताहिक पत्र "आन्दोलन" में अप्रैल, 1966 और दैनिक पत्र "प्रभात" में मई, 1966 में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि महाराष्ट्र के पूना जिले में खेड़, और नासिक जिले में कालवान में एक व्यक्ति की भूख से मृत्यु हो गई;

(ख) क्या सरकार को काश्मीर, राजस्थान और मध्य प्रदेश में इसी प्रकार भूख से मृत्यु के समाचारों के बारे में मालूम है ;

(ग) क्या सरकार ने प्रधान मंत्री के इस वक्तव्य को देखा है कि उड़ीसा में बहुत समय से अपोषण के कारण भूख से कुछ मृत्यु हुई हैं ; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस प्रकार की मृत्यु के बारे में तथा लोगों की विपदा को दूर करने के लिये किये गये उपायों की रूपरेखा के बारे में एक विस्तृत विवरण सभा पटल पर रखने का सरकार का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मैनन): (क) सरकार ने समाचारपत्र की खबरें नहीं देखी हैं लेकिन महाराष्ट्र सरकार से पूछताछ की गयी है और हमें सूचित किया गया है कि नासिक जिले में कथित मौत दमा के कारण हुई थी। पूना जिले की मौत के बारे में सम्बन्धित व्यक्ति जो कि 65-60 वर्ष की आयु का था, कमजोर तथा बीमार था और बीमारी से मर गया जो कि मूसलाधार वर्षा के कारण पैदा हुई थी।

(ख) जम्मू तथा कश्मीर, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भुखमरी से हुई मौतों के बारे में आरोप लगाये गये हैं लेकिन ये मामले सही नहीं पाये गये।

(ग) प्रधान मंत्री ने ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया है कि उड़ीसा में भुखमरी से मौतें हुई थीं। उन्होंने लोक सभा में अपने 16 मई, 1966 के वक्तव्य में बताया था कि उनकी अपनी सामान्य धारणा यह थी कि कुछ मामलों में जो मौतें हुई थीं उन पर यदि पूर्ण रूप से विचार किया जाए,तो आयु, खराब स्वास्थ्य अथवा बीमारी जो कि काफी समय तक अपोषण तथा मन्द पोषण की अवस्था में रहने के कारण और गम्भीर हो गयी थी; इसकी यही पृष्ठभूमि रही है और उन्होंने यह देखा कि भुखमरी से घुल-घुल कर मरना इन मौतों का मुख्य कारण नहीं था।

(घ) उत्तर के भाग (क) से (ग) तक की दृष्टि में सभा पटल पर भखमरी से हुई मौतों के बारे में एक विस्तृत विवरण रखने का प्रश्न ही नहीं उठता। कमी से प्रभावित क्षेत्रों में संकट को रोकथाम के लिये जो उपाय किये गये हैं वे "कमी की स्थिति और उसका मुकाबला करने के लिये किये गये उपायों की समीक्षा" में दिये गये हैं। इसकी प्रतियां संसद् सदस्यों में परिचालित कर दी गयी हैं।

बम्बई के लिये सहायक पत्तन

*199. **श्री किशन पटनायक :**
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री अ० व० राघवन :

क्या **परिवहन, उड्डयन नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या बंबई के लिये एक सहायक पत्तन बनाने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) यह नया पत्तन किस स्थान पर बनाया जायेगा; और

(घ) इस पर कितना खर्च होने का अनुमान है और इस संबध में कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पड़ेगी ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री एन० संजीव रेड्डी) : (क) से (घ) सभा पटल पर एक विवरण प्रस्तुत है।

विवरण

बम्बई पत्तन के भावी विकास के लिये मास्टर योजना बनाने का कार्य बंबई पत्तन ट्रस्ट के सलाहकार इंजीनियरों को सौपा गया है। मास्टर योजना के अंग के रूप में मुख्य भूमि से दूर बंबई हारबुर के पूर्व की ओर न्हावा-शोवा क्षेत्र में अतिरिक्त पत्तन सुविधाओं के स्थान निर्धारण की शक्यता को निश्चित करने के लिये जांच की जा रही है।

न्हावा-शोवा में एक सहायक पत्तन विकसित करने की योजना के ब्यौरे अभी तैयार नहीं किये गये हैं। कुछ प्राकृतिक लाभ जिनसे स्थान पत्तन विकास के लिये उपयुक्त बन जाता है ये हैं— प्राकृतिक गहरा पानी, सड़क और रेल तक के लिये सुविधाजनक पहुंच की संभावना, शक्ति और जल की उपलब्धता, पत्तन पर अधारित उद्योगों के विकास के लिये बिलकुल निकट विस्तृत अविकसित भक्षेत्र की उपलब्धता, इत्यादि। इन लाभों के कारण इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया है कि बंबई पत्तन का भावी विकास बजाय मौजूदा डाक व्यवस्था स्थल के, जहा पर चारों ओर घना विकसित होने और सड़क और रेल पहुंच मार्गो पर अधिक दबाव के कारण और विस्तार की सीमित गुंजाइश है, न्हावा-शोवा पर होना चाहिये। अतः मास्टर योजना के अंग के रूप में न्हावा-शोवा पर एक सहायक पत्तन

के विकास के विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने का काम जारी है। आवश्यक तकनीकी और आर्थिक जांचों के पूरा होने के बाद अपेक्षित सुविधाओं के ठीक-ठीक प्रकार और गुंजाइश का निश्चय किया जायेगा। विकास योजना का साफ साफ चित्र, जिसमें परियोजना की लागत और विदेशी मुद्रा की आवश्यकता शामिल है, अप्रैल, 1967 के बाद जब मास्टर योजना के तैयार होने की आशा है, सामने आ सकेगा।

हल्दिया पत्तन परियोजना

†200. **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स चं० सामन्त :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री दे० दे० पुरी :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन, तथा पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हल्दिया पत्तन विकास परियोजना पर 42·4 करोड़ रुपये के व्यय का मूल अनुमान आवश्यकता से अधिक लगाया था और पुनरीक्षित अनुमान के अनुसार लागत घट कर केवल 36·9 करोड़ रुपये रह गई है ;

(ख) यदि हां, तो अधिक अनुमान लगाने के लिये कौन उत्तरदायी है;

(ग) क्या सरकार द्वारा नियुक्त की गई विशेष समिति की उपपत्तियों के अनुसार इसके लिये 4·4 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता का अनुमान यथार्थ है और यदि हां, तो मूल अनुमान में 14.4 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा का अनुमान कैसे लगाया गया था ;

(घ) क्या यह भी सच है कि इसके लिये विश्व बैंक की सहायता की आवश्यकता नहीं है, और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा विश्व बैंक से ऋण अथवा सहायता संबंधी अपनी प्रार्थना वापिस ले ली गई है अथवा ले लिये जाने की संभावना है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है

विवरण

(क) आवश्यकपता से अधिक अनुमान नहीं लगाया गया है। उल्लिखित दो राशियों में अंतर का यह कारण है कि वैकल्पिक योजना में पर्यवेक्षण और विविध कार्यों की व्यवस्था का हिसाब भिन्न आधार पर लगाया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) विदेशी मुद्रा की आवश्यकता के दो अनुमान अलग अलग धरणाओं के आधार पर हैं। 4.4 करोड़ रुपये की न्यून राशि इस धारणा पर अधारित है कि :—

(1) हल्दिया परियोजना की आवश्यकताओं के लिये मशीनों और विशिष्ठ जलयान के लिये देशी निर्माण क्षमता उपलब्ध होगी, और

(2) स्थानिक निर्माण के लिये अवयव और कच्चा सामान आयात करने के लिये धन शाख पर मिल जायेगा।

14·4 करोड़ रुपये की उच्चतर राशि इस धारणा पर अधारित है कि परियोजना के लिये विश्वव्यापी ठेका दिया जायेगा और देशी और विदेशी ठेकेदारों में से चयन उसी का किया जायेगा जिसका मूल्य न्यायसंगत होगा, इस प्रकार बड़ी राशि में यह संभावना शामिल थी कि आदेश विदेशी निर्माताओं को अंतर्राष्ट्रीय बोली के आधार पर दिये जायेंगे और वह राशि उचित शाख उपलब्ध होने पर भी आश्रित थी।

(घ) और (ङ) वैकल्पित योजना की सूचना विश्व बैंक को भी दी गयी है।

सड़क पर माल ढोने वाले ट्रक आदि वाहनों का राष्ट्रीयकरण

*201. **श्री स० चं० सामन्त :** **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्रीभागवत झा आजाद : **श्री सुबोध हंसदा :**

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन, तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सड़क पर माल ढोने वाले ट्रक आदि का राष्ट्रीयकरण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को क्रियान्वित करने के संबंध में मार्गापायों का सुझाव देने के लिये क्या तंत्र स्थापित किया गया है अथवा करने का विचार है;

(ग) क्या सरकार को पता है कि प्राइवेट मालिकों के हाथों जो माल ढोने के वाहन है उसमें भ्रष्टाचार, तस्कर व्यापार, माल का अवैध तथा अनाधिकृत लाना-ले-जाना खूब चल रहा है तथा इससे सड़क के अन्य उपयोगकर्ताओं के लिये समस्या उत्पन्न हो गई है ; और

(घ) यदि हां, तो इस विषय में सुधार करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): (क) से (घ) अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

(क) जी नहीं,

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) और (घ) परिवहन तथा विमानन मंत्रालय को समय समय पर गैर सरकारी सड़क परिवहन चालकों द्वारा विभिन्न अनाचार किये जाने की शिकायतें मिली हैं। ये अनाचार इस प्रकार हैं—माल मोटर गाड़ियों में अत्याधिक लदाई करना, निषिद्ध और वर्जित माल का परिवहन, इत्यादि। विभिन्न राज्यों में प्रवर्तन कर्मचारियों को और अधिक सतर्क होने और माल मोटर गाड़ियों की जांच करने और दृढ़ता से काम लेने का अनुदेश दिया गया है। ऐसा विचार है कि यदि माल मोटरगाड़ियों के चालकों की जीवन क्षम इकाइयां बना ली जावे तो स्थिति सुधर जाएगी। चालको की जीवन क्षम इकाइयां बनाने में प्रोत्साहन देने के उपायों की सिफारिश करने के लिए सरकार ने एक अध्ययन दल की नियुक्ति की है ।

2. माल बुकिंग के लाइसेंस और अग्रप्रेषक एजन्सियों के लिये मोटर गाड़ी (संशोधन) विधेयक 1965 में एक मूल अनुबंध जो राज्य सभा के संमुख है, शामिल किया गया है।

3. देश में सड़क दूर्घटनाओं का मुख्य कारण सड़कों पर चल रही गाड़ियों की संख्या में वृद्धि का होना है। राज्य सरकारों ने दुर्घटनाएं रोकने के लिये कई उपाय किये हैं, जैसे सड़कों को चौड़ी करना, कमजोर पुलों को प्रबल करना गति की सीमाओं को लागू करना सड़क संकेतों को स्थापित करना, इत्यादि ।

पश्चिम बंगाल को चावल की सप्लाई

*202. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि अत्याधिक सूखा पड़ने के कारण पश्चिम बंगाल में पटसन तथा आरम्भ की अगली "औस" धान की फसल को भारी हानि पहुंची है,

(ख) क्या यह सच है कि सरकार केरल को तो 9 लाख टन चावल दे रही है लेकिन उसने पश्चिम बंगाल को एक लाख टन से अधिक चावल देने से इन्कार कर दिया है, और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मैनन): (क) पश्चिमी बंगाल ने मार्च और अप्रैल में कम वर्षा होने से पटसन और शरदधान की फसलों की बुवाई और विकास पर कुप्रभाव पड़ सकता है। तथापि, इन फसलों की क्षति की मात्रा के बारे में कोई धरणा बनानी बहुत जल्दबाजी होगी।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

कलकत्ता पत्तन में पत्तन शुल्क

*203. **श्री सुबोध हंसदा** :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री कपुर सिंह :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री बूटा सिंह :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता पत्तन शुल्कों को बढ़ाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और इस प्रस्ताव को कार्यरूप में कब दिया जायगा; और

(ग) पत्तन शुल्को में वृद्धि के फलस्वरुप राजस्व में कितनी वृद्धि होगी ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन, तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ग) : सभा पटल पर एक विवरण प्रस्तुत है।

[विवरण

कलकत्ता पोर्ट एक्ट के अन्तर्गत विदेशी व्यापार में लगे हुये जहाजों द्वारा दिये जाने वाले प्रभारों पर 57.5 प्रतिशत के अधिभार लगाने का एक प्रस्ताव अनुमोदन के लिये प्राप्त हुआ है। अवमूल्यन के कारण, पत्तन को चालू, प्राक्कलन के अनुसार लगभग 1.5 करोड़ रुपये वार्षिक के अतिरिक्त व्यय की पूर्ति करनी है । इसका मुख्य कारण आई० बी० आर० डी० ऋणों पर से प्रभार और

स्टर्लिंग डिबेंचर में वृद्धि होना है। 1966-67 में पत्तन में अतिरिक्त व्यय लगभग 75 लाख रुपया होगा। इस अतिरिक्त व्यय के लिये पत्तन प्रभारों में वद्धि करना आवश्यक हो गया है। इस उदग्रहण से 117.7 लाख रुपये वार्षिक के अतिरिक्त राजस्व की आशा की जाती है।

यह प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। जहाज मालिकों के प्रतिनिधियों द्वारा इस प्रस्ताव पर उठाई गई आपत्तियों पर विचार कर इस पर निर्णय लिया जायगा।

विमान दुर्घटनायें

*204. **श्री गुलशन :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री हकम सिंह कछवाय :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री राम सेवक यादव :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966 में अब तक एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की कितनी विमान दुर्घटनायें हुई ;

(ख) इनमें कितनी हानि हुई तथा कितने व्यक्ति हताहत हुए ;

(ग) हताहत व्यक्तियों को यदि कोई प्रतिकर दिया गया तो कुल कितनी राशि दी गई ; और

(घ) यदि कोई जांच की गई है तो उसके क्या परिणाम निकले ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): (क) : 1 जनवरी, 1966 से एयर इंडिया का एक विमान और आई० ए० सी० के चार विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए। इसके अतिरिक्त, आई० ए० सी० द्वारा चार्टर पर चलाया जाने वाला एक डच रजिस्टर्ड विमान भी इस अवधि के दौरान दुघटनाग्रस्त हुआ।

(ख) इन दुर्घटनाओं में एक सौ छप्पन व्यक्ति मारे गये। दुर्घटनाग्रस्त छः विमानों में से तीन विमान पूरी तरह नष्ट हो गये। लेकिन इनका पूरा बीमा कराया हुआ था और उनके नष्ट हो जाने से कारपोरेशनों की कोई वित्तीय हानि नहीं हुई है। शेष तीन विमानों को काफी क्षति पहुंची है। इन दुर्घटनाओं के कारण कारपोरेशन को होने वाली क्षति के बारे में सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है।

(ग) एयर इंडिया द्वारा अभी तक किसी दावे का निबटारा नहीं किया गया है। इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ने मृत विमान कर्मदिल के नामितों को कुल 2,25,500 रुपये का मुआवजा दिया है। मत यात्रियों के कानूनी वारिसों को अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है क्योंकि अधिकांश मामलों में अभी तक कानूनी औपचारिकता पूरी नहीं की गयी हैं।

(घ) छः दुर्घटनाओं में से अभी तक केवल एक दुघटना की जांच पूरी हो पायी है। यह दुर्घटना विमान चालक की विमान उतारने की घटिया तकनीकी के कारण हुई है।

रूस द्वारा पशुओं का अस्वीकार किया जाना

*205. **श्री तुला राम :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री राम हरख यादव :
श्री कपूर सिंह :
श्री बूटा सिंह :
श्री नारायण रेड्डी :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूस सरकार ने राज्य व्यापार निगम के माध्यम से उत्तर प्रदेश

सरकार से खरीदे गये साहीवाल तथा मुर्रा नस्लों के पशुओं को लेने से इन्कार कर दिया है और उन्हें वापिस कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इनकी खरीद की शर्तें क्या थीं और उन्हें वापिस किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन): (क) से (ग) सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ की सरकार ने राज्य व्यापार निगम के साथ 42 अच्छी नस्ल के पशु खरीदने का अनुबन्ध किया था। पशु चिकित्सा सम्बन्धी शर्तें जो इस अनुबन्ध में रखी गई थी उनके अनुसार पहले उन पशुओं का फार्म में परीक्षण किया जाना था और फिर 14 दिन के बाद जहाज में लादने के समय रोग निरोधक आदि के बारे में परीक्षण किया जाना था । दूसरे परीक्षण के समय आठ पशुओं में ब्रूसलोसिस की शिकायत पाई गई । इसीलिए रूसी विशेषज्ञ ने सारे पशुओं को अस्वीकृत कर दिया। यह अस्वीकृति अनुबन्ध की शर्तों और अन्तर्राष्ट्रीय पशुधन व्यापार की स्वीकृत परम्पराओं के अनुकूल थी ।

सोयाबीन क तल का मुल्य

*206. **श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोयाबीन के तेल का मूल्य हाल में बढ़ गया है, और

(ख) यदि हां, तो सोयाबीन के तेल के मूल्य को बढ़ने से रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य , कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे):(क) जी हां ।

(ख) क्योंकि इस तेल का देश में उत्पादन नहीं होता इसलिये सरकार इस सम्बन्ध में कोई कदम उठाने की स्थिति में नहीं है ।

पराद्वीप पत्तन

*207. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :** **श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री हेम बरुआ : **श्री नाथ पाई :**

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पराद्वीप पत्तन का शासन तथा नियंत्रण पूर्णत: अपने हाथ में ले लिया है और यदि हां, तो इस पत्तन का प्रशासन किस धिकार को सौपा गया है;

(ख) पत्तन अधिकारियों तथा कर्मचारियों पर लागू होने वाली सेवा-शर्तें तथा नियम, जिसमें वेतन-क्रम शामिल है, क्या है और क्या उन्हें यह सुविधा तथा विशेषाधिकार 1 जून, 1966 से, जब से भारत सरकार ने इस पत्तन को अपने हाथ में लिया, दिये जा रहे हैं ; और

(ग) क्या केन्द्र श्रम-संबंधों पर भी नि त्रण कर रहा है और क्या पराद्वीप पत्तन में किसी विशेष यूनियन को अधिकारियों ने मान्यता प्रदान की है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी हां । उड़ीसा संवर्ग के एक उच्च आई० ए० एस० अधिकारी को पत्तन का प्रशासक नियुक्त किया गया है और उनकी सहायता के लिये एक पूरे समय के लिये मुख्य इंजीनियर तथा सामान्य अधीन कर्मचारी वर्ग है जो तकनीकी और प्रशासनिक मामलों की देख रेख करता है।

(ख) पत्तन कर्मचारियों को 1 जून, 1966 से केन्द्रीय वेतन मान और भत्ता तथा सेवा की अन्य शर्तें प्रदान की गई हैं जो अन्य केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिये हैं । इसके पूर्व जब कि परियोजना राज्य सरकार के अधीन थी तब उन्हें स्वीकार्य शर्तों पर रहने दिया गया था ।

(ग) पारादीप पत्तन एक बड़ा पत्तन है अतः उस पत्तन से संबंधित किसी विवाद के बारे में "उचित सरकारें" केन्द्रीय सरकार है । पारादीप पत्तन पर कार्य करने वाले विभिन्न संघों की सदस्यता की जांच से संबंधित कार्य श्रम और रोजगार विभाग ने शुरू किया है और जांच का कार्य पूरा होते ही उनकी मान्यता के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

राजस्थान के रेगिस्तान को बढ़ाने से रोकना

*208. **श्री कर्णी सिंहजी** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि राजस्थान का रेगिस्तान राजस्थान के नये क्षेत्रों के अलावा पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा जम्मू और काश्मीर की ओर फैल रहा है;

(ख) यदि हां, तो 1960 से लेकर 1965 तक अनुमानतः कितने क्षेत्र में रेगिस्तान फैल गया है ; और

(ग) रेगिस्तान को फैलने से रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र): (क) और (ख) : कोई ऐसा प्रमाण मौजूद नहीं है जिससे पता चले कि राजस्थान का रेगिस्तान राजस्थान के नये क्षेत्रों के अलावा पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा जम्मू व काश्मीर की ओर फैल रहा है । भारत के महा सर्वेक्षक के सर्वेक्षण के अनुसार इन राज्यों में राजस्थानी रेगिस्तान अधिक नहीं फैला है ।

(ग) फिर भी राजस्थान के रेगिस्तान की समस्या को हल करने के लिए भारत सरकार ने जोधपुर में केन्द्रीय मरुभूमि अनुसंधान संस्थान की स्थापना की है । अन्य बातों के अलावा यह संस्थान वेनारोपण के तरीकों के बारे में तथा भूमि संरक्षण की उन्नति विधियों के बारे में अनुसंधान करता है । संस्थान द्वारा प्राप्त हुए परिणामों के आधार पर राजस्थान की राज्य सरकार रेत के टीलों को फैलने से रोकने के लिए कार्यवाही कर रही है ।

हिन्द महासागर के संसाधनों का अध्ययन

*209. **श्री हरि विष्णुकामत** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाद्य तथा कृषि संगठन ने हिन्द महासागर के मछली संसाधनों

का अध्ययन करने के लिए एक अन्तर्राष्ट्रीय निकाय बनाने के हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) और (ख): खाद्य एवं कृषि संगठन की मछली विषयक समिति ने रोम में जून, 1966 में हुई अपनी पहली बैठक में हिन्द सागर में मछली संसाधनों के विषय में अनुसंधान करने तथा उन के उचित उपयोग करने के बारे में एक कार्यक्रम तैयार करने व मछली विषयक समिति की अगली बैठक में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए एक कार्यकारी दल की नियुक्ति करने के बारे में एक प्रस्ताव पास किया था। भारत को कार्यकारी दल का सदस्य नियुक्त किया है ।

उत्पादन लागत

902. **डा० राम मनोहर लोहिया :**

श्री मधु लिमये :

श्री किशन पटनायक :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री 10 मई, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 1597 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच प्रगतिशील मध्यम दर्जे के किसानों तथा औसत किसान की उत्पादन लागत के सम्बन्ध में आंकड़े एकत्रित कर लिये हैं ; और

(ख) इस सांख्यिकी के अध्ययन का क्या परिणाम निकला है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामनंदन मिश्र) (क) तथा (ख) : खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय द्वारा चलाई गई फार्म मैनेजमैन्ट स्टडीज़ को चालू वर्ष में पांच क्षेत्रों में बढ़ाया जा रहा है ताकि अन्य बातों के साथ-साथ कृषि जिन्सों के उत्पादन की लागत पर और उन्नत कृषि पद्धतियों को अपनाने सम्बन्धी दत्ता इक्ट्ठा किया जा सके। ये अध्ययन तीन कृषि वर्षों की अवधि से अधिक तक बढ़ेंगे। अध्ययन के प्रत्येक वर्ष के लिए रिपोर्टस उस वर्ष के दत्ता प्राप्त होने के बाद ही तैयार की जाएंगी। उपरोक्त अध्ययनों के अतिरिक्त कृषि मूल्य आयोग ने भी उन चुने हुए किसानों के उत्पादन की लागत पर दत्ता इक्ट्ठा करने के लिये एक योजना शुरू की है जिन्होंने सघन खेती जिलों में उन्नत तकनोलौजी अपनाई है ।

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के केन्द्र

903. **श्री मे० क० कुमारन :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के केन्द्र स्थापित करने की व्यावहारिकता के सम्बन्ध में विश्व बैंक के विशेषज्ञों ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस में क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) :

(क) अभी तक कोई रिपोर्ट विश्व बैंक से प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

केरल में भूमि का वर्गीकरण

904. **श्री अ० ब० राघवन :** क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार के धान से समाहार के लिये आर्थिक तथा सांख्यिकी ब्यूरो द्वारा किये गये फसल कटाई सर्वेक्षण के परिणामों के अनुसार भूमि के वर्गीकरण का पुनरीक्षण किया है ,

(ख) यदि हां, तो कितने और किन किन ताल्लुकों की श्रेणी घटाई गई है,

(ग) क्या केरल भूमि सुधार अधिनियम के अन्तर्गत उत्पादिता पर आर्थिक आंकड़े उचित मूल्य निर्धारित करने के लिये भी लागू होते हैं, और

(घ) आर्थिक तथा सांख्यिकी ब्यूरो के समाहार तथा उचित लगान निर्धारित करने के लिये प्रत्येक ताल्लुक के संबंध में कितना उत्पादन निर्धारित किया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन): (क) से (घ) एक विवरण (अनुबन्ध) संलग्न है ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल.टी—6608/66]

बडागरा-वयानाड़ सड़क

905. **श्री अ० ब० राघवन :** क्या परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के कोजीकोड जिले में वडागरा-वयानाड सड़क के निर्माण के मामले में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) वर्ष 1966–67 में कौनसा कार्य आरम्भ करने का विचार है ?

परिवहन , उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) : अपेक्षित सूचना केरल सरकार से मंगाई गई है और बाद में सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

केन्द्रीय नारियल अनुसन्धान संस्था

906. **श्री मे० क० कुमारन :** क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कायामकुलम, केरल स्थित केन्द्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव इस समय किस अवस्था में है ;

(ग) क्या सरकार को पता है कि इस अनुसंधान से नारियल उत्पादकों को कोई लाभ नहीं हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) तथा (ख). नारियल तथा सुपारी संबंधी अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना को अधिकृत करने पर विचार हो रहा है। इस परियोजना के अन्तर्गत कायानकुलम स्थित केन्द्रीय नारियल अनुसंधान केन्द्र को मजबूत बनाने का प्रस्ताव है।

(ग) अपने 18 वर्ष की अवधि के दौरान अनुसंधान केन्द्र ने लाभदायक कार्य किया है और नारियल की खेती को भारत में विशषतया केरल में इस केन्द्र द्वारा किए गए कार्य से बहुत लाभ पहुंचा है। नारियल के कीड़ों तथा रोगों को दूर करने में यह किसानों की सहायता कर रहा है।

(घ) उपरोक्त (ग) में दिए गए उत्तर को देखते हुये प्रश्न ही नहीं होता।

अन्तर्राज्यीय सड़कें

907. **श्री मे० क० कुमारन :** क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल और मद्रास को मिलाने वाली कौन कौन सी अन्तर्राज्यीय सड़कों का निर्माण हो रहा है ; और

(ख) इस समय निर्माण-कार्य किस अवस्था में है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) संभवत: प्रश्न का संदर्भ अन्तर्राज्यीय की महत्वपूर्ण सड़कों के निर्माण कार्य से है जो केन्द्रीय सहायता कार्यक्रम में शामिल हैं। सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है।

केरल और मद्रास को जोड़ने वाली निर्माणाधीन अन्तर्राज्य सड़कें

निर्माण कार्य का नाम	मौजूदा स्थिति
1 मन्नारघाट से चिन्नाथा डगम् तक सड़क	मील 16/8, 17/6 और 18/5 के उच्च स्तर के पुलों के अलावा सड़क पूरी हो गई है। ये तीनों पुल तथा पहुंच मार्ग प्रगति पर हैं और पूर्ण होने की अग्रिम स्थिति में हैं।
2 कुन्नामंगलम् सड़क में इरूवानी पूजा पर पुल का निर्माण	निर्माण-कार्य करीब करीब पूरा हो गया है।
3 कुन्नामंगलम् मुकम एरिया कोड-मंजरी रोड में पुलियों का निर्माण।	निर्माण कार्य करीब करीब पूरा हो गया है।

चित्तूर के चीनी मिल को गन्ने का सम्भरण

908. **श्री वासुदेवन नायर:** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में चित्तुर के चीनी मिल को मद्रास राज्य से गन्ना देने के करार की अवधि पूरी होने वाली है ;

(ख) यदि हां, तो गन्ना दिये जाने की शर्तें क्या थीं ; और

(ग) क्या इस करार की अवधि को पुनः बढ़ाने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शिन्दे) : (क) मद्रास सरकार ने केरल में चितूर के शकंरा कारखानों को पुलाची तालुक में लगभग 1000 एकड़ से गन्ना लेने की जो अनुमति दी है वह स्थायी आधार पर है। क्योम्बतूर तालुक में 2000 एकड़ के क्षेत्र से गन्ना लेने की अनुमति 20 जुलाई, 1966 को समाप्त हो गयी थी।

(ख) इस अनुमति की शर्तें मद्रास सरकार के जी० ओ० एम० नं० 2260 खाद्य तथा कृषि दिनांक 20 जुलाई, 1966 में दी गयी हैं। इसकी एक प्रति संलग्न है।

(ग) मामला मद्रास सरकार के विचाराधीन है।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल टी —6609/66]

एर्णाकुलम–कुन्नमकुलम सड़क

909. **श्री अ० व० राघवन** क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने कोचीन क्षेत्र के तटीय प्रदेश से होकर एर्णाकुलम और कुन्नमकुलम को मिलाने वाली एक नई तटवर्ती सड़क का निर्माण करने के मामले में कोई निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो यह निर्माण-कार्य कब आरम्भ होगा ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) प्रस्तावित तटीय सड़क चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के राज्य सरकार के प्रथम प्रस्तावों में शामिल है और इसमें लगभग 127.50 लाख रूपये की लागत लगेगी। इस सड़क का निर्माणधन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा जो चतुर्थ योजना को अन्तिम रूप दिये जाने के पश्चात् विदित होगा।

नायलोन के जाल बनाने वाला कारखाना

910. **श्री अ० व० राघवन** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में एर्णाकुलम में नायलोन के जाल बनाने वाला एक कारखाना स्थापित करने में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) कारखाने में उत्पादन कब तक आरम्भ हो जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) और (ख). जापान के संभरणकर्त्ताओं के साथ जाल तैयार करने के एक संयंत्र की सप्लाई के बारे में करार तय पाया है। यह संयंत्र संभवतः 1967 के मध्य तक आ जायेगा और 1968 के मध्य से यह संयंत्र अपना कार्य शुरू कर देगा।

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की नावें (ट्रालर्स)

911. **श्री राम हरख यादव :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने सम्बन्धी उद्योग का विकास करने के लिये नार्वे में बनी तीन छोटी नावें 24 जून, 1966 को बेरगेन में नार्वे स्थित भारतीय दूतावास को दी गई थीं ;

(ख) यदि हां, तो नावें भारत में कब तक पहुंच रही हैं ; और

(ग) इनकी लागत क्या होगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) एक 65 फुट गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाली नाव जून, 1966 में नार्वे स्थित भारतीय राजदूत को दी गई थी। अन्य दो 80 फुट मछली पकड़ने वाली नावें भी जुलाई, 1966 में भेजे जाने के लिये तैयार थीं।

(ख) आशा है नावें सितम्बर, 1966 के प्रथम सप्ताह तक भारत पहुंच जायेंगी।

(ग) ये नावें सहायता रूप में प्राप्त की जा रही हैं और इनकी कीमत लगभग 44.10 लाख रुपये हैं।

Cattle Development

912. **Shrimati Ramdulari Sinha:** Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development and Cooperation** be pleased to state :

(a) the number of all types of useless cattle in the country and details thereof ;

(b) whether any scheme has been formulated by the Central Gosamvardhana Parishad to check the increase in the number of useless cattle ; and

(c) if so, the broad features thereof ?

Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development & Cooperation (Shri Shinde) : (a) No authentic data about the type and number of useless cattle in the country is available.

(b) Yes. A pilot project for curbing propagation of un-economic cows has been taken up by the Central Council of Gosamvardhana this year.

(c) The project envisages the sterlisation of nondescript Cattle in a few Int nsive Cattle Development Blocks and Key Village areas. The Cattle after sterlisation will be maintained by the owner for sometime and will be covered freely in the village herd to test the efficacy of the method. To begin with 10 Centres are proposed to be opened and each Centre is expected to sterlise 200 cattle. The estimated cost of the scheme is about Rs. 50,000 during 1966-67.

नेफा में सहकारी क्षेत्र का विकास

913. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि तिब्बत के साथ वाणिज्यिक और व्यापारिक सम्बन्ध टूट जाने के

कारण नेफा के सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों को विकट आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो नेफा के लोगों की अर्थव्यवस्था को पुनः ठीक करने के लिये सहकारी क्षेत्र में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जी हां ।

(ख) प्रशासन द्वारा नेफा के लोगों की अर्थव्यवस्था को पुनः ठीक करने के लिए सहकारी क्षेत्र में निम्न कार्यवाही की जा रही है :—

(क) बहुतसी उपभोक्ता बहुधन्धी सहकारी समितियों को उदार उपदान तथा ऋण सहायता दी जा रही है।

(ख) सरकारी गाड़ियों/हवाई जहाजों में सहायता प्राप्त दरों पर ढुलाई की सुविधाएं दी जा रही हैं।

(ग) लोगों को जरूरी वस्तुएं सप्लाई करने के लिए नेफा प्रशासन के केन्द्रीय क्रय संगठन के तत्वावधान में सम्भरण डिपुओं का एक जाल बिछाया गया है । इन डिपुओं को इसके लिए अधिकृत किया जा रहा है कि वे स्थानीय लोगों से उन वस्तुओं को खरीद लें जिनका वे सामान्य रूप से व्यापार बंद होने से पूर्व तिब्बत में वस्तु-विनिमय अथवा विक्रय करते थे।

गन्ने की खेती

914. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिये जाने के फलस्वरूप बिहार के पूर्णिया जिले में लगभग तीन लाख मन गन्ने की खेती हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि बिहार सरकार ने न तो गन्ना पेरने की मशीन के लिए लाइसेंस दिया और न ही इस गन्ने की बिक्री के लिये कोई समुचित व्यवस्था की, जिसके परिणामस्वरूप उत्पादकों को विवश होकर गन्ना जलाना पड़ रहा है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). बिहार सरकार ने इस क्षेत्र के गन्ने की खपत का प्रबन्ध कर दिया था। यह गन्ना मैसर्स न्यू इण्डिया शूगर मिल लि०, हसनपुर, को दिया गया और इस मिल द्वारा सहकारी शर्करा फैक्ट्री, बनमनखी के क्षेत्र में से लिये गये सारे गन्ने पर बिक्री कर में छूट दी गयी ।

हसनपुर के चीनी कारखाने द्वारा गन्ने के मूल्य का भुगतान न किया जाना

915. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हसनपुर के चीनी कारखाने ने जनवरी और फरवरी, 1966 में

उसे दिये गये गन्ने के मूल्य का अभी तक भुगतान नहीं किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे): (क) हसनपुर के शर्करा कारखाने ने जनवरी और फरवरी, 1966 में सप्लाई किये गये गन्ने के मूल्य की देय 32.67 लाख रुपये की राशि में से 7 जुलाई, 1966 तक ६ 0.08 लाख पये का भुगतान कर दिया था।

(ख) शेष 2.59 लाख पये की बकाया राशि का भुगतान सम्भवतया गन्ना उत्पादकों से भुगतान की मांग न होने के कारण नहीं किया गया है ।

पूर्वी पाकिस्तान को चीनी का चोरी छिपे ले जाया जाना

916. श्री च० का भट्टाचार्य : क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच विभाग ने शिकायत की है कि पूर्वी पाकिस्तान को कलकत्ता से चोरी छिपे चीनी भेजी जा रही है ;

(ख) क्या नकली बीजकों की सहायता से उत्तर प्रदेश से कलकत्ता लाई गई चीनी कलकत्ता के हावड़ा स्टेशन पर पकड़ी गई है ;

(ग) उत्तर प्रदेश से चीनी कैसे भेजी गई थी ; और

(घ) परमिट किसने जारी किया था ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख), (ग) और (घ). जी हां। उत्तर प्रदेश से लाई गई कुछ शर्करा हावड़ा स्टेशन पर पकड़ी गयी है और मामले की और छानबीन हो रही है ।

सोनीपत में भूचाल के झटके

917. श्री लखमू भवानी : क्या परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सोनीपत में पिछले तीन वर्षों से प्राय: नियमित रूप से भूचाल के झटके आ रहे हैं ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम निकला है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): (क) जी हां ।

(ख) और (ग). भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था, जोकि भूकम्पों के कारणों के बारे में प्रयोगात्मक अध्ययन और जांच करने के लिए उत्तरदायी है, भारत मौसम विज्ञान विभाग के सहयोग से जांच कार्य कर रही है। प्रारंभिक अध्ययनों से पता चलता है कि सोनीपत में और उसके आसपास भूकम्प के हलके झटकों के आने का कारण, आधार चट्टानों से लगे विंध्यान लाइमस्टोन में सम्भावित

कन्दराओं का टूटना है । आगे अध्ययन जारी है और भिन्न भिन्न तीव्रता के भूकम्प के झटकों के आने की संभावना के विषय में, कुछ वर्षों के भूकम्प विज्ञान सम्बन्धी तथा अन्य आंकड़ों को प्राप्त करने के बाद बताया जा सकता है ।

केरल को चावल का सम्भरण

918. **श्री वासुदेवन नायर :** क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी से जून, 1966 तक अन्य राज्यों से केरल को कितना चावल भेजा गया;

(ख) क्या अन्य देशों से आयातित चावल केरल भेजा गया है और यदि हां, तो जनवरी से जून, 1966 तक कितना चावल भेजा गया है; और

(ग) 1966 में मद्रास तथा आन्ध्र प्रदेश से केरल को कितना चावल भेजने का वचन दिया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन): (क) लगभग 2.47 लाख मीटरी टन ।

(ख) जी हां । लगभग 1.78 लाख मीटरी टन ।

(ग) 1966 में केरल को न तो मद्रास अथवा आन्ध्र प्रदेश से कोई विशिष्ट मात्रा के भेजने का वायदा किया गया था ।

विशेष विवाह अधिनियम

919. **श्रीमती सावित्री निगम :** क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने विशेष विवाह अधिनियम में संशोधन करने का निर्णय कर लिया है ताकि उसमें विद्यमान कमियां दूर की जा सकें; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विधि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन): (क) और (ख). न्यायिक पृथक्करण की या दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन की किसी डिक्री के किसी भी पक्षकार को, विच्छेद के लिए आवेदन करने का अधिकार प्रदत्त करने के हेतु, विशेष विवाह अधिनियम, 1954 का संशोधन करने के लिए एक विधेयक सभा में 27 जुलाई, 1966 को पुरःस्थापित किया गया है ।

Sugar Mills in Madhya Pradesh

920. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Rameshwaranand :
Shri Raghunath Singh :

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development and Cooperation** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Government of Madhya Pradesh propose to set up nine sugar mills in the cooperative sector:

(b) if so, the location of the proposed mills and when they are likely to start working ;

(c) whether the Government of Madhya Pradesh have asked for approval of the same from the centre ; and

(d) the reaction of the Central Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Shinde) : (a) to (d) Nine applications were recommended by the Government of Madhya Pradesh for the establishment of co-operative sugar factories in Madhya Pradesh at the following places :—

Sl. No.	*Proposed location*
1.	Morena District (Kailaras)
2.	Indore District
3.	Shivpuri District (Karera)
4.	Tikamgarh District (Niwari)
5.	Chhindwara District
6.	Narsinghpur District (Kareli)
7.	Jabalpur District
8.	Hoshangabad District (Pipariya)
9.	Betul District (Betul)

Letter of intent has been issued in August, 1965 for the establishment of one factory in Morena District at Kailaras mentioned at S. No. 1 above. Generally it takes about two to three years for the establishment of a new sugar factory. The remaining cases at S. Nos. 2 to 9 have not been found suitable.

Wholesale Consumers Co-operative Store, Delhi

921. **Shri Naval Prabhakar** : Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development and Co-operation** be pleased to state :

(a) whether the Wholesale Consumers' Co-operative Store, Delhi has installed a poultry feed plant ;

(b) if so, the details thereof ;

(c) the production capacity of the plant ; and

(d) the number of persons employed for the purpose ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri S. D. Misra) : (a) Yes, Sir.

(b) The plant has a grinder and a horizontal mixer of 50 cft. capacity. Different ingredients of poultry feed, are powdered and mixed in prescribed quantities so as to constitute a balanced poultry feed.

(c) About 8 tons per day.

(d) 17 persons are employed in the plant.

Hunger Strike Against Cow-Slaughter

922. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Ramesh Waranand:
Shri Ragunath Singh :
Shri Bade:
Shri Kashi Ram Gupta :
Shri Brij Raj Singh :

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development and**

Cooperation be pleased to state :

against cowslaughter;

(b) whether it is also a fact that the condition of these sadhus is serious; and

(c) if so, the action taken by Government in this regard ?

Depty Minister in the Ministry of Food Agriculture Community Development and Cooperation (Shri Shinde) : (a) : No.

(b) & (c) : Do not arise.

छोटी गडक पर पुल

923. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोटी गंडक नदी पर पुल बनाने के बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है जिससे बिहार तथा उत्तर प्रदेश में सम्पर्क स्थापित हो जायेगा; और

(ख) यह पुल कब पूरा हो जायेगा ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) (क) पुल के कुएंदार नीवों का कार्य लगभग पूरा हो गया है ।

(ख) पुल के चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक पूरे हो जाने की आशा है।

गन्ने का मूल्य

924. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय : डा० महादेव प्रसाद : श्री मोहन स्वरूप :**

क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के सम्बन्धित चीनी कारखानों ने 1965–66 की फसलों में उन्हें दिये गये गन्ने के मूल्य की काफी बड़ी राशि का भुगतान नहीं किया है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे): (क) उत्तर प्रदेश के शर्करा कारखानों ने गन्ने के मूल्य की कुल 72.17 करोड़ रुपये की राशि में से 30 जून, 1966 तक रु० 68.24 करोड़ का भुगतान कर दिया था। रु० 3.93 करोड़ बकाया है ।

(ख) सामान्यत: नकद रुपये न होना ।

(ग) कारखानों के पास शर्करा के स्टाक के बिकने पर कुछ हद तक स्थिति में सुधार होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने बकाया देय वसूल करने के लिये 34 चूक करने वाले कारखानों को वसूली प्रमाण पत्र जारी किये हैं ।

'डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के केरेवल विमान की दुर्घटना

925. श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :

क्या परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 15 फरवरी, 1966 को पालम हवाई अड्डे पर इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के केरेवल विमान की दुर्घटना के कारणों सम्बन्धी जांच इस बीच पूरी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो जांच निष्कर्ष क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने प्रतिवेदन पर विचार कर लिया है और यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) (क) जी, हां।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Fare Meters for Scooters

926. **Shri Naval Prabhakar:** Will the Minister of **Transport, Aviation, Shipping and Tourism** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3919 on the 19th April, 1966 and state:

(a) the time by which fare meters would be fitted in all the scooter rickshaws in Delhi; and

(d) the present rate per kilometre ?

Minister of Transport, Aviation, Shipping and Tourism (Shri Sanjiva Reddy): (a) It is expected that all the scooter ricksha ws in Delhi will be fitted with fare meters by the end of March, 1967, If the present rate of supply of these meters is maintained by the manufacturers concerned.

(d) The existing rate of fares for these vehicles in Delhi is 40 paise for the first 1 1/2 kilometres or part thereof and 10 paise for every additional 1/2 kilometre or part thereof.

For detention, a further charge of 10 paise for every 8 minutes or part thereof. is made.

Cooperative Farming in Delhi

927. **Shri Naval Prabhakar:** Will the Minister of **Food and Agriculture, Community Development and Cooperation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the chief Commissioner of Delhi is not in favour of co-operative farming;

(b) whether it is also a fact that these views were expressed by him at a meeting of the Village Development Committee; and

(c) if so, whether Government have changed their policy in regard to Delhi ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri S. D. Mishra). (a) No. Sir.

(b) No. Sir.

(c) Does not arise.

Consumers Cooperative Stores in Delhi

928. Shri Naval Prabhakar: Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development and Cooperation** be pleased to state :

(a) the number of Consumers Cooperative Stores in Delhi at present:

(b) the approximate number of share-holders thereof; and

(c) the amount of financial assistance provided to them under the head 'Management' during the current financial year ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri S. D. Misra): (a) 393.

(b) 1,30,558 as on 30th June, 1966.

(c) A budget provision of Rs. 54,800 has been made during the current year for management subsidy. No assistance has, however, yet been released.

बीकानेर में दिल्ली दुग्ध योजना की नई दुग्धशाला

929. श्री दी० चं० शर्मा : **श्री रामेश्वरानन्द :**
श्री हुकम चन्द कछवाय : **श्री रघुनाथ सिंह :**

क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीकानेर, राजस्थान में एक नई दुग्धशाला स्थापित करने का प्रस्ताव है ताकि दिल्ली दुग्ध योजना को अधिक दूध मिल सके; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) अभी तक योजना के ब्यौरे को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है । हां प्रतिदिन 100,000 लिटर दूध की निकासी की क्षमता वाले एक डेरी संयन्त्र की स्थापना के बारे में निर्णय हुआ है; शुरु में इस संयन्त्र की क्षमता 50,000 लिटर होगी ।

कानूनी तौर पर राशन व्यवस्था

930. श्रीमती रेणुका राय : **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री राम सहाय पाण्डेय : **श्री स० चं० सामन्त**
श्री श्रीनारायणदास : **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री लिंग रेड्डी : **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : **श्री रा० बरुआ :**

क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने तथा किन किन शहरों में सीमित और कानूनी तौर पर राशन व्यवस्था लागू की गई है,

(ख) जिन क्षेत्रों में कानूनी तौर पर राशन व्यवस्था लागू की गई है उनके लिये उपेक्षित खाद्यान्न कहां तक सरकार द्वारा दिया जा रहा है, और

(ग) विभिन्न राज्यों में जहां कानूनी तौर पर राशन व्यवस्था लागू है, राशन में गेहूं और चावल की मात्रा कितनी है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मैनन) : (क) सीमित और सांविधिक राशन व्यवस्था 12 शहरों अर्थात कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली, मद्रास, हैदराबाद, सिकंदराबाद, कानपुर, क्योम्बतूर, विशाखापत्तनम, पूना, नागपुर, शोलापुर और सिलीगुड़ी में लागू की गयी है। दुर्गापुर आसनसोल औद्योगिक क्षेत्र में ऐसे प्रबन्ध किये गये हैं। सारे केरल राज्य में भी राशन व्यवस्था लागू है।

(ख) भारत सरकार अपेक्षित गेहूं के स्टाक की सारी मात्रा सप्लाई करती है। भारत सरकार राज्यों को चावल की सप्लाई उपलब्धि के अनुसार कर रही है।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

[पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी०—6610/66]

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के विमान की उड़ान में विलम्ब होना

931. **श्री प्र० चं० बरुआ :** **श्रीमती सावित्री निगम :**

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन का बम्बई से प्रातःकालीन चलने वाला विमान जिसमें फिल्म कलाकार, राज्य फिल्म पुरस्कार विजेता यात्रा कर रहे थे 25 मई, 1966 की शाम के 6.55 बजे दिल्ली पहुंचा जबकि निर्धारित समय के अनुसार इसे सुबह 10.55 बजे दिल्ली पहुंच जाना चाहिये था जिसके परिणामस्वरूप 26 मई, 1966 की फिल्म पुरस्कार समारोह फिर से करना पड़ा; और

(ख) यदि हां, तो इस उड़ान में किन परिस्थितियों में देरी हुई ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन की उड़ान नम्बर 406 (बम्बई/दिल्ली) में 25 मई, 1966 की इंजन की खराबी के कारण 8 घण्टे की देरी हो गयी। इससे 26 मई, 1966 को फिल्म पुरस्कार समारोह फिर से नहीं करना पड़ा लेकिन उस दिन फिल्म फेडरेशन आफ इंडिया ने फिल्म पुरस्कार विजेताओं के सम्मान में एक स्वागत समारोह किया जिसमें प्रधान मंत्री मुख्य अतिथि थीं। इस स्वागत समारोह में उन कलाकारों को सोवीनीर इत्यादि प्रदान किये गये, जो कि विमान के देर से पहुंचने के कारण राज्य फिल्म पुरस्कार के पिछली शाम को हुए वार्षिक समारोह में भाग नहीं ले सके।

Crash of Air India Boeing at Mont Blanc

932. **Shri Sidheshwar Prasad :** **Shri Ram Harkh Yadav :**
Shri Surendra Pal Singh :

Will the Minister of **Transport, Aviation, Shipping and Tourism** be pleased to refer to the reply given to the Starred Question No. 5097 on the 10th May, 1966 and state :

(a) whether the inquiry into the air crash of Air India's Boeing Airliner which took place on Mont Blanc on the 24th January, 1966 has since been completed;

(b) if so, the findings thereof; and

(c) the safety measures taken thereafter to avert such accidents ?

Minister of Transport, Aviation, Shipping and Tourism (Shri N. Sanjiva Reddy): (a) No. Sir.

(b) and (c) Do not arise.

Regulation of Cooperative Societies

933. Shri Sidheshwar Prasad: Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development and Cooperation** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5726 on the 17 May, 1966 and state:

(a) whether the steps suggested for the regulation of Cooperative Societieshave been accepted by all the State Governments ;

(b) whether all the State Governments are implementing the same; and

(c) if so, to what extent ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri S. D. Misra): (a) to (c) A Statement is attached.

(i) The suggestion that Government officials holding key positions in Cooperative Societies, such as Chariman of the Committee of Management, should be replaced by elected non-officials has been accepted by all the State Governments. Accordingly, Government officials are being progressively withdrawn from such positions in all States.

(ii) Statutory provision for delegation of some of the powers of the Registrar to federal cooperative organisations has been made in the State Cooperative Societies Acts of Maharashtra, Gujarat, Rajasthan, Orissa and Bihar.

(iii) The Cooperative Societies Acts of Madras, Rajasthan, Punjab, J & K, Andhra Pradesh and West Bengal empower the Government to nominate three Directors or 1/3rd of the total number of Directors, whichever is less. The Gujarat and Mysore Acts empower the Government to nominate not more than 3 members on the Committee of a Cooperative Society. The Orissa Act empowers the Government to nominate 1/3rd of the total number of members of the Committee. The U. P. Act provides for nomination of two persons by the Government and where the Government share participation is 60% or more, Government can nominate up to 2/3rd and also the chairman for a period of 5 years or until the share participation goes down to less than 50%. There is no provision in the Maharashtra Act for Government nomination on the Committee of a society to which Government might have given share capital contribution or other financial assistance.

There is no provision for veto by Government nominated Directors in the State Cooperative Societes Act of any State except Punjab.

Potato Cultivation

934. Shri Sidheshwar Prasad : Will the Minister of **Food, Agriculture, Communit Development and Cooperation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that potato cultivation has increased considerably during the last few years ;

(b) if so, the steps taken by Government to increase the use of potato as principal diet; and

(c) whether any analysis has been made regarding the nutritional value of potato as compared with cereals ?

Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri P. Govinda Menon) : (a) Yes, Sir. The potato cultivation has increased during the last few years. The information in respect of acreage production under potato cultivation and production of potato during the last four years is as follows :—

Year	Area (hectare)	Production (Tonnes)
1961-62	365,000	2,447,000
1962-63	411,000	3,336,000
1963-64	405,000	2,554,000
1964-65	417,000	3,452,000

(b) The Government through various agencies including the Mobile Food and Nutrition Extension units in the Department of Food, has initiated programmes to diversify the Indian dietary through the increased use of subsidiary foods including tubers such as potato, sweet potato etc. Recipes for several dishes incorporating potatoes have been worked out, by the Institute of Catering Technology and Applied Nutrition at Bombay and have been published. The Central Food Technological Research Institute Mysore has also brought out a recipe book on potato with detailed Nutritional Composition of the different recipes of potatoes.

(c) Yes, Sir. The Composition of the Nutritive value of potato in relationship with nutritive value of cereals is given below :—

Value per 100 gms. of Edible portion

	Edible Portion	Moisture	Proteins	Fat	Minerals	Fibre	Carbohidrate	Calorie.
Potato	100	74·7	1·6	0·1	0·6	0·4	22·6	9
Wheat	100	12·8	11·8	1·5	1·5	1·2	71·2	346
Rice Raw Milled	100	13·7	6·8	0·5	0·6	0·2	78·2	345
Rice Parboiled Milled	100	13·3	6·4	0·4	0·7	0·2	79·0	348

Price Of Rice Fixed By Biher Government

935. **Shri Sidheshwar Prasad** : Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development and Cooperation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Government of Bihar have fixed the rate of rice at Rs. 31·25 per maund as against the prevailing market rate of Rs. 45 ;

(b) if so, the manner in which Government propose to c ompensate the loss suffered by the farmers; and

(c) the steps being taken by the Central Government to make available to the farmers the necessities of life at fixed rates ?

Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation(Shri P. Govinda Menon) : (a) and (b) Rs. 83·80 Per. per quintal which roughly corresponds to Rs. 31·25 per maund is the wholesale issue price of internally

procured coarse rice fixed by the State Government. As this price is meant for consumers only, the question of farmers suffering any loss on account of this price does not arise.

(c). Steps have been taken to make available kerosene and sugar to consumers in rural areas at controlled rates. For facilitating agricultural operations, seeds and fertilizers are also being supplied at reasonable rates.

Increase in Quantity of Ration in Kerala

936. Shri Sidheshwar Prasad :
Shri Rishang Keishing :

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development and Cooperation** be pleased to state :

(a) whether the quantity of ration being supplied to the people in Kerala has been increased recently ; and

(b) if so, the quantity thereof and the reasons that even the increased quantity is less as compared to the ration allotted in other States ?

Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri P. Govinda Menon) : (a) and (b) The quantum of cereal ration in Kerala has been 280 grams per adult per day since 20-3-1966. This quantum is almost equivalent to the quantum of 2 Kgs. per adult per week issued in statutorily rationed areas, though, in Kerala, the rationing is only informal and supplies, however limited, are available in the open market.

Damage to I. A. C. Plane at Santa Cruz Airport

938. Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Rameshwaranand :
Shri Raghunath Singh :

Will the Minister of **Transport, Aviation, Shipping and Tourism** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a plane of the Indian Airlines Corporation got damaged at the Santa Cruz Airport on the 20th April, 1966 ;

(b) if so, the causes thereof ; and

(c) the extent of the loss involved ?

Minister of Transport, Aviation, Shipping and Tourism (Shri N. Sanjiva Reddy): a) and (b)j No, Sir. No aircraft of Indian Airlines Corporation was involved in any accident at Santa Cruz Airport on the 20th April, 1966. However, on that day an Air India, Boeing aircraft, while engaged on a training flight was damaged. While executing the landing the aircraft made a normal touch-down but swung to the right and continued to roll in that direction despite efforts made by the Flight Instructor to correct the swing which proved futile.

(c) There was some damage to the body of the aircraft and one of the engines. From present estimates, it appears that the cost of repairs would be approximately Rs. 4·80 lakhs of which Rs. 3·10 lakhs would have to be borne by Air India as 1% of the total insured value of Rs. 310 lakhs.

Prices of Foodgrains in Delhi

939. Shrimati Savitri Nigam : Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development and Cooperation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that as a result of the formation of a food zone comprising of Punjab and Delhi, prices are declining in Narela and Najafgarh where rationing is not introduced, whereas prices are rising in the rationed area of Delhi ; and

(b) if so, the reasons therefor ?

Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri P. Govinda Menon) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

उड़ीसा में केन्द्रीय बीज फार्म

940. **डा० राम मनोहर लोहिया :**
श्री बागड़ी :
श्री मधु लिमये :
श्री रामसेवक यादव :
श्री किशन पटनायक :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री 17 मई, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5705 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में एक केन्द्रीय बीज खेत स्थापित करने के प्रस्ताव पर इस बीच विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसका **ब्यौरा क्या है ?**

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) और (ख). हीराकुड बान्ध जलागार के आफशोर तथा उपान्त क्षेत्रों में लगभग 10,000 एकड़ भूमि में एक केन्द्रीय बीज फार्म की स्थापना करने का निर्णय किया गया है। योजना का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है ।

पंचायती राज संस्थाएं

941. **श्री श्रीनारायण दास :**
श्रीमती जयाबेन शाह :
श्री लिंग रेड्डी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री यशपाल सिंह :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री मधु लिमये :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान श्री जयप्रकाश नारायण द्वारा लगाये गये इस आरोप की ओर दिलाया गया है कि सरकार पंचायती राज संस्थाओं की उपेक्षा कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने पंचायती राज प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना के लिये अनुदान बन्द करने का निर्णय किया है और क्या उन में से कोई केन्द्र बन्द कर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और कितने ऐसे केन्द्र बन्द कर दिये गये हैं तथा अनुदान में कितनी कटौती की गई है ?

खाद्य, कृषि सामदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) सरकार का ध्यान श्री जयप्रकाश नारायण की अध्यक्षता में मई 1966 में अखिल भारतीय पंचायत-परिषद द्वारा पास किए गए संकल्प की ओर दिलाया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि पंचायती राज संस्थाओं के प्रति केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के रुख में उदासीनता तथा शीतलता आ गयी है।

(ख) पंचायतीराज के प्रति सरकार के रुख में कोई परिवर्तन नहीं आया है। सरकार ग्राम विकास तथा प्रशासन में पंचायतीराज संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को अब भी स्वीकार करती है। इसे देश भर में लागू करने तथा हर प्रकार से इसके कार्यकरण को मजबूत बनाने के लिए जो कुछ वें कर सकती हैं, कर रही है।

(ग) जी नहीं। वर्तमान पंचायतीराज प्रशिक्षण केन्द्रों के कार्यकरण का मूल्यांकन किया जा रहा है। वर्तमान प्रशिक्षण केन्द्रों को उनके व्यय के एक भाग की पूर्ति के लिए केन्द्रीय सहायता, शेष राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाता है, केवल तीसरी योजना अवधि तक ही सीमित थी, जिसके बाद सारा खर्च राज्यों को वहन करना था। इसपर भी केन्द्रीय सरकार ने, विशेष मामले के रूप में, उन केन्द्रों के बारे में चौथी योजना के पहले वर्ष में अपनी वित्तीय सहायता जारी रखना मंजूर कर लिया है, जिन्हें चालू हुए अभी पांच वर्ष नहीं हुए हैं। उड़ीसा के सिवाय अन्य किसी भी राज्य में पंचायतीराज प्रशिक्षण केन्द्रों के बंद करने की अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है।

(घ) उड़ीसा में 10 में से 6 केन्द्रों को पहली जून, 1966 से बंद किया गया है। राज्य सरकार ने इसका कारण क्षमता का कम उपयोग होना दिया है; इससे 2.6 लाख रुपए प्रतिवर्ष की बचत होने की आशा है।

रायलसीमा में सूखे की स्थिति

942. **श्री ईश्वर रेड्डी :**
श्री कोल्ला वेंकैया :
श्री पें० वेंकटासुब्बया :
श्री कृ० चं० पंत :
श्री म० ना० स्वामी :
श्री रवीन्द्र वर्मा :

क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने रायलसीमा तथा आन्ध्र प्रदेश के कुछ अन्य भागों में विद्यमान सूखे की स्थिति का विस्तार से अनुमान लगा लिया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य में सूखे की स्थिति के कारण फसलों को कितना नुकसान हुआ है; और

(ग) राज्य के सूखे से पीड़ित क्षेत्रों में सहायतार्थ कार्य आरम्भ करने के लिये सरकार ने राज्य को क्या सहायता प्रदान की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन): (क) जी हा, वित्त आयोग के कार्यक्रम सलाहकार के नेतृत्व में वित्त, स्वास्थ्य, सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय और कृषि विभाग के अधिकारियों के एक केन्द्रीय दल ने फरवरी, 1966 में आन्ध्र प्रदेश में सूखे की स्थिति का अध्ययन करने के लिये उस राज्य का दौरा किया था।

(ख) जुलाई, 1966 के दूसरे सप्ताह में लगाये गये अनुमान के अनुसार आन्ध्र प्रदेश में 1965-66 के कृषि वर्ष में 1964-65 के कृषि वर्ष की तुलना में खाद्यान्न के उत्पादन में लगभग 1,245 मिटरी टन की कमी हुई है।

(ग) राज्य में बूढ़ों, अस्वस्थ व्यक्तियों, बच्चों, गर्भवती स्त्रियों तथा दुध पिलाने वाली माताओं को मुफ्त वितरण के लिये दिये गये खाद्यान्न, दुग्ध पाउडर तथा बिस्कुटों के अतिरिक्त, भारत सरकार ने राज्य सरकार को वहां सहायता कार्यों पर व्यय करने के लिये एक करोड़ रुपयों का ऋण मंजूर किया है। सहायता का विस्तृत ब्यौरा "अभाव की स्थिति का पुनर्विलोकन तथा उसका मुकाबला करने के लिये किये गये उपाय" में दिया गया है, जिस की प्रतिलिपियां पहले ही संसद सदस्यों को बांट दी गई है।

पर्यटन

943. **श्री लिंग रेड्डी :** **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में पर्यटन के जरिये कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गयी; और

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना में पर्यटन के लिये कितने धन का उपबंध किया गया है और इससे कितनी विदेशी मुद्रा की आय होने की आशा है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) (क) तीसरी पंचवर्षीय योजना काल के कैलैण्डर वर्षों में पर्यटन द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा की राशि जैसी पर्यटन विभाग द्वारा अस्थायी तौर पर प्राक्कलित की गई है, 103 करोड़ रुपये है।

(ख) पर्यटन के लिये चतुर्थ योजना काल में 25 करोड़ रुपये की राशि की व्यवस्था किये जाने की सूचना उपलब्ध है। इसमें से केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा की जाने वाली पर्यटक विकास योजनाओं के लिये 20 करोड़ रुपये और भारत पर्यटन निगम को 5 करोड़ रुपये दिये जायेंगे।

ऐसा अस्थायी तौर पर प्राक्कलित किया जाता है कि चतुर्थ योजना काल में 137 करोड़ रुपये का अर्जन होगा।

सहकारी समिति के माध्यम से कृषि उत्पादन को बढ़ावा

944. **श्री लिंग रेड्डी :** **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने तथा देश में खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिये सहकारी समितियों से कहां तक काम लिया जा रहा है;

(ख) उन सेवा तथा उपभोक्ता सहकारी समितियों की संख्या क्या है जिन्हें देश के अनेक भागों में इस कार्य पर लगाया गया है; और

(ग) उनकी संख्या बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रामेश्वर सिंह) : (क) देश में कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने और खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिए सहकारी समितियों का उपयोग निम्न प्रमुख प्रकार से किया जाता है:—

(1) मौसमी कृषि कार्यों तथा भूमि की उत्पादिता बढ़ाने के लिए भूमि विकास सम्बन्धी ऋण आवश्यताओं की पूर्ति हेतु कृषकों के लिए अल्प, मध्य तथा दीर्घकालीन ऋणों की व्यवस्था करना।

(2) बीज, उर्वरक, कीटनाशक दवाएं, कृषि औजार आदि कृषि उत्पादन सम्बन्धी वस्तुओं की पूर्ति ।

(3) विपणन समितियों के माध्यम से कृषि उपज बेचने की सुविधाओं की व्यवस्था करना ताकि किसान उपज के लिए उचित मूल्य प्राप्त कर सकें ।

(4) ग्रामीण क्षेत्रों में विपणन समितियों तथा ग्राम सहकारी समितियों के माध्यम से उचित मूल्यों पर अत्यावश्यक उपभोक्ता वस्तुएं सुलभ करना ।

(5) शहरी क्षेत्रों में अत्यावश्यक उपभोक्ता वस्तुएं उचित मूल्यों पर थोक उपभोक्ता भण्डारों तथा प्राथमिक खुदरा उपभोक्ता भण्डारों के जाल तथा बड़े शहरों में बहु विभागी भण्डारों के माध्यम से सुलभ करना ।

(ख) देश के अनेक भागों में वर्ष 1965–66 में 2.08 लाख प्राथमिक ऋण समितियां, जिनमें शहरी क्षेत्रों की लगभग 45,000 सेवा समितियां, 2,321 प्राथमिक विपणन समितियां, 245 थोक उपभोक्ता भण्डार और लगभग 7,650 प्राथमिक/शाखा भण्डार शामिल हैं, इस कार्य में लगी हुई थीं ।

(ग) (1) आशा है कि चौथी योजना के अंतिम वर्ष तक अल्प तथा मध्यकालीन सहकारी ऋणों की राशि बढ़कर लगभग 700 करोड़ रुपए हो जाएगी और इसके अलावा अधिक पैदावार वाली किस्मों के कार्यक्रम के बारे में अतिरिक्त राशियां दी जानी हैं; उसकी सही-सही मात्रा का अनुमान अभी नहीं लगाया गया है ।

(2) सहकारी विपणन व्यवस्था को और भी मजबूत बनाया जा रहा है और आशा है कि चौथी योजना के अन्त तक यह 850 करोड़ रुपए के मूल्य की कृषि उपज 200 करोड़ रुपए के खाद्यान्न हो सकते हैं, का विपणन करेगी ।

(3) बीज फार्म स्थापित करने और कृषि औजारों तथा कीटनाशक दवाईयों के निर्माण, अधिप्राप्ति तथा वितरण में सहकारी समितियों द्वारा अधिकाधिक भाग लेने का विचार है ।

(4) चौथी योजना में शहरी उपभोक्ता सहकारी आन्दोलन को उन सभी नगरों में लागू किया जा रहा है जिनकी आबादी 10,000 से अधिक है । दो लाख से अधिक आबादी वाले सभी शहरों में बहुत से सहकारी बहु विभागी भण्डार स्थापित किए जा रहें हैं । उपभोक्ता सहकारी भण्डारों की अत्यावश्यक उपभोक्ता वस्तुएं सुलभ करने के लिए भी प्रबन्ध किए जा रहे हैं ।

भारत-ईथोपिया विमान सेवा

945. श्री विभूति मिश्र : श्री बसुमतारी :
श्री क० ना० तिवारी : श्री रा० बरुआ :
श्री राम सहाय पाण्डेय :

क्या परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत तथा ईथोपिया के बीच शीघ्र विमान सेवा आरम्भ करने के बारे में एक करार पर हस्ताक्षर हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस करार की मुख्य शर्तें क्या हैं ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): (क) सच यह है कि भारत सरकार और ईथोपिया की शाही सरकार के बीच विमान सेवाओं से सम्बद्ध एक करार के मूलपाठ पर 20 मई, 1966 को नई दिल्ली में प्रथमाक्षर किये गये लेकिन करार पर अभी हस्ताक्षर होने हैं और उसका सत्यांकन होना है ।

(ख) इस करार के मुताबिक ईथोपिया सरकार द्वारा नामित एयरलाइन भारत को और भारत से होकर विमान सेवाएं चला सकेगी और भारत सरकार द्वारा नामित एयरलाइन ईथोपिया को और ईथोपिया से होकर विमान सेवाएं चला सकेगी ।

Development of Sugarcane

946. Shri Bibhuti Mishra :
Shri K. N. Tiwary :

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development and Cooperation** be pleased to state :

(a) whether Government have formulated any scheme during the Fourth Five Year Plan to spend fifty per cent of the sugar excise duty and sugarcane cess realised in the States on the development of sugarcane ;

(b) if so, the nature thereof ; and

(c) if not, the measures proposed to be taken particularly in Bihar, U. P. and Punjab for the development of sugarcane ?—

The Dy. Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development Cooperation (Shri Shinde) : (a) No. Sir.

(b) Does not arise.

(c) Emphasis is being laid on raising the per acre yield of sugarcane through implementation of intesive cultivation schemes.

अनाज की कमी वाले क्षेत्रों का सर्वेक्षण

947. श्री राम सहाय पाण्डेय : **श्री रा० बरुआ :**
श्री लोलावर कटकी : **श्री कोल्ला वेंकैया :**
श्री नि० रं० लास्कर : **श्री मे० क० कुमारन :**

क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में अनाज की कमी वाले क्षेत्र का इस उद्देश्य से सर्वेक्षण किया है ताकि उन क्षेत्रों में अभाव की स्थिति का पता लग सके;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों अथवा क्षेत्रों के नाम क्या हैं जहां सर्वेक्षण किया गया है तथा किये गये सर्वेक्षण के आधार पर सरकार का क्या अनुमान है; और

(ग) देश के उन क्षेत्रों में, जहां अनाज की कमी है, लोगों को अनाज देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) और (ख), योजना आयोग के कार्यक्रम सलाहकारों की अध्यक्षता में केन्द्रीय दलों ने कमी की स्थिति का अन्दाजा लगाने और राज्य सरकारों द्वारा शुरु किये गये अथवा किये जाने वाले सहायता

कार्यक्रमों की समीक्षा करने के लिये सूखा से प्रभावित गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश, मैसूर और पंजाब राज्यों का दौरा किया। कमी से प्रभावित राज्य, जिलों और जनसंख्या की संख्या बताने वाला एक विवरण संलग्न है।

[पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल०टी०—6611/66

(ग) विभिन्न कमी से प्रभावित राज्यों को आयातित खाद्यान्नों (गेहूं और माइलो) के सामान्य आवंटनों में वृद्धि कर दी गयी है। 1966 के पहले सात महीनों में कमी से प्रभावित राज्यों को नियत की गयी खाद्यान्नों की मात्रा निम्न प्रकार है:—

	(आंकड़े हजार मीटरी टन में)	
	गेहूं	माइलो
1. आन्ध्रप्रदेश	145.7	21.0
2. गुजरात	354.0	138.7
3. मध्य प्रदेश	296.7	40.8
4. महाराष्ट्र	946.0	358.9
5. मैसूर	289.5	150.7
6. उड़ीसा	152.3	16.6
7. राजस्थान	178.3	66.5
8. पंजाब	100.0	—

उपर्युक्त नियमों में निम्नलिखित मात्राएं भी शामिल हैं जोकि राज्यों को कमी से प्रभावित क्षेत्रों में बूढ़े और दुर्बल व्यक्तियों में मुफ्त सहायता के रूप में वितरण करने के लिये भी दी गयी थी :

	गेहूं मीटरी टन	माइलो मीटरी टन
1. उड़ीसा	14,000	3,000
2. मध्य प्रदेश	7,000	—
3. महाराष्ट्र	6,000	—
4. राजस्थान, आन्ध्र प्रदेश और मैसूर . . .	5,000	—
5. गुजरात	3,000	1,000

इसके अलावा विदेशों से प्राप्त उपहारों में से गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश प्रत्येक राज्य को मुफ्त सहायता के रूप में बांटने के लिये 1000 मीटरी टन गेहूं का आटा दिया गया है।

जोधपुर का पर्यटक केन्द्र के रूप में विकास

919. डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जोधपुर को पर्यटन केन्द्र बनने और पर्यटन के लिये इसका विकास करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो उसके क्या कारण हैं;

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) (क) से (ग). जोधपुर एक ऐसा पर्यटक केन्द्र है जहां मुख्यत: देसी पर्यटक ही आते हैं। इसलिये वहां पर्यटन योजना के अन्तर्गत सुविधाओं की व्यवस्था इसी भावना पर आधारित होगी। जोधपुर में एक पर्यटक बंगला बनाये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

जोधपुर के साथ विमान सम्पर्क

949. डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जोधपुर के साथ पुन: विमान सम्पर्क स्थापित करने का विचार है;

(ख) क्या प्राधिकारियों ने जोधपुर को विमान सेवा का अन्तिम अड्डा बनाने की बजाय बीच में पड़ने वाला हवाई अड्डा बनाने की संभावना पर विचार किया है; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर "नकारात्मक" हो, तो इसके क्या कारण हैं ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन अपने विमान बेड़े और विमान कर्मीदल की स्थिति में सुधार होने पर जोधपुर को फिर से विमान सेवाओं के नक्शे पर लाने की संभावना पर विचार कर रहा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

राजस्थान में नलकूपों का लगाया जाना

950. डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में गत दो वर्षों में प्रयोगात्मक नलकूप संगठन ने कितने नलकूप लगाये हैं; और

(ख) क्या यह सच है कि कर्मचारियों तथा उपकरणों की बहुत कमी होने के कारण इस कार्य की प्रगति रुकी हुई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामनंदन मिश्र): (क) प्रयोगात्मक नलकूप संगठन जिसने खोज सम्बन्धी कार्य शुरू किया था, ने गत दो वर्षों में कोई भू-जल खोज नहीं की। फिर भी वह राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई योजना के अन्तर्गत कमी वाले क्षेत्रों में नलकूपों के निर्माण में सहायता करती रही है। इस योजना के अन्तर्गत जून, 1966 तक संगठन ने 223 और खोदे जिनमें से 155 सफल सिद्ध हुए।

(ख) जी नहीं ।

Rise in Prices of Foodgrains in Bihar

951. **Shri Lahtan Chaudhury** : Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development and Cooperation** be pleased to state :

(a) the extent of rise in the prices of foodgrains in Bihar as compared to the last year ;

(b) whether it is a fact that there is a shortfal in the production of rice in Bihar by 6,83,000 metric tonnes as compared to last year's production figures ;

(c) the quantity of foodgrains demanded by the Food Minister of Bihar and the quantity supplied or proposed to be supplied during the current year ; and

(d) the quantity of foodgrains supplied last year ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri P. Govinda Menon) : (a) The rise in this year's prices over those of last year's were :

In the case of rice between 13 to 39 per cent.

In the case of wheat between 3·5 to 27·5 per cent.

In the case of gram a little over 5 per cent.

In the case of maiz a little over 10 per cent.

(b) The shortfall in the production of rice during 1965-66, as compared to that of 1964-65, is estimated to be 6·7 lakh tonnes.

(c) The demand of foodgrains from Bihar for 1966 amounted to 14·68 lakh tonnes. The requirements of foodgrains of the various States are discussed with the State Governments and allocations from Central stocks are made on the basis of the relative needs of the various States and the availability with the Central Government. During the last six months January to June, 1966, 3·53 lakh tonnes of foodgrains have been supplied to Bihar. The quantity to be supplied during the next six months will depend on the overal availability with the Centre and the relative needs of all the deficit States.

(d) During 1965, 7·09 lakh tonnes of foodgrains were supplied to Bihar.

कोदो (माइलो) का आयात

952. डा० म० मो० दास: : क्या खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि खाद्यान्नों का निर्यात करने वाले देशों से अनाज के साथ अनिवार्यत: कोदो (माइलों) का भी आयात करना पड़ता है,

(ख) यदि हां, तो किन देशों से कोदी (माइलों) का आयात किया जाता है तथा चालू वित्तीय वर्ष में कितनी मात्रा में इसका आयात किया गया ; और

(ग) सरकार का विचार इस कोदो का किस प्रकार उपयोग करने का है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मैनन) : (क) और (ग) भारत और अमेरिका के बीच हुए पी० एल० 480 करारों के अनुसरण में इस समय माइलो का आयात केवल संयुक्त राज्य अमेरिका से किया जा रहा है । समय समय पर इन करारों में भारत द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका से सोरगम की कुछ मात्राएं खरीदने के लिये निधियों के विशिष्ट आवंटन किये गये हैं । पहली अप्रैल, 1966 से 15 जुलई, 1966 तक भारत में 6·9 लाख मीटरी टन माइलो प्राप्त हुई थी ।

(ग) आयातित माइलो राज्य सरकारों को उनकी आवश्यकता के अनुसार दी जा रही है । आमतौर पर यह माइलो उचित मूल्य की दुकानों से उपभोक्ताओं को सहायता प्राप्त मूल्यों पर दी जारी है ।

सहकारी खेती के संबंध में गाडगिल समिति का प्रतिवेदन

953. श्री मधु लिमये : श्री किशन पटनायक :
डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सहकारी खेती के सम्बन्ध में गाडगिल समिति के प्रतिवेदन की पूरी जांच कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो सहकरी खेती के बारे में सरकारी नीति को क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही करने क विचार किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

परिसीमन सम्बन्धी प्रस्ताव

954. श्री मधु लिमये :
डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राज्य में परिसीमन सम्बन्धी प्रस्तावों को अन्तिम रूप दिया जा चुका है और प्रकाशित किया जा चुका है ;

(ख) किन राज्यों के लिये प्रस्ताव अंतिम रूप से तैयार नहीं हुए हैं ;

(ग) कितने ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों को बदल दिया गया है जिन में संयुक्त समाजवादी तथा अन्य दलों के सदस्य चुने गये थे ; और

(घ) क्या इस अदला-बदली के कारण बारे में कोई विरोध किया गया था ?

विधि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वे० रा० पट्टाभिरामन्) : (क) जी हां।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) न तो सरकार को और न निर्वाचन आयोग को ही, इस मामले में कोई जानकारी है। मांगी गई जानकारी को इकट्ठा करने में लगने वाला समय और परिश्रम, उससे अभिप्राप्त होने वाले परिणाम का समानुपाती न होगा। निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमान, परिसीमन आयोग अधिनियम, 1962 के उपबन्धों के अनुसार किया गया है और इस प्रक्रिया में बहुत से वर्तमान निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का परिवर्तित किया जाना आवश्यक हो जाता है। ऐसा करते समय आयोग ने वर्तमान सदस्यों के पार्टी सम्बन्ध का न तो अन्वेषण किया, न उसकी ओर ध्यान दिया या इसका कोई अभिलेख ही रखा।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

चौथी पंचवर्षीय योजना में ट्रैक्टरों तथा शक्ति-चालित हलों की मांग

955. श्री मधु लिमये :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में ट्रैक्टरों तथा शक्ति-चालित हलों की आवश्यकता का कोई अनुमान लगाया है ;

(ख) आयात द्वारा तथा देश में इनका उत्पादन बढ़ा कर इनकी मांग पूरी करने के लिए क्या व्यवस्था की जायेगी ; और

(ग) इस अवधि में यंत्रों से खेती करने का खाद्य उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्रा): (क) जी हां। चौथी योजना की अवधि में आवश्यकता का अनुमान निम्न प्रकार है :—

ट्रैक्टर .	1,50,000
शक्ति-चालित हल . .	4,00,000

(ख) मांगी गई जानकारी के बारे में एक नोट संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6612/60]**

(ग) यह अनुमान लगाना सम्भव नहीं है कि अकेले यंत्रों से खाद्य उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा क्योंकि उन्नत बीज, खाद, उपयुक्त सिंचाई आदि अन्य कारण भी हैं जिन से अतिरिक्त उपज प्राप्त होती है। फिर भी यह स्पष्ट है कि यंत्रों द्वारा खेती में अवश्य उन्नति हुई है।

दीर्घकालीन आधार पर अनाज लेना

956. श्री मधु लिमये : डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री किशन पटनायक :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अमेरिका सरकार से दीर्घकालीन आधार पर अनाज प्राप्त करने के लिये कोई बातचीत आरम्भ की है ;

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजनावधि में अमेरिका से कितने अनाज का आयात किया जायगा, और

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजनावधि में इन आयात पर डालरों में और भारतीय मुद्रा में कुल कितना व्यय होने का अनुमान है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन): (क) सरकार ने जून, 1967 तक की अपनी सम्भावित आवश्यकताओं के बाद की आवश्यकताओं के बारे में दीर्घकालीन आधार पर खाद्यान्न प्राप्त करने हेतु संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार के साथ अभी कोई औपचारिक बातचीत आरम्भ नहीं की है।

(ख) यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है और यह चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में कृषि उपज के लक्ष्यों से पूर्णतः सम्बद्ध है।

(ग) इस समय प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्रामीण ऋणग्रस्तता

957. श्री किशन पटनायक :
श्री मधु लिमये :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री लिंग रेड्डी :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

(क) क्या लगभग दस वर्ष पूर्व ग्रामीण ऋण सम्बन्धी सर्वेक्षण के प्रकाशन के बाद ामीण ऋणग्रस्तता के सम्बन्ध में कोई विशेष परिवर्तन हुआ है ;

(ख) क्या (क) महाजनों, (ख) सहकारी ऋण समितियों तथा (ग) सरकारी संस्थाओं द्वारा किसानों को दिये जाने वाले ऋण की राशि में कोई सुधार हुआ है; और

(ग) क्या सरकार ने उपरोक्त भाग (क) और (ख) में उल्लिखित परिवर्तनों के बारे में पता लगाने के लिये नया सर्वेक्षण अथवा चयनात्मक अथवा नमूना सर्वेक्षण करने का आदेश देने के बारे में कोई निर्णय किया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) ग्राम ऋण सर्वेक्षण (1951–52) के अनुसार प्रति कृषक परिवार की औसत ऋणग्रस्तता 364 पये थी, जा कि कृषक परिवारों का गोचर परिसम्पत्ति का 5.9 प्रतिशत भाग थी । काश्तकारों ारा लिया गया उधार कृषि उपज के कुल मूल्य का 16 तिशत था। अखिल भारतीय ाम ऋण तथा निवेश सर्वेक्षण (1961–62) से जो स्थिति स्पष्ट हुई वह यह है कि प्रत्येक कृषक परिवार की औसत ऋणग्रस्तता 473 रुपये थी, जो गोचर परिसम्पत्ति का 7.2 तिशत भाग थी। कृषक परिवारों द्वारा लिया गया उधार कृषि उपज के कुल मय का 15 प्रतिशत भाग था।

(ख) वर्ष 1951-52 में कृषक परिवारों के कुल ऋण में सहकारी ऋण का भाग 3.3 प्रतिशत था जो 1961-62 में बढ़कर लगभग 25 प्रतिशत हो गया। स अवधि में सहकारी ऋण अधिकाधिक रूप में जमानत-आधारित होने के बजाय उत्पादन अनुस्थापित हो गया है। सरकार कृषकों को उत्पादन तकावी भी देती रही है। भारत के खाद्य निगम जैसे सरकार के अन्य अभिकरणों को उत्पादन वित्त के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है ।

(ग) जी नहीं।

उत्तर प्रदेश में चीनी मिलें

958. श्री किन्दर लाल :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बता ने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना में उत्तर देश में चीनी की कितनी मिलें स्थापित करने का विचार है ;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने उन मिलों को स्थापित करने के लिये स्थानों की सिफारिश की है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे): (क) से (ग) चौथी पंचवर्षीय योजना में जो नये शर्करा के कारखाने स्थापित किये जाने हैं उनके बारे में कोई राज्यवार आवंटन नहीं किया गया है। तथापि, उत्तर प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित स्थानों पर नये शर्करा के कारखाने स्थापित करने के लिये आवेदन पत्रों के बारे में सिफारिश की है ।

1. उरई, जिला वाराणसी ।
2. पलियाकलां, जिला खेरी ।
3. इन्दरा, जिला आजमगढ़ ।
4. नानौटा, जिला सहारनपुर ।
5. खुरहन्द, जिला बांदा ।
6. बड़ौत, जिला मेरठ ।
7. दादरी, जिला बुलन्दशहर ।
8. कैसरगंज, जिला मुरादाबाद ।
9. रसरा, जिला बलिया ।
10. हरदुआगंज, जिला अलीगढ़ ।
11. गाजीपुर, जिला गाजीपुर ।

दो नये शर्करा कारखाने एक उरई जिला वाराणसी, और दूसरा पलियकलां जिला खेरी में स्थापित करने की स्वीकृति दे दी गयी है। नये शर्करा कारखाने स्थापित करने के लिए क्रमसंख्या 2 से 7 तक के मामले सम्बन्धित क्षेत्रों में गन्ने की अपर्याप्त उपलब्धि के कारण ठीक नहीं पाये गये हैं। क्रम संख्या 8 से 11 तक के शेष चार मामले विचाराधीन हैं ।

खाद्यान्नों का राशन

959. **श्री स० चं० सामन्त :** **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री भागवत झा आजाद : **श्री सुबोध हंसदा :**

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत की कुल जन-संख्या के कितने प्रतिशत लोगों पर राशन व्यवस्था लागू की गई है तथा उनके लिये प्रति मास कितने खाद्यान्न की आवश्यकता होती है ;

(ख) राशन व्यवस्था की लागत क्या है, और राशन व्यवस्था चलाने पर प्रति मास अन्य व्यय कितना है तथा शहरों में राशन व्यवस्था करने पर प्रति व्यक्ति व्यय कितना है ;

(ग) राशन व्यवस्था को जारी रखने में सरकार को क्या लाभ है ; और

(घ) जिन शहरों में अनिवार्य राशन व्यवस्था लागू की गई है वहां राशन व्यवस्था कब तक लाग रहने की सम्भावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) सारे केरल राज्य में राशन-व्यवस्था लागू है और इसके अन्तर्गत 192.76 लाख व्यक्ति आते हैं और केन्द्रीय साधनों से इनकी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए प्रति मास 1.25 लाख मीटरी टन तक खाद्यान्न सप्लाई किया जाता है। अन्य क्षेत्रों में सांविधिक राशन व्यवस्था के अधीन लायी गयी जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 5.51 प्रतिशत है। इन बाद के क्षेत्रों के लिए प्रतिमास 2.34 लाख मीटरी टन तक खाद्यान्नों की आवश्यकता पड़ती है।

(ख) कुछ राज्यों से सूचना अभी प्राप्त होनी है। प्राप्त होने पर सभा के पटल पर रखी जाएगी।

(ग) राशन-व्यवस्था शहरी उपभोक्ताओं विशेषकर गरीब वर्गों के लिए उचित मूल्यों पर अनाजों की उपयुक्त मात्रा की सप्लाई सुनिश्चित करने और ऊंची क्रय शक्ति वाले शहरी लोगों पर पास के ग्रामीण बाजारों से खाद्यान्न खरीदने पर नियंत्रण रखने की दृष्टि से आवश्यक है। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए सरकार को राशन-व्यवस्था चालू रखने में फायदा है।

(घ) जब तक उचित मूल्यों पर अनाजों की पर्याप्त सप्लाई नहीं होती है तब तक जिन क्षेत्रों में सांविधिक राशन व्यवस्था लागू है उन क्षेत्रों में इसे लागू रखने की सम्भावना है।

उत्तर प्रदेश में दुग्धशाला विकास

960. **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री दलजीत सिंह :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1964–65 और 1966–67 की अवधि में उत्तर प्रदेश सरकार की दुग्धशाला विकास योजना के लिये कितना धन दिया गया है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शिन्दे) : पूछी गई जानकारी उत्तर प्रदेश सरकार से मांगी गई है। यह प्राप्त होते ही सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

चाय-काफी आदि पर लगाया गया उपकर

961. **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री दलजीत सिंह :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् को वित्त पोषित करने के उद्देश्य से चाय, काफी, रबड़, पटसन तथा मूंगफली उद्योग पर कोई उपकर लगाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र): (क) तथा (ख). भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् को वित्त पोषित करने के उद्देश्य से चाय, काफी, रबड़ या पटसन पर कोई उपकर नहीं लगाया गया है। जहां तक मूंगफली का सम्बन्ध है, इंडियन सैन्ट्रल आयल सीड्स कमेटी एक्ट, 1946 के अधीन उस पर उपकर

लगाया गया था । पहली अप्रैल, 1966 से वह अधिनियम रद्द कर दिया गया है और एग्रिकल्चरल प्रीड्यूस सैस एक्ट, 1966 लागू हो गया है, ऊपर कथित के अनुसार तिलहनों जिन में मूंगफली भी शामिल है के विकास तथा अनुसन्धान कार्य पर लगाया जायगा ।

सहकारिता आन्दोलन में भ्रष्टाचार

962. **श्री बलजीत सिंह :**
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात की कोई जांच की गई है कि सभी राज्यों में सहकारिता आन्दोलन में कितना भ्रष्टाचार और गबन हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस आन्दोलन से भ्रष्टाचार को बिल्कुल समाप्त करने के लिये क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्री) : (क) से (ग). वर्तमान सहकारी कानूनों, नियमों तथा परिपाटियों की जांच करने और सहकारी आन्दोलन में अनेक कमजोरियों, निहित स्वार्थों तथा नकली तत्वों की वृद्धि की रोक-थाम हेतु उपाए सुझाने के लिए अगस्त 1964 में एक सहकारिता सम्बन्धी समिति गठित की गयी थी। इस समिति के निष्कर्षों तथा सिफारिशों का सारांश अतारांकित प्रश्न संख्या 89 के उत्तर में 17 अगस्त, 1965 को सभा-पटल पर रखा गया था ।

सड़क दुर्घटनायें

963. **श्री स० च० सामन्त :** **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री भागवत झा आजाद : **श्री सुबोध हंसदा :**

क्या **परिवहन तथा उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1960 से लेकर अब तक भारत में राष्ट्रीय राजपथों पर मोटरगाड़ी यातायात बढ़ जाने के कारण सड़क दुर्घटनाओं में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है ;

(ख) क्या राष्ट्रीय राजपथों पर होने वाली दुर्घटनाओं तथा इन दुर्घटनाओं के कारण होने वाली जान और माल की हानि का अभिलेख रखने की कोई संस्था है और यदि हां, तो 1961–62, 1962–63, 1963–64, 1964–65, और 1965–66 में वर्ष वार कितनी दुर्घटनायें हुई तथा कितनी हानि हुई ; और

(ग) राष्ट्रीय राजपथों पर यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिये क्या उपाय करने का विचार है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री सजीव रेड्डी): (क) से (ग). अपेक्षित सूचना राज्य सरकारों से संकलित की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी ।

New Air Routes

964. **Shri M. L. Dwivedi :** **Shri Bhagwat Jha Azad :**
Shri S. C. Samanta : **Shri Subodh Hansda :**

Will the Minister of **Transport, Aviation, Shipping and Tourism** be pleased to state :

(a) whether any new flight has started or is proposed to be started in 1966-67 apart from he routes already covered by the Air India ; and

(b) if so, which are the new routes and the dates from which these new routes will be in operation ?

Minister of Transport, Aviation, Shipping & Tourism (Shri N. Sanjiva Reddy) : a) : Air-India do not intend to open any new services operating to new destination points during 1966-67.

(b) Effective from 23rd October, 1966 with the introduction of their Winnter Time Table, Air-India intend to operate the followng additional services :—

(i) A third service to Nairobi from Bombay to operate non-stop between Bombay and Nairobi.

(ii) Extension of Air India's existing Singapore service to Sydney.

(iii) One additional service to U. K. making a total of nine services per week via Middle East and Europe which is intended to include Teheran as an online Station through which two weekly frequencies would operate.

गन्ने के मूल्य सम्बन्धी सेन समिति

965. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गन्ने के मूल्य के बारे में सेन समिति की सिफारिशों की क्रियान्विति में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) गन्ना उत्पादकों को गन्ने के उचित दाम मिलें, यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) और (ख). सेन आयोग ने 1965–66 के लिये शर्करा कारखानों द्वारा गन्ने का देय न्यूनतम मूल्य 9.4 प्रतिशत की उपलब्धि पर, उपलब्धि में प्रत्येक 0.1 प्रतिशत की वृद्धि पर मूल्य में 4 पैसे प्रति क्विंटल अधिक देने की व्यवस्था के साथ रु० 4.96 प्रति क्विंटल और 1966–67 के लिये 9.0 प्रतिशत की उपलब्धि पर रु० 4.82 प्रति क्विंटल और उपलब्धि में प्रत्येक 0.1 प्रतिशत की वृद्धि पर रु० 5.36 प्रति क्विंटल निर्धारित करने की सिफारिश की थी। गन्ना उत्पादकों का चालू मूल्य देने की आवश्यकता, आगामी वर्ष में गन्ने की सप्लाई पर उपलब्धि से सम्बद्ध संशोधित मूल्य का प्रभाव और अन्य वैकल्पिक फसलों से प्राप्ति जैसे विभिन्न तथ्यों पर विचार करते हुये, यह निर्णय किया गया कि सेन आयोग द्वारा अभिस्तावित मूल्य को निर्धारित न किया जाए बल्कि यथावत स्थिति चलने ही दी जाए अर्थात् 10.4 प्रतिशत या इससे कम उपलब्धि और उपलब्धि में 10.4 प्रतिशत से प्रत्येक 0.1 प्रतिशत की वृद्धि पर मूल्य में 4 पैसे प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी के साथ रु० 5.36 प्रति क्विंटल निर्धारित किया जाए ।

Crash of Air India Beingat London Airport

966. **Shri Bhagwat Jha Azad :**
Shri Hukam Chand Kachavaiya :
Shri Sonavane :
Shri Raghunath Singh :
Shri Bibhuti Mishra :

Will the Minister of **Transport, aviation, Shipping And Tourism** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Boeing 707 plane of the Air India crashed at London Airport as a result of breaking out of fire in its engine on the 30th May, 1966;

(b) if so, the causes thereof; and

(c) the extent of loss suffered as a result thereof?

Minister of Transport Aviation, Shipping and Tourism (Shri N. Sanjiva Reddy) : a) No Sir, No Air-India Boeing 707 aircraft was involved in any crash at London Airport on the 30th May, 1966. However, on that day an Air-India Boeing 707 aircraft, which took off from London for New York, had a fire warning in the cockpit from No. 1 engine one minute after take-off. The crew operated the fire extinguisher and shut down the engine after which the fire warning went off. The aircraft made a normal three-engine landing without any damage to aircraft or injury to passengers or crew. There was no external fire on the engine.

(b) After the landing, the investigation revealed failure of No. 1 engine. The cause of the failure of the engine is under investigation.

(c) The engine which had developed trouble was removed from the aircraft at London or repairs.

ब्रह्मपुत्र नदी को राष्ट्रीय जलपथ बनाना

967. **श्री कोल्ला वेंकैया** : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रह्मपुत्र नदी के राष्ट्रीय जलपथ घोषित करने के बारे में सरकार ने कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का कितना नियंत्रण, अधिकार, तथा कार्य होंगे, और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो तो इस में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): (क), (ख) और (ग). यह निश्चय किया गया है कि फिलहाल ब्रह्मपुत्र नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित नहीं किया जाना चाहिये ।

पराद्वीप तथा मद्रास पत्तनों में अनाज से लदे हुए जहाजों से माल उतारा जाना

968. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्यान्न ला रे अमरीकी सुपरटेंकर "मैनहट्टन" से माल उतारने में पराद्वीप पत्तन पर तथा उसके बाद मद्रास में किन-किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा;

(ख) क्या यह सच है कि भारतीय पत्तनों में ऐसे बड़े-बड़े आकार के जहाजों से माल उतारने-लादने की उचित व्यवस्था नहीं है, और

(ग) यदि हां, तो बड़े आकार के टैंकरों से माल उतारने-लादने के मामलों में पत्तनों को उपयुक्त बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जहां तक परादीप पत्तन का संबंध है, प्रस्ताव यह था कि यू० एस० सुपरटैंकर "मनहट्टान" को सीधा हारबर में ले आया जाये और उस से माल छोटे जहाजों में उतरा जाये। चूंकि परादीप के लिये बनरहे टग अभी प्राप्त नहीं हुये हैं, अतः परादीप पत्तन पर "मनहट्टान" के माल धरने-उठाने के लिये अन्य पत्तनों से टग उधार लेने का प्रबन्ध किया गया। "मनहट्टान" के मालिक ने इस जहाज से माल मद्रास हारबर के बाहर स्वीकार्य डुबाव में उतारने का और बाद में और माल उतारने के लिये उसे मद्रास, पत्तन में ले जाने का निर्णय किया।

(ख) और (ग). टगों के उपलब्ध होने पर परादीप में सुपरटैंकर आ सकते हैं। जहां तक अन्य बड़े पत्तनों का संबंध है अब वह डुबाव के कारण ही सीमित हो जाते हैं। फिर भी ऐसे सुपरटैंकर हारबरों के बाहर सुविधाजनक स्थानों पर छोटे जहाजों में माल उतार सकते हैं जैसा बम्बई और मदरास पत्तन में किया गया है।

सहकारी खेती (फार्मिंग)

969. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री सं० चं० सामन्त :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० त्रिवेदी :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राज्य सरकारों ने बेकार पड़ी तथा "खास" भूमि का सहकारी खेती के लिये उपयोग कर लिया है ;

(ख) ऐसी सहकारी समितियों के सदस्य कौन-कौन हैं ;

(ग) क्या इन सभी फार्मिंग समितियों ने सभी राज्यों में काम आरम्भ कर दिया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) से (घ). जानकारी एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध होने पर यथाशीघ्र सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

Import of Foodgrains

970. Shri Ram Sewak Yadav : Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development and Cooperation** be pleased to state :

(a) the amount of freight charges paid to the various foreign shipping companies by Government for importing foodgrains from abroad from 1964 to June 1966;

(b) the amount paid during to the above period as demurrage as a result of our inability to unload the goods in time; and

(c) the action taken by Government to remove the causes due to which delay was caused in unloading the goods ?

Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development & Cooperation (Shri P. Govinda Menen): (a) Rs. 94.63 crores were paid to foreign shipping companies as freight on foodgrains imported from January, 1964 upto May 1966. Accounts for June, 1966 have not yet been received from our Missions abroad.

(b) During the period January, 1964 to June 1966, the amount of demurrage incurred and despatch earned is estimated at about Rs. 113.4 lakhs and about Rs. 105 lakhs respectively.

(c) A number of measures have been taken from time to time to minimise delay in unloading and to increase grain handling facilities at various ports. These include:

(i) deversion of ships, wherever possible, from one port to another to relieve congestion

(ii) introduction of departmental clearance at Bombay, Madras and Vizag;

(iii) installation of a Marine Leg at Calcutta;

(iv) import of additional discharging machines from U.S.A. and Switzerland and handling equipment from U.K.;

(v) increased rail wagon supplies for movement of grain from ports;

(vi) substabtial increase in the strength of handling labour;

(vii) increase in clearance from docks by road;

(viii) utilisation of minor ports in Gujarat and Mysore;

(ix) use of small ships and barages for mid-stream discharge from waiting and berthed vessels;

(x) transport of foodgrains from Kandla to other ports in Gujrat, *viz.* Okha and Bed by coastal vessels; and

(xi) setting up of inter-departmental committees at the major ports to keep a daily watch on the grain handling performance at each port and to remove any bottlenecks that may arise from time to time.

राज्यों में अयाकट विकास

971. श्री उमानाथ : क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने कुछ राज्यों में अयाकट विकास के लिए कोई अग्रिम योजना मंजूर की है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा तथा उद्देश्य क्या है ;

(ग) इस योजना की क्रियान्वित में कितने धन की आवश्यकता पड़ेगी और केन्द्र तथा राज्य सरकार कितना कितना खर्च वहन करेंगे ;

(घ) किन किन राज्यों में इसे आरम्भ करने का विचार है ;

(ङ) प्रत्येक राज्य के किन किन स्थानों में इसे आरम्भ किया जायेगा ; और

(च) इस योजना के बारे में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामनंदन मिश्र) (क) जी हां

(ख) और (ग): भारत सरकार ने सिंचाई परियोजनाओं से पूर्ण लाभ उठाने के लिए योजना आयोग की अनुमति से अयाकट विकास की एक योजना तैयार की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य परियोजना के कमान्डर क्षेत्रों में कृषि विकास के लिए एक समन्वित कार्यक्रम तैयार करना तथा भूमि को समतल करना, विस्तार तथा अधिक ऋण सुविधाओं के बारे में व्यवस्था करना है। इस योजना को 1966–67 में शुरू करने का विचार है।

यद्यपि प्रत्येक क्षेत्र तथा प्रत्येक परियोजना का ब्यौरा एक जैसा नहीं होगा परन्तु इसकी मुख्य बातें निम्न प्रकार हैं :—

(1) फसल योजना तथा सिंचाई जल की नियमित व्यवस्था करना व आवश्यकता अनुसार आपूर्ति-सिंचाई का प्रबन्ध करना।

(2) सिंचाई के जल के वितरण तथा उस के उपयोग की उचित व्यवस्था। जल निकास की उचित व्यवस्था।

(3) भूमि को नया रूप देना—चकबंदी।

(4) फसल तथा जल के ठीक उपयोग के लिए भूमि सर्वेक्षण।

(5) सप्लाई व आदानों का प्रबन्ध।

(6) विस्तार तथा प्रदर्शन।

(7) कृषकों की ऋण सम्बन्धी आवश्यकता के लिए वित्तीय व्यवस्था।

(8) सहकारी भण्डारण तथा विपणन की सुविधायें।

(9) सँचार तथा कृषि उद्योग का विकास।

राज्यों में अयाकट के विकास के लिए एक मार्गदर्शी योजना तैयार कर के उसे समस्त राज्यों को भेज दिया गया है। चौथी योजना की अवधि में बिना प्रयोग हुए सिंचित संसाधनों की 40 लाख एकड़ में से यह योजना लगभग 20 लाख एकड़ भूमि में लागू की जायेगी। यथासंभव यह कार्यक्रम 5000—10,000 एकड़ भूमि के खण्डों में लागू किया जायेगा। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक खण्ड पर लगभग 40 लाख रुपए खर्च होंगे। इस प्रकार 20 लाख एकड़ भूमि पर 80 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसमें से 15 करोड़ रुपए केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम से, 15 करोड़ रुपए स्टेट सेक्टर से तथा 50 करोड़ रुपए सहकार सेक्टर से प्राप्त होंगे।

(घ) और (ङ): यह मार्ग दर्शी योजना समस्त राज्य सरकारों को भेज दी गई है। राज्य सरकारों से पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात् ही उन स्थानों के नामों का पता चलेगा जहां यह कार्यक्रम शुरु किया जायेगा।

(च) आन्ध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश मद्रास, मैसूर पंजाब तथा पश्चिम बंगाल की सरकारों की प्रतिक्रिया अनकल है अन्य राज्यों की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है।

हुगली नदी में चावल से भरे जहाज की क्षति

972. श्रीमती सावित्री निगम :
श्री प्र० चं० बरुआ :
डा० श्री निवासन :
श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :
श्री बड़े :
श्री हुक्म चन्द कछवाय :
श्री बसवन्त :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री च० का० भट्टाचार्य :

क्या खाद्य कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जून, 1966 में एम० बी० रत्न सोभना नामक एक माल जहाज, जो बर्मा से चावल ला रहा था, हुगली नदी में डूब गया था ;

(ख) यदि हां, तो कुल कितने चावल का नुकसान हुआ ;

(ग) यह चावल कितने मूल्य का था ;

(घ) क्या इस माल का बीमा नहीं करवाया गया था ;

(ङ) यदि हां, तो उस के क्या कारण थे; और

(च) इसे डूबने से बचाने के लिये क्या प्रयत्न किये गये थे ?

खाद्य कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) (क) जी हां ।

(ख) लगभग 8,400 मीटरी टन ।

(ग) लगभग 69 लाख रुपये।

(घ) और (ङ) दरअसल सरकारी जहाज का वाणिज्यिक आधार पर बीमा नहीं होता है लेकिन एक प्रोफार्मा बीमा निधि रखी जाती है । समुद्र यात्रा में हुये खाद्यान्नों के सारे नुकसान इस के नामे डाले जाते हैं ।

(च) माल निकालने के उपाय तुरन्त किये गये। क्योंकि जहाज टूटना शुरू हो गया इसलिये ये कार्य बन्द करने पड़े और 2180 बोरियों में केवल लगभग 150 मीटरी टन चावल बाहर निकाला जा सका ।

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के अधिकारियों का नौकरी से निकाला जाना

973. श्री कपूर सिंह :
श्री बटा सिंह :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :

क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में उन के मंत्रालय के कुछ अधिकारियों को उनकी नौकरी से निकाला गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उन में से प्रत्येक के विरुद्ध जो आरोप थे तथा उन्हें जो दण्ड दिया उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) और (ख). मंत्रालय के सम्बन्ध में जानकारी संलग्न है। (पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०—6613/66] जहां तक संलग्न तथा अधीनस्थ कार्यालयों का सम्बन्ध है, उन के विषय में जानकारी इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

केरल में पशु रोग

974. श्री अ० क० गोपालन :
श्री इम्बीची बावा :

क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कालीकट, केरल में मवेशियों में रोग फैल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो कितने मवेशी रोगग्रस्त हुए; और

(ग) अब तक क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) पता चला है कि हेमोराजिक सैप्टिसिम्या तथा पैर, मुंह व ब्लैक क्वार्टर के रोगों से लगभग 45 पशु बीमार हुए हैं।

(ग) बीमारी की रोकथाम के लिए उचित कदम उठाये गये हैं ।

केरल में पर्यटक केन्द्र

975. श्री अ० क० गोपालन :
श्री इम्बीचीबावा :
श्री वारियर :

क्या परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में बोलगाथी और ठेक्काडी पर्यटक केन्द्रों का विकास करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में पर्यटन विकस निगम ने क्या प्रस्ताव पेश किये हैं ; और

(ग) इनको क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) पर्यटन की चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के लिये केरल सरकार ने पेरियार वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी के समेकित विकास और बोलगाथी में एक पांच-स्टार होटल के निर्माण की योजना का प्रस्ताव दिया है । ये प्रस्ताव परीक्षणाधीन हैं ।

(ख) और (ग). केरल में एक केरल पर्यटक और हस्तशिल्प निगम है । बोलगाट्टी और थेकाड़ी पर्यटक केन्द्रों के बाबत उस ने केन्द्रीय सरकार को कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है ।

अनाज की बरबादी

976. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान खाद्य तथा कृषि संगठन के इस प्रतिवेदन की ओर दिलाया गया है भारत में 240 करोड़ चूहे हैं और प्रति वर्ष चूहों तथा कीड़ों द्वारा 2 करोड़ 60 लाख टन अनाज बरबाद किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो ये आंकड़े सरकार के अनुमान से कहां तक मिलते हैं ; और

(ग) इस बरबादी को कम करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) :

(क) जी हां। सरकार को चूहों की आबादी सम्बन्धी खाद्य तथा कृषि संगठन की रिपोर्ट के बारे में जानकारी है।

(ख) अनुमान है कि भारत में चूहों की आबादी 2400 मिलयन है जो प्रति वर्ष लगभग 2.6 मिलियन टन अनाज बरबाद करते हैं, 26 मिलियन टन नहीं ।

(ग) चूहों द्वारा की जाने वाली बरबादी को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गए हैं :—

(1) सभी राज्यों के कृषि विभागों ने पौद संरक्षण संगठन स्थापित कर दिये हैं। चूहों को मारने के लिए मौसमी अभियानों का नियमित रूप से आयोजन किया जाता है और 1964–65 के दौरान 6.3 मिलियन एकड़ क्षेत्र में ये कार्य किए गए। प्रस्ताव है कि 1966–67 में 15–20 मिलियन एकड़ क्षेत्र में ये कार्य किए जायें। कई राज्य मूसमार औषधियां मुफ्त सप्लाई करते हैं।

(2) भारत में चूहों की समस्या और उस पर नियंत्रण पाने के तरीकों पर विचार करने के लिए स्वास्थ्य उप-मंत्री की अध्यक्षता में एक रौडेन्ट कंट्रोल कमेटी बनाई गई है जिसमें इस विषय के बड़े विशेषज्ञ भी शामिल हैं।

(3) खाद्य विभाग, केन्द्र तथा राज्य के भाण्डागार निगमों ने चूहों को मारने के लिए नियमित कार्यक्रम बनाए हुए हैं।

(4) राज्य के स्वास्थ्य विभाग, निगम, म्यूनिसिपिल्टी चूहों की आबादी को नियंत्रित करने के उपाय करते हैं ताकि प्लेग तथा अन्य रोग फैलने न पायें ।

(5) मूसमार औषधियों की बढ़ी हुई मांग को पूरी करने हेतु देशीय उत्पादन बढ़ाने के लिए कदम उठाए गए हैं ।

उड़ीसा में अनाज का सम्भरण

977. श्री महेश्वर नायक : क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यद्यपि उड़ीसा के सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में अधिकांश स्थानीय लोगों की क्रय क्षमता कुछ भी नहीं है फिर भी जांच से पता चला है कि बेईमान व्यापारी अच्छी कीमतें प्राप्त करने के लिये अनेक उचित मूल्य वाली दूकानों से अनाज को खुले बाजार में तथा मध्य प्रदेश तक को भी बेच रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस कुप्रथा को समाप्त करने तथा अनाज की क्रय क्षमता बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) और (ख) उचित मूल्य की दुकानों से स्टाक को खुले बाजार में तथा मध्य प्रदेश को बेचने के बारे में समाचार सही नहीं पाये गये। तथापि, सीमा पर तस्कर व्यापार विरोधी स्टाफ को सुदृढ़ किया जा रहा है। सूखा से प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को क्रय शक्ति सुलभ करने लिये राज्य में बहुत से टैस्ट सहायता कार्य भी शुरू किये गये हैं।

Reports of Election Commission

978. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Law** be pleased to state :

(a) the dates on which the Fisrt(1952), Second (1957) and Third (1962) Reports of the Election Commission were laid on the Table;

(b) whether it is a fact that the Report on the Elections held in 1962 was laid on the table in 1966; and

(c) if so, the reasons for the delay in the presentation of the Report ?

Minister of State in the Ministry of Law (Shri C. R. Pattabhi Raman) : (a) (i) Report on the First General Election in India 1951-52 (Vol. I—General) was placed on the Table of Lok Sabha on 26th April, 1955 and Vol. II—Statistical on the 25th July, 1965.

(ii) Report on the Second General Elections in India—1957 (Volume I—General) was placed on the Table of Lok Sabha on 20th December, 1958 and Vol, II—Statistical on the 10th August, 1959.

(iii) Report on the Third General Elections in India—1962 (Vol. II—Statistical) was laid on the Table of Lok Sabha on 20th December, 1963 and (Vol.I—General) on 15th February, 1966.

(b) Volume II (Statistical) of the Report on the Third General Elections held in 1962 containing factual information was laid on the Table of the Lok Sabha on the 20th December, 1963 and only Volume I (General) the narrative part of the Report was laid on the Table of the House in 1966.

(c) As the Chief Election Commissioner, on appointment as ex-officio Member of the Delimitation Commission in 1963, was extremely busy with the work of the Delimitation Commission, he had pratically no time to spare for the preparation of the Report. However, there is no requirement either in the Constitution or in the law that the Election Commisssion submit a report after every general election.

किसानों को ऋण

979. श्री कृष्णपाल सिंह :
श्री शिवमूर्ति स्वामी :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1966–67 में किसानों को 450 करोड़ रुपये का ऋण देने का सरकार का विचार है ;

(ख) यह ऋण किस अभिकरण के माध्यम से दिया जायेगा तथा क्या सरकार को पता है कि वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत सारी राशि किसानों तक नहीं पहुंचती है ; और

(ग) क्या सहकारी समितियों के द्वारा दिये जाने वाले अल्प-कालीन ऋण की प्रणाली को समाप्त करने का सरकार का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्याम धर मिश्र) : (क) और (ख). अनुमान है कि वर्ष 1966–67 में सहकारी ऋण ढांचा अपने सदस्यों को कृषि उत्पादन के लिए लगभग 450 करोड़ रुपए के अल्प तथा मध्यकालीन ऋण देगा। यह उस ऋण के अलावा है, जो सहकारी समितियों द्वारा खाद्यान्नों की अधिक पैदावार वाली किस्मों के कार्यक्रम के बारे में अपने सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दिया जाना है। सहकारी ऋण के अतिरिक्त, कुछ ऋण सरकारी तकावी के स्रोतों तथा भारत के खाद्य निगम जैसे अन्य अभिकरणों से भी सुलभ होगा।

सहकारी ऋण के ढांचे को अधिकाधिक रूप से फसल वित्त प्रणाली की ओर अनुस्थापित किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत यह सुनिश्चित किया जाना है कि ऋण उत्पादन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नकदी तथा जिस के रूप में दिये जाएं तथा ऋण किसानों को उस समय दिए जाएं जब कि उन्हें उनकी आवश्यकता कृषि कार्यों के लिए हो।

(ग) जी नहीं ।

इण्डियन नेशनल आफशोर फिशिंग सीमेन्स एसोसिएशन, कोचीन से अभ्यावेदन

980. श्री अ० व० राघवन : क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन नेशनल आफशोर फिशिंग सीमेन्स एसोसिएशन, कोचीन से हाल में कोई अभ्यावेदन मिला हैं जिस में सेवा की शर्तों में सुधार करने के बारे में मांग की गई है ;

(ख) उन की मुख्य मांगें क्या हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन): (क) जी हां।

(ख) एसोसिएशन की मुख्य मांग यह है कि डीप एण्ड आफ शोर फिशिंग आर्गनाईजेशन के फ्लोटिंग स्टाफ के वेतनमानों को बढाया जाए।

(ग) इस प्रश्न पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है और शीघ्र ही निर्णय किया जायेगा।

दिल्ली में दुर्घटनाओं के केन्द्र

981. श्री राम दुरख यादव : क्या परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सड़क अनुसन्धान संस्था, दिल्ली ने राजधानी में 21 दुर्घटना वाले स्थान (ब्लैक स्पाट) बताये हैं जिनमें हाल ही में दुर्घटनायें हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) ये दुर्घटनायें बार बार न हों इसके लिये इस संस्था ने क्या उपाय सुझाये हैं ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी हां।

(ख) दुर्घटना स्थल (ब्लैकस्पाट) बताने वाली एक सूची संलग्न है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी–; 6014/66]

(ग) इस सबन्ध में संस्थान द्वारा निम्न उपायों का सुझाव दिया गया है :—

(1) ऊपर भाग (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट स्थलों पर लगाये जाने के लिये एक नये दुर्घटना स्थल चेतावनी सकेत का सुझा दिया गया है।

(2) सड़क इस्तेमाल करने वालों को ब्लैकस्पाट सुचित करने के लिये पथ रेखा और केन्द्र रेखा के सड़क चिन्हों का पीले रोशन से अंकित किया जाना चाहिये।

(3) पैदल चलने वालों की सुरक्षा के लिये पर्याप्त प्रबन्ध किये जाने चाहिये जैसे बगली सडकों का सुधार, पैदल पारपथों का ठीक तरह से चिन्हित किया जाना। रेलिंग, पैदलपारपथों पर अंबर कोंध सकेत, यातायात सकेत में पैदलपारपथ वालों के लिये अलग प्रावस्था, तलमार्ग, उपरिगामीवुल इत्यादि।

(4) पैदल चलने वालों को सड़क सुरक्षा के लिये उपलब्ध सुविधायों के व्यवहार करने के लिये शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिये।

(5) अच्छी सतह के साइकिल पथों की लगातार पट्टियों की, पार्श्व बंगलों से सीमित खुले मार्ग की और चौराहों के ठीक तरह से पृथक्करण करने के लिये कार्यवाही की जानी चाहिये।

(6) यातायात नियमन तथा प्रवर्तन के लिये प्रातः और सायंकाल में भीड़ के अवसरों के लिये अतिरिक्त पुलिस कर्मचारी प्रतिनियुक्ति किये जाने चाहिये। भारी गाड़ियों जैसे ट्रक तथा बसों के ड्राइवरों को उन के गाड़ी चलाने के लाइसेंसों को पुनर्नवीकरण करने के पूर्व उनकी नजर, यातायात नियमों का ज्ञान, गाड़ी चलाने की अभिरुचि इत्यादि की परीक्षा निश्चय रूप से की जानी चाहिये। ऐसे ड्रायवरों के लिये, सड़क को सुरक्षित और सुदक्ष ढंग से व्यवहार करने के विषय

पर सुनियोजित यातायात प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रबन्ध किया जाना चाहिये। अन्य गाड़ियों के ड्राइवरों की, जिनका गाड़ी चलाने का रिकार्ड सन्तोषजनक नहीं रहा है, लाइसेंस के पुनर्नवीकरण के पूर्व फिर से परीक्षा ली जानी चाहिये।

(7) दुस्साहस और लापरवाही से गाड़ी चलाने के नियंत्रण के लिये नियत समय पर यातायात सुरक्षा प्रेरणा का प्रबन्ध किया जाना चाहिये। इन प्रेरणाओं का उद्देश्य यातायात के नियमों के भंग करने पर दंड देना नहीं होना चाहिये किन्तु सड़क व्यवहार करने वालों को यातायात भावना के महत्व और आवश्यकता पर जोर देना होना चाहिये।

पी० एल० 480 के अन्तर्गत अनाज का आयात करने पर भाड़ा

983. श्री लक्ष्मी मल्ल सिंघवी : क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुपये के अवमूल्यन के परिणामस्वरूप पी० एल० 480 के अन्तर्गत अनाज का आयात करने पर भाड़े के रूप में हमारे देश को काफी अधिक व्यय करना पड़ेगा,

(ख) यदि हां, तो कितना अधिक व्यय करना होगा; और

(ग) क्या इस के बारे में कोई समझौता हो गया है ?

खाद्य कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गो[illegible]) : (क) जी हां।

(ख) अवमूल्यन के परिणामस्वरूप वर्ष 1966–67 में संयुक्त राज्य अमेरिका से पी० एल० 480 के अधीन खाद्यान्नों के प्रत्याशित लदान पर भाड़े के खर्च में लगभग 23 करोड़ रुपये की वृद्धि होने का अनुमान है।

(ग) यदि यह संदर्भ अमेरिका सरकार के साथ किसी समझौते के बारे में है तो इसका उत्तर नकारात्मक है।

विकासशील देशों के लिये रियायती भाड़ा दरें

983. श्री प्र० च० बरुआ : क्या परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने इस वर्ष जुलाई में संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास अभिसमय की नौवहन समिति की विशेष बैठक में विकासशील देशों के लिये रियायती भाड़ा दरों पर जोर दिया;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला; और

(ग) इस बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मण्डल ने और क्या प्रस्ताव रखे ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी हां।

(ख) नौवहन पर समिति ने अपने विशेष सत्र में, नौवहन के क्षेत्र में समझ और सहकारिता को प्रोत्साहन करने के लिये भाड़ा दरों के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन के लिए कार्य करने का कार्यक्रम स्वीकृत किया है। यह नौवहन में रुचि रखने वाले सब दलों को उद्योग की व्यवस्था में ठीक

अन्तर्दृष्टि देकर, मौजूदा संगठन के प्रभावों का मूल्यांकन कर, और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और अर्थव्यवस्था पर नौवहन सेवाओं की लागत और भाड़ों दरों तथा नौवहन मार्गों के निश्चयन में आने वाले तथ्यों के विश्लेषण और अभिज्ञान द्वारा किया जायगा । इन मूलभूत तथ्यों के विवरणों और उनके अन्तर्संबंध के अध्ययन से बहुत कुछ मौजूदा गलत फहमी दूर हो जायगी और संभव सुधार के लिये भूमि तैयार होगी यह नौवहन सेवाओं का व्यवहार करने वाले और सप्लाई करने वाले के बीच अधिक आपसी विश्वास के वातवरण में होगा ।

कार्यक्रम में निम्न हैं:—

(1) देश अध्ययन
(2) पदार्थ अध्ययन
(3) मार्ग अध्ययन
(4) औसत अध्ययन

(ग) भारतीय शिष्टमंडल ने अन्तर्राष्ट्रीय आधार पर नौवहन समस्याओं और भाड़े के अध्ययन के कार्यक्रम का अनुमोदन किया था । यह विश्व भर में उचित दरों पर पर्याप्त और नियमित सेवाओं की व्यवस्था करने की दृष्टि से किया गया था इसने समानता की शर्तों पर नौवहन सम्मेलन में विकसित देशों के देशी जहाजों के भाग लेने की समस्याओं के विशेष अध्ययन पर, विकसित देशों के बड़े पत्तनों में सम्मेलन के प्रभावी प्रतिनिधित्व पर भी जोर दिया । इसने नौवहन सेवाओं की पर्याप्तता और आयातित माल के बारे में सहायक तथा उन्नतप्राय भाड़ा दरों और दरों में परिवर्तन की अग्रिम सूचना दी ।

Urdu in Law Courts

984. Shri Bade :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya :

Will the Minister of Law be pleased to state :

(a) whether it is a fact that most of the work in all the Law Courts of the country is being carried out in Urdu; and

(b) if so, the reasons for not using Hindi in the Courts in place of Urdu despite the fact that Hindi is the Official language ?

Minister of State in the Ministry of Law (Shri G. R. Pattabhi Raman) : (a) and (b) Information on the subject is being collected from the State Governments.

खेती के लिये ऋण

985. श्री बसुमतारी :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने आगामी खरीफ की फसल के लिये अधिक पैदावार वाली फसलों सम्बन्धी कार्यक्रम के लिये सहकारी समितियों के माध्यम से 70 करोड़ रुपये का कृषि ऋण देने का निश्चय किया है:

(ख) क्या यह राशि ऋण के रूप में दी जायेगी; और

(ग) यदि हां, तो ब्याज की दर क्या होगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) से (ग): आशा है कि आगामी खरीफ की फसल में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग 28 लाख एकड़ भूमि लायी जाएगी। इस कार्यक्रम के लिए खेती के आदानों (इन्पुट्स) की लागत तथा नकदी खर्चों के लिए अपेक्षित कुल राशि लगभग 76 करोड़ रुपए आंकी जाती है । इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले सहकारी ऋण समितियों के सदस्यों की ऋण की आवश्यकताएं भारत के रिजर्व बैंक की सहायता से सहकारी समितियों द्वारा पूर्ण रूप से पूरा करने का विचार है। वे लोग जो सहकारी समितियों के सदस्य नहीं हैं, अपनी ऋण सम्बन्धी आवश्यकताएं अन्य स्रोतों, जिनमें सरकारी तकावी भी शामिल है, से पूरा कर सकते हैं। मगर भाग लेने वाले सदस्यों की वास्तविक जरूरतों का अनुमान इस समय नहीं लगाया जा सकता है । सहकारी समितियां इन ऋणों पर ब्याज की अपनी सामान्य दरें, जो 8½ से 10 प्रतिशत तक हैं, लेंगी ।

नेफा में सड़कें

986. **श्री रिशांग किशिंग**: क्या परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1956 से 31 मार्च, 1966 तक सीमा सड़क संगठन द्वारा नेफा में कुल कितने किलोमीटर लम्बी सड़कें बनाई गईं;

(ख) उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित सड़कों के अतिरिक्त उक्त अवधि में नेफा प्रशासन द्वारा कुल कितने किलोमीटर लम्बी सड़कें बनाई गईं;

(ग) क्या इस बारे में हुई प्रगति संतोषजनक हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो नेफा में सड़कों के निर्माण संबंधी स्थिति में सुधार करने के लिये क्या नवीन उपाय किये गये हैं ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): (क) सीमान्त सड़क संगठन मार्च, 1960 में स्थापित किया गया था। 31 मार्च, 1966 तक नेफा में 98 6 किलोमीटर की नई सड़कें बनाई गई हैं।

(ख) 8 13 किलोमीटर ।

(ग) और (घ). कई कठिनाइयां जैसे कार्य करने की अल्प अवधि, ठेकेदारों और मजदूरों की कमी, मशीन की कमी, कठिन भू-प्रदेश और जलवायु की स्थितियों इत्यादि को देखते हुये प्रगति सन्तोषजनक है ।

सांताक्रूज हवाई अड्डे पर रेडार व्यवस्था

987. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सान्ताक्रुज हवाई अड्डे पर खराब मौसम में जहाजों के उतरने और चलाने में सहायता के लिये लगाया गया रेडार की सुविधा इस मौनसून में उपलब्ध नहीं हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): (क) और (ख). सान्ताक्रुज पर दो राडार लगाये गये हैं जिनमें से केवल एक राडार, आपात के कारण एक अधिकारी को उचित

प्रशिक्षण देने में देर होने की वजह से परिचालित नहीं किया गया है। प्रशिक्षण के अक्टूबर, 1966 तक पूरा हो जाने की आशा है, तब यह राडार भी परिचालित हो ने लगेगा।

उड़ीसा में लघु सिंचाई कार्य

988. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री 3 मई, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4770 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) क्या सरकार ने उड़ीसा राज्य के अभावग्रस्त क्षेत्रों में अतिरिक्त लघु सिंचाई कार्य आरम्भ करने के लिए 1 करोड़ रुपए नियत करने के सम्बन्ध में उड़ीसा सरकार की प्रार्थना पर इस बीच विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र): (क) और (ख). लघु सिंचाई की योजनाओं और विशेषकर चालू वर्ष की अवधि में कार्यक्रम के विषय में कार्य कर देगी तथा संसाधनों की जांच करने के लिए लघु सिंचाई विषयक एक केंद्रीय दल ने 11 से 14 जुलाई, 1966 तक उड़ीसा राज्य का दौरा किया था। अन्य बातों के अतिरिक्त दल ने 1966-67 की अवधि में राज्य सरकार को अतिरिक्त धनराशि देने के विषय में भी सिफारिशें की हैं। इस दल तथा राज्य के सूखाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करने वाले पहले दलों की सिफारिशों को दृष्टि में रखते हुए लघु सिंचाई के विषय में राज्य सरकार की अतिरिक्त धनराशि मांगने की प्रार्थना पर विचार हो रहा है।

उड़ीसा को अनाज का संभरण

989. **श्री धुलेश्वर मीना :** **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री रामचन्द्र उलाका : **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री भागवत झा आजाद : **श्री सुबोध हंसदा :**

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, मई और जून, 1966 में उड़ीसा राज्य को चावल और गेहूं का कितना कोटा दिया गया,

(ख) इन महीनों में उड़ीसा राज्य ने कितनी मांग की थी, और

(ग) क्या उस राज्य की सारी मांग पूरी कर दी गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) से (ग). उड़ीसा राज्य ने न तो कोई चावल मांगा है और न ही उसे सप्लाई किया गया है। उड़ीसा सरकार की गेहूं की मांग को पूर्ण रूप से पूरा किया जा रहा है। अप्रैल 1966 से जून 1966 तक उड़ीसा राज्य को गेहूं के निम्न कोटे नियत किये गये हैं :—

(मात्रा हजार मीटरी टन में)

अप्रैल, 1966	19.5
मई, 1966	35.2
जून, 1966	36.7

उड़ीसा में राष्ट्रीय राजपथ

990. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री राम चन्द्र उलाका :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1966 को उड़ीसा में राष्ट्रीय राजपथों की मीलों में कुल लम्बाई कितनी थी; और

(ख) इन राजपथों के नाम क्या हैं ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) नगर पालिका सीमाओं के अंतर्गत सेक्शनों को छोड़कर 1363.20 किलोमीटर (अर्थात् 852 मील) ।

(ख) राष्ट्रीय मुख्यमार्गों को संख्याओं द्वारा नामोद्दिष्ट किया गया है जो नीचे दी जाती है :—

क्रम संख्या	रा० मु० मा०	पथ
1.	5	कलकत्ता-कटक-विग—मदरास रोड
2.	6	धूलिया-नागपुर-सांभलपुर—कलकत्ता रोड
3.	42	सांभलपुर-कटक रोड
4.	43	रायपुर-विजियानगरम रोड

उड़ीसा में सहकारी आन्दोलन

991. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री राम चन्द्र उलाका :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने 1966-67 में उस राज्य में सहकारी आन्दोलन को तेज करने के लिये केन्द्रीय सरकार से अधिक वित्तीय सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की प्रति क्रिया क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जी हां ।

(ख) राज्य सरकार द्वारा राज्य योजना की उच्चतम सीमा के बाहर मांगी गई 5.61 लाख रुपए की कुल अतिरिक्त सहायता में से 1.89 लाख रुपए की राशि कृषि ऋण योजनाओं के बारे

में मंजूर की गई है। सहकारी विपणन और सहकारी शीतागार संयंत्रों से सम्बन्धित कुछ अन्य प्रस्तावों की जांच की जा रही है ।

कन्दरा भूमि (रेवीन लैण्ड) को खेती योग्य बनाना

992. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री 19 अप्रैल, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3911 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(ख) क्या देश में कन्दरा भूमि के सर्वेक्षण तथा उसको खेती योग्य बनाने के बारे में योजना आयोग की सिफारिशों पर इस बीच विचार कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) तथा (ख). योजना आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार किया गया है। जहां तक कन्दरा वाले क्षेत्रों के सर्वेक्षण का सम्बन्ध है, तीसरी योजना के दौरान आवश्यक कार्यवाही पहले ही शुरू कर दी गई थी और यह चौथी योजना में भी मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात राज्य की सरकारों द्वारा जारी रहेगी।

कन्दरा भूमि की सुधार सम्बन्धी अन्य सिफारिशों पर राज्य सरकारों की सलाह से विचार किया जा रहा है क्योंकि वास्तविक सुधार का कार्य उन्हीं के द्वारा किया जाएगा।

2. चौथी योजना में कन्दरा भूमि के सुधार का प्रस्ताव करना सपाट भूमि का प्रबन्ध तथा सीमान्त भूमि का स्थायीकरण करना है । फिर भी गहरी कन्दराओं का विकास वनरोपण तथा चरागाहों के लिए किया जाएगा ।

अनाज उतारना

993. **श्री राम चन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री 26 अप्रैल, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 1351 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनाज लाने वाले जहाजों से माल को उतार कर तटीय जहाजों में चढ़ाने के बारे में इस बीच विचार किया गया है, और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन): (क) और (ख). परद्वीप बन्दरगाह पर तटीय जहाजों में खाद्यान्नों के पार्श्व उतरान के प्रश्न पर विचार किया गया है लेकिन ये कार्य करने सम्भव नहीं पाये हैं क्योंकि इस बन्दरगाह पर अब तक अपेक्षित क्षमता की दो कर्ष नावें उपलब्ध नहीं हैं।

किसानों के लिये मौसम सम्बन्धी प्रसारण

994. **श्री श्यामलाल सर्राफ :** क्या परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय किसानों के लिये मौसम सम्बन्धी सूचना और समाचारों के बारे में प्रसारण करने की व्यवस्था कर रहा है;

(ख) क्या ये प्रसारण प्रान्तीय आधार पर किये जाते हैं; और

(ग) यदि हां, तो किस प्रकार के प्रसारण किये जाते हैं ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी हां।

(ख) आकाशवाणी का प्रत्येक केन्द्र उस क्षेत्र के किसानों के लिए मौसम बुलेटिन प्रसारित करता है जो उसके देहाती कार्यक्रम के अन्तर्गत आता है ।

(ग) इन प्रसारों में (i) प्रसार के दिन से लेकर तीसरे दिन की सुबह तक के लिए मान्य मौसम का पूर्वानुमान; (ii) इसी अवधि के दौरान भारी वर्षा, पाला, इत्यादि की चेतावनियां यदि कोई हों ; और (iii) आगामी दो दिनों में संभावित मौसम का हाल होता है ।

किसानों की शिक्षा

995. **श्रीमती मैमूना सुल्तान:** क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यूनेस्को और खाद्य तथा कृषि संगठन के सहयोग से किसानों की शिक्षा तथा उनके कार्य से सम्बन्धित साक्षरता के लिए एक कार्यक्रम बनाया है;

(ख) यदि हां, तो कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है, उस पर कितना खर्च होगा और वह खर्च सरकार तथा अन्य संगठनों द्वारा कितना कितना वहन किया जायेगा; और

(ग) उस कार्यक्रम के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र): (क) और (ख). यूनेस्को खाद्य एवं कृषि संगठन के विशेषज्ञों के एक साझे दल ने पिछले मई मास में किसानों की शिक्षा तथा उनके कार्य से संबन्धित साक्षरता के लिए एक परियोजना का प्रारूप तैयार किया था । इस कार्यक्रम का सम्बन्ध खेती की अधिक उत्पादनशील किस्मों में भाग लेने वाले कृषकों को प्रशिक्षण तथा शिक्षा देने से है । इस कार्यक्रम का उद्देश्य कृषकों के लिए उत्पादन एवं प्रदर्शन शिविरों की व्यवस्था करना, कृषकों के अध्ययन या विचार-विमर्श दलों का आयोजन करना, भाग लेने वाले कृषकों तथा युवा कृषकों के लिए कुछ चुने हुए केन्द्रों पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करना तथा विभिन्न स्तरों पर दृश्य-श्रव्य साधनों तथा रेडियो प्रसारणों का प्रबन्ध करना है । कार्यक्रम के उद्देश्यों में अधिक उत्पादनशील किस्मों के कार्यक्रम में भाग लेने वाले अशिक्षित बालिगों को व्यावहारिक शिक्षा देना भी शामिल है। अभी खाद्य एवं कृषि संगठन यूनेस्को दल के प्रस्तावों पर विचार हो रहा है; अतः वित्तीय समस्याओं के बारे में कुछ कहना सम्भव नहीं है ।

(ग) इस प्रस्ताव पर योजना आयोग के परामर्श से विचार किया जा रहा है । इस दौरानमें अधिक उत्पादनशील किस्मों के कार्यक्रम द्वारा खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की मौजूदा स्कीमों के अन्तर्गत विभिन्न केन्द्रों में कृषकों के प्रशिक्षण कार्य के बारे में व्यवस्था करता रहा है ।

बर्मनघाट के निकट राष्ट्रीय राजपथ पर पुल

996. श्री हरि विष्णु कामत : क्या परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्मनघाट (जिला नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश) के निकट राष्ट्रीय राजपथ संख्या 26 पर डोकरी नाला पर पुल का निर्माण कार्य निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नहीं हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) यह पुल कब चालू हो जायेगा ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) निर्माण कार्य की स्वीकृति मई, 1966 में दे दी गई थी। दो बार निर्माण कार्य के लिये निविदायें मांगी गईं परन्तु प्रत्येक बार केवल एक ही निविदा प्राप्त हुई। निर्माण कार्य का पंचाट विचाराधीन है।

(ग) निर्माण कार्य के पंचाट के पश्चात् लगभग दो वर्षों में पुल के यातायात के लिये खोल दिये जाने की आशा है।

गेहूं और चावल से बने खाद्य पदार्थ होटलों में परोसने पर प्रतिबन्ध

997. श्री हरि विष्णु कामत : क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में होटलों, रेस्तराओं तथा पाकशालाओं में सोमवार को गेहूं तथा चावल से बने पदार्थ तथा गुरुवार को चावल से बने पदार्थ परोसने पर प्रतिबन्ध लगा दिया है ;

(ख) यदि हां, तो यह आदेश कब जारी किया गया था;

(ग) इसके क्या कारण है; और

(घ) यह आदेश कब तक लागू रहेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी हां, लेकिन यह मनाही सोमवार को केवल 3 बजे के बाद न कि दिन भर लागू होती है।

(ख) सोमवार की सायंकाल को अनाज का भोजन न परोसने के आदेश 6-12-1965 और वृहस्पतवार को चावल न परोसने के आदेश 15-3-1966 को जारी किये गये थे।

(ग) भोजनालयों में सोमवार की सायं को अनाजरहित भाजन देने की प्रणाली भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री की सोमवार की सायं को भोजन न खाने की अपील और उनके अपने उदाहरण के कारण लागू की गई थी। देश में चावल की उपज में अत्यधिक कमी होने के कारण चावल की सप्लाई संरक्षित करने के और उपाय के रूप में अतिरिक्त चावल रहित दिन की प्रणाली लागू की गयी।

(घ) इस समय कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

पर्यटक विकास निधि

998. **श्री राम हरख यादव :**
श्री द्वारका दास मंत्री :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एक पर्यटन विकास निधि बनाने के एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की सम्भावनायें क्या हैं और इसके लिये कितनी धनराशि नियत की गई है ; और

(ग) क्या सरकार का भारत में पर्यटकों को लाने के लिये विमानों को किराये पर लेने का प्रस्ताव है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी हां । सीधे पर्यटन को उत्थान करने वाली परियोजनाओं को जैसे होटल, सड़क परिवहन, सुविधायें, इत्यादि, वित्तीय सहायता देने के लिये पर्यटक विकास ऋण निधि स्थापित करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) ब्यौरा तैयार किया जा रहा है ।

(ग) जी नहीं । पर्यटकों को भारत में लाने के लिये वायुयानों को किराये पर लेने से सम्बन्धित नियमों को उदार बनाया गया है । पचास किराये के विमानों को भारत में गंतव्य स्थान के लिए एक से तीन सप्ताह तक ठहरने की अनुमति दे दी गई है ।

बिहार में बनमनकी चीनी कारखाना

1000. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बिहार के सहकारी क्षेत्र में बनमनकी चीनी कारखाने में अभी तक उत्पादन आरम्भ न होने के क्या कारण हैं ;

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : मुख्य कारण ये हैं कि सहकारी समिति अपने उत्पादक सदस्यों से अपेक्षित हिस्सा पूंजी जुटाने, ऋण लेने हेतु औद्योगिक वित्त निगम को आवेदन पत्र देने और प्लांट तथा मशीनों के लिये आर्डर देने में समय पर कार्यवाही करने में असफल रही । अब ये कदम उठाये जा चुके हैं और आशा है कि यह कारखाना 1967-68 के गन्ना पेरने के मौसम में उत्पादन शुरू कर देगा ।

रुपये के अवमूल्यन के कारण इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन और एयर इंडिया को हानि

1001. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुपये के अवमूल्यन के कारण इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन को, खरीदे

गये अथवा खरीदने के लिए पहले करार किये गये कारवेल विमानों और अन्य विमानों के लिए आस्थागित भुगतान पर बड़ी हानि उठानी पड़ी है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी ; और

(ग) इस कारण यदि एयर इण्डिया को कोई हानि होगी तो कितनी ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख). क्रय आदेश दिये गये दो फोकर विमानों और दो कारवेल विमानों सहित आस्थागित भुगतान के आधार पर खरीदे गये कारवेल और फोकर विमानों के कारण आई० ए० सी० की पुनः भुगतान करने की देयता अवमूल्यन के प्रभाव के कारण 1010.35 लाख रुपये बढ़ गयी ।

(ग) क्रय आदेश दिये गये दो बोइंग विमानों सहित बोइंग विमानों को खरीदने के लिए एयर इंडिया द्वारा लिये गये डालर ऋणों की पुनःभुगतान करने की देयता में 923.90 लाख रुपये की बढ़ोतरी हुई ।

अनाज की खपत

1002. **श्री म० ना० स्वामी** : क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में अनाज की प्रति व्यक्ति खपत कितनी रही है ; और

(ख) यदि खपत कम हो रही है, तो कमी को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रायल में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : खाद्यान्न की खपत का देशव्यापी सर्वेक्षण न होने के कारण यह बताना सम्भव नहीं है कि गत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में अनाज की प्रति व्यक्ति खपत कितनी है ।

(ख) चालू वर्ष में उत्पादन में भारी कमी होने के कारण, इस वर्ष गत वर्ष की तुलना में खाद्यान्नों की उपलब्धी बहुत कम हुई है । अधिक से अधिक यथासम्भव अनाज का आयात करने तथा उसे सरकारी तौर पर वितरण करने के लिये कदम उठाये गये हैं ।

Official Language (Legislative) Commission

1003. **Dr. Mahadev Prasad** :
Shri Ram Harkh Yadav :
Shri M. L. Dwivedi :
Shri S. C. Samanta :
Shri Bhagwat Jha Azad :
Shri Subodh Hansda :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri D. C. Sharma :

Will the Minister of **Law** be pleased to state :

(a) whether the Central Official Language (Legislative) Commission has been reconstituted; and

(b) if so, the form in which it has been reconstituted ?

Minister in the Ministry of Law (Shri C. R. Pattabhi Raman) : (a) Yes, Sir.

(b) Unlike the former Commission which had a Chairman, a Vice-Chairman, five full-time Members, a Member-Secretary and ten part-time Members, the Commission, as re-constituted, consists of a Chairman, eight full-time Members and fifteen part-time Members. The part-time members are nominees of the State Governments.

Gram Sabhas

1004. Dr. Mahadeva Prasad : Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development and Cooperation** be pleased to state :

(a) whether the Study Group, which was proposed to the set up to suggest steps for making Gram Sabhas more effective at the village level, has since been set up; and

(b) if so, the suggestions made by that team ?

The Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Shinde): (a) The Study Team on the position of Gram Sabha in the Panchayati Raj movement, set up in June, 1962, submitted its Report in April, 1963.

(b) A stetement showing the important recommendations made by the Study Team is laid on the Table of the House. The Report of the Study Team has also been placed in the library of the Parliament.

[*Placed in the Library* See. *No. LT*-6615/66]

Cattle Development

1005. Dr, Mahadeva Prasad : Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development and Cooperation** be pleased to state :

(a) the steps taken for cattle development by the Central Council of Gosamvardhana in different States during the Third Five Year Plan; and

(b) the progress achieved in this direction ?

Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri S. D. Misra) : (a) and (b). A note containing the information is attached.

[*Placed in the Library . See No. LT*-6616/66]

Crops Affected by Heat Wave

1006. Dr. Mahadeva Prasad : Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development and Cooperation** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that North-Eastern part of the country was affected my fierce heat wave in the second week of June, 1966; and

(b) if so, whether any assessment has been made of its effect on the next crop ?

Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri S. D. Misra) : (a) Yes Sir, there was a moderate to severe heat wave in Gangetic West Bengal and Bihar between 6th and 12th June, 1966, and in Orissa between 9th and 12th June, 1966. There was no heat-wave in other parts of North East India.

(b) During the period of heat wave rainfall was also deficient in the affected areas which was reported to have some delay in kharif tillage operations and sowings. No quantitative assessment of the damage to the next crop can be made. However, since the duration of the heat-wave was very short, its effect on the next crop is not likely to be significant.

राजनैतिक दलों के दल-चिन्ह

1007. श्री शिवमूर्ति स्वामी : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरों पर प्रत्येक राजनैतिक दल के लिये कितने चिह्न (प्रत्येक दल के चिह्न का ब्यौरा सहित) सुरक्षित किये गये हैं ?

(ख) 1967 के आम चुनावों में नये राजनैतिक दलो तथा निर्दलीय उम्मीदवारों को निर्धारित करने के लिये कितने चिह्न रखे गये हैं ;

(ग) क्या आगामी चुनावों में कांग्रेस के चिह्न को बदलने के बारे में धार्मिक भावनाओं के आधार पर कोई अभ्यावेदन मिले हैं ; और

(घ) इस बात को सुनिश्चित करने के लिये कि आगामी चुनाव निष्पक्ष तथा स्वतन्त्र हों, क्या कार्यवाही की जा रही है ।

विधि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : (क) और (ख). आवश्यक जानकारी भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग 2 खण्ड 3(ii), तारीख 2 सितम्बर, 1965 में प्रकाशित निर्वाचन आयोग की अधिसूचना सं० का० आ० 2787, तारीख 2 सितम्बर, 1965 में अन्तर्विष्ट है।

(ग) जी नहीं।

(घ) किए गए निर्वाचन निष्पक्ष और स्वतन्त्र थे । लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और तदधीन बनाए गए नियमों के उपबन्ध तथा इन अधिनियमों और नियमों के अधीन उठाए जाने के लिए अपेक्षित सभी कदम निष्पक्ष और स्वतन्त्र निर्वाचन सुनिश्चित करने के लिए ही परिकल्पित हैं । इस सम्बन्ध में कोई नए कदम उठाए जाना अपेक्षित नहीं है ।

अखिल भारतीय पर्यटन विकास परिषद्

1008. श्री मं० रं० कृष्ण :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री बासप्पा :

क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष जुलाई में मैसूर में अखिल भारतीय पर्यटन विकास परिषद् की बैठक हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में क्या विचार विमर्श किया गया तथा कौन-कौन से संकल्प पारित किये गये ; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) से (ग). पर्यटक विकास परिषद् ने अपनी दसवीं बैठक मैसूर में 30 जून और 1 जुलाई को की थी ।

परिषद् द्वारा पारित प्रस्ताव नत्थी हैं। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—6617/66]

प्रस्ताव संख्या 2, 3 और 11 पर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है। अन्य प्रस्तावों का केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें परीक्षण कर रही हैं।

पश्चिमी बंगाल में राशन व्यवस्था

1009. **श्री दीनेन भट्टाचार्य :**

क्या **खाद्य, कृषि, सममुदायिक विकास तथा** सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यदि केन्द्र से तुरन्त पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न न भेजा गया तो कलकत्ता तथा पश्चिमी बंगाल के अन्य औद्योगिक और नगरपालिकाओं वाले शहरों में कानूनी तौर पर की गई राशन व्यवस्था समाप्त हो जाने की सम्भावना है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : अगस्त तथा सितम्बर में पश्चिमी बंगाल में कानूनी राशन व्यवस्था तथा रूपभेदित राशन व्यवस्था में कुछ कठिनाइयां होंगी ।

(ख) खाद्यान्नों की उपलब्धता की सीमा को देखते हुए भारत सरकार उनकी अधिकाधिक यथा सम्भव सहायता करने का प्रयत्न कर रही है ।

New Aerodrame at Madras

1010. **Shri Bade :** **Shri Kashi Ram Gupta :**
Shri Hukam Chand Kachavaiya : **Shri Onkar Lal Berwa :**

Will the Minister of **Transport Aviation, Shipping and Toruism** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government propose to construct a new aerodrame at Madras.

(b) if so, the amount to be spent thereon; and

(c) when it is likely to be completed ?

Minister of Transport, Aviation, Shipping and Toruism (Shri N. Sanjiva Reddi) : (a), (b) and (c) There is no proposal to construct a new aerodrome at Madras, but it is proposed to construct an internetional block and a domestic block alongside the existing terminal building at an estimated cost of Rs. 98 lakhs for the former and Rs. 54 lakhs for the latter. These are expected to be undertaken during the Foutrh Five Year Plan period.

खाद्य विभाग के कर्मचारी

1011. **श्री दशरथ देव :**
श्री अ० क० गोपालन :
श्री कोल्ला वेंकेया :

क्या **खाद्य कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्य विभाग के कितने कर्मचारियों ने 1965 और 1966 में भारतीय खाद्य निगम

में नौकरी करने की इच्छा व्यक्त की ; और

(ख) खाद्य विभाग के कितने कर्मचारियों ने निगम में जाना स्वीकार नहीं किया ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) खाद्य विभाग के कर्मचारियों के भारतीय खाद्य निगम में स्थानान्तरण की शर्तें अभी सरकार के विचाराधीन हैं तथा खाद्य विभाग के किसी भी कर्मचारी को अभी तक भारतीय खाद्य निगम में नौकरी करने के बारे में इच्छा प्रकट करने को नहीं कहा गया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पंजाब के सीमा क्षेत्रों में सड़कें

1012. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या परिवहन, उड्डयन नौवहन तथा पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब के सीमा क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ख) क्या ताशकन्द समझौते के बाद इस कार्यक्रम पर कोई प्रभाव पड़ा है ?

परिवहन, उड्डयन नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) 224 मील की नई सड़कों का निर्माण और 438 मील की मौजूदा सड़कों की मरम्मत सुधार प्रगति पर है ।

(ख) धन की उपलब्धता के अनुसार निर्माणकार्य चलाया जा रहा है ।

विश्वविद्यालयों में उपभोक्ता सहकारी भण्डार

1013. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा** : **श्री दिगे** :
श्री प्र० चं० बरुआ : **श्री ओंकार लाल बेरवा** :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विश्वविद्यालयों तथा सम्बद्ध कालेजों में सहकारी उपभोक्ता भण्डार स्थापित करने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को 1 करोड़ रुपए देने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है ?

खाद्य कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण, जिसमे योजना की मुख्य बातें दी गई हैं सभा-पटल पर रखा जाता है । [पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 8–6618/66 ।]

व्यावहारिक पोषण कार्यक्रम

1014. **श्री बासप्पा** : क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री बह बताने की कृपा करेंगे कि मैसूर, मध्य प्रदेश और राजस्थान के सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में व्यावहारिक पोषण कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिये अब तक की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : व्यावहारिक पोषणकार्यक्रम का उद्देश्य पौष्टिक रूप से मूल्यवान खाद्यों के उत्पादन संरक्षण तथा उपभोग में पोषण सम्बन्धी शिक्षा तथा प्रशिक्षण का एक समन्वित कार्यक्रम विकसित करना है। यह कार्यक्रम आर्थिक तथा पौष्टिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में शुरू किया जाता है; इसे इसी रूप में सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है; सूखे की स्थिति एक मौसम से दूसरे मौसम तथा एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न-भिन्न होती है ।

जाक्कड़ फ्लाइंग क्लब के विमान की दुर्घटना

1015. **श्री बासप्पा** : क्या परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर के समीप जाक्कड़ फ्लाइंग क्लब का एक विमान जून 1966 के तीसरे सप्ताह में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था जिसके परिणामस्वरूप एक विमान चालक प्रशिक्षार्थी की मृत्यु हो गई; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री सजीव रेड्डी) : (क) जी हां। भारत सरकार का एक टाइगरमौथ विमान वी टी-डी ई आर जोकि गवर्नमेन्ट फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल जाक्कड़ द्वारा चलाया जा रहा था 21 जून 1966 को बंगलौर के दक्षिण-पश्चिम में लगभग 35 मील दूर कनकापुरा में एक तालाब में दुर्घटनाग्रस्त हो गया जिसके परिणामस्वरूप विमान में अकेले बैठे विमान चालक की मृत्यु हो गयी ।

(ख) दुर्घटना की जांच हो रही है ।

मैसूर में हवाई अड्डे

1016. **श्रीलिंग रेड्डी** : क्या परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में मैसूर राज्य में उड्डयन के अन्तर्गत कितना धन खर्च किया गया है और निर्माण-कार्यों के क्या नाम हैं और उन पर अनुमानतः कितनी लागत आयेगी; और

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना में राज्य में हवाई अड्डों के विकास और सुधार सम्बन्धी क्या क्या कार्य किये जायेंगे और उन पर अनुमानतः कितनी लागत आयेगी ?

परिवहन, उड्डन, नौवहन तथा पर्यटनमंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) सूचना इकट्ठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रखी जायेगी ।

(ख) चौथी योजना की अवधि के दौरान लगभग 2.30 करोड़ रुपये की लागत के निर्माण-कार्यों को आरम्भ करने का प्रस्ताव है ।

मैसूर में राष्ट्रीय राजपथ

1017. **श्री लिंग रेड्डी** : क्या परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य में इस समय कितने राष्ट्रीय राजपथ हैं और उनके नाम क्या हैं;

(ख) बैंगलौर मैसूर सड़क को राष्ट्रीय राजपथ घोषित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) मैसूर के बारे में तीसरी तथा चौथी पंचवर्षीय योजनाओं में शामिल किये गये राष्ट्रीय राजपथों तथा सड़कों के कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): (क) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्याओं द्वारा नामोदिष्ट किये जाते हैं जो नीचे दिये जाते हैं:—

क्रम संख्या	रा० मु० भा०	मार्ग
1	4	पूना-बंगलौर-मदरास सड़क
2	7	वाराणसी-जबलपुर-नागपुर-हैदराबाद-बंगलौर-मदुराई-कांडला कुमारी सड़क
3	9	शोलापुर-हैदराबाद-विजयवाड़ा सड़क
4	13	शोलापुर-चीतलदुर्ग सड़क

(ख) वित्तीय सीमाओं के कारण भारत सरकार फिलहाल मौजूदा राष्ट्रीय मुख्य मार्ग व्यवस्था में कोई और जोड़ नहीं कर रही है ।

(ग) तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में मैसूर राज्य में स्वीकृत राष्ट्रीय मुख्य मार्ग के निर्माण कार्य तथा 31 मार्च 1966 तक की गई प्रगति का एक विवरण संलग्न है ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी—6619/66]

देश में राष्ट्रीय मुख्य मार्गों के विकास के लिये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिमरूप नहीं दिया गया है ।

बिहार के लिये चीनी के मूल्य

1018. **श्री विभूति मिश्र :** क्या खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में चीनी के मूल्य कब अन्तिम रूप से घोषित करने का सरकार का विचार है और

(ख) विभिन्न क्षेत्रों में चीनी के मूल्य अब तक किस आधार पर नियत किये गये हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे): (क) शर्करा के कारखाने से चलते समय के मूल्यों की समीक्षा की जा रही है और समीक्षा पूरी हो जाने के बाद जो भी संशोधित मूल्य आवश्यक होगा, घोषित किया जाएगा ।

(ख) आरम्भिक अवस्था में शर्करा के कारखाने के चलते समय के मूल्य सीज़न के शुरु में, क्षेत्र के अनुसार, क्षेत्र में शर्करा कारखानों द्वारा गन्ने का देय औसत मूल्य और औसत अनुमानित उपलब्धि तथा उनकी गन्ना पेरने की सम्भावी अवधि के आधार पर निर्धारित किये जाते हैं। 1964-65 तक ये मूल्य टैरिफ आयोग द्वारा तैयार की गयी संगत तालिकाओं के अनुसार और 1965-66 से शर्करा जांच आयोग द्वारा तैयार की गयी संगत तालिकाओं के अनुसार निर्धारित किये गये । इस प्रकार

निर्धारित मूल्यों की वास्तविक कार्यचालन सम्बन्धी परिणामों और यथा आवश्यक संशोधित कारखाने से चलते समय के मूल्यों की दृष्टि में गन्ना पेरने का मौसम समाप्त होने के बाद समीक्षा की जाती है।

Free Food For Childern

1019. Shri Kishan Pattnayak :
Shri Madhu Limaye :

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development and Cooperation** be pleased to state :

(a) the number of children at present being provided with free food in Orissa and other famine-stricken and drought-affected areas and the number of villages where centres have been opened for the purpose; and

(b) whether arrangements to provide free food have been made for non-school going children also and the total number of children covered by this scheme ?

Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri P. Govinda Menon) : (a) and (b) : The information is being collected from the States concerned and will be laid on the Table of the Sabha as soon as it is collected,

Assistance to Farmers

1020. Shri Kishen Pattnayak :
Dr. Ram Manohar Lohia :
Shri Madhu Limaye :

Will the Minister of **Food, Agriculture, Community Development and Cooperation** be pleased to state :

(a) the State-wise and District-wise details of the assistance provided in terms of taccavi loans, seeds, tractors for agriculture during the current year in Orissa and other famine and drought-stricken areas ;

(b) the number of farmers to whom loans were provided till the 15th June, 1966 and the total amount thereof; and

(c) whether any estimate has been prepared of the acreage of land where agriculture would not be possible wholly or partially due to the non-availabiliity of resources ?

Deputy Minister in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri S. D. Misra) : (a) to (c) : The required detailed information is being collected and will be placed on the table of the Sabha when completed. So far as the amount of Taccavi loans and seeds distributed in Orissa State as a whole are concerned, figures regarding these upto the end of June have been given in the Review of the Scarcity Situation circulated among members of Parliament earlier in this session.

बिहार में झाड़खंड पार्टी के लिये दल-चिन्ह (सिम्बल)

1021. श्री अ० क० गोपालन : **श्री कोल्ला वेंकैया :**
श्री दशरथ देब : **श्री दीनेन भट्टाचार्य :**

क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बिहार में झाड़खण्ड पार्टी को दल-चिह्न दे दिया है;

(ख) क्या झाड़खण्ड पार्टी के नेतृत्व सम्बन्ध में कोई विवाद चल रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने क्या निर्णय लिया है ?

विधि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन): (क) निर्वाचन आयुक्त ने झाड़-खण्ड पार्टी को बिहार राज्य में मान्यता प्रदान कर रखी है तथा उसको एक दल-चिह्न दे दिया गया है।

(ख) विवाद न केवल इस दल के वर्तमान नेतृत्व के बारे में है अपितु इस के अलग राजनैतिक दल होने के बारे में भी है । यह दावा किया जाता है कि यह दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मिल गया है ।

(ग) आयोग ने इस मामले में कुछ जांच की है परन्तु अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है।

सिलचर पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं की सूची

1022. **श्री अ० क० गोपालन :** **श्री कोल्ला वेंकैया :**
श्री दशरथ देव : **श्री दीनेन भट्टाचार्य :**

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इलेक्टोरल पंजीयन कार्यालय (आसाम) ने आगामी आम चुनावों के लिये सिलचर पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं की सूची प्रकाशित कर दी है;

(ख) क्या रेलवे भूमि पर निवास करने वाले रेलवे कर्मचारियों के नामों को इस सूची में शामिल नहीं किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : (क) से (ग). मुख्य निर्वाचन आफिसर, आसाम से जानकारी संग्रहीत की जा रही है ।

महान्यायवादी (अटोर्नी जनरल) द्वारा निजी प्रैक्टिस

1023. **श्री रा० बरुआ :**
श्री द्वारका दास मंत्री :

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महान्यायवादी ने निजी प्रैक्टिस के अधिकार की मांग की है जैसा कि पहले होता था; और

(ख) यदि हां, तो क्या उस मांग को स्वीकार कर लिया गया है ?

विधि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं ।

जयन्ती शिपिंग कम्पनी

1024. **श्री रा० बरुआ :** क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उस ऋण का ब्यौरा मिल चुका है जो जयन्ती शिपिंग कंपनी ने विभिन्न पार्टियों को देना है; और

(ख) यदि हां, तो विभिन्न पार्टियों ने जयन्ती शिपिंग कंपनी से कितनी धन राशि लेनी है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी): (क) जयन्ती शिपिंग कंपनी लि० के समस्त खाना लेनदारों को मैनेजिंग एजेन्टों द्वारा जारी किये गये परिपत्रों के उत्तर में, कई दावे प्राप्त हुये हैं और पंजीकृत कर लिये गये हैं, किन्तु यह प्रक्रिया अभी चल रही है और इसके पूरा होने में समय लगेगा।

(ख) उपलब्ध सूचना के आधार पर मैनेजिंग एजेन्टों द्वारा तैयार किये सन्निकट प्राक्कलन से पता चलता है कि 10 जून, 1966 को जयन्ती शिपिंग कंपनी द्वारा विभिन्न दलों को, जिसमें शिपयार्ड भी शामिल है, देय की सम्पूर्ण राशि लगभग 44.12 करोड़ रुपये थी। इस संख्या में 2.88 करोड़ रुपये की प्रदत्त पूंजी और 0.38 करोड़ रुपये का विकास आरक्षित शामिल नहीं है। यदि ये दो मद भी शामिल कर लिये जाते हैं तो तब संपूर्ण देयता, 47.38 करोड़ रुपये की होगी। यह कंपनी की संपूर्ण परिसंपत्ति के विपरीत 43 करोड़ रुपये की है।

पंजाब में सूखे की स्थिति

1025. **श्री हेमराज :**
श्री दलजीत सिंह :

क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कांगड़ा, होशियारपुर और गुरदासपुर जिलों के पर्वतीय क्षेत्रों में सूखा पड़ा हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इन क्षेत्रों के बारे में पंजाब सरकार से कोई रिपोर्ट मिली है ; और

(ग) केन्द्रीय सरकार का इन क्षेत्रों को क्या सहायता देने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) और (ख). पंजाब सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 1965 में राज्य के कई भागों में जिनमें कांगड़ा, होशियारपुर और गुरुदासपुर जिले भी शामिल हैं, सर्दी की आरम्भिक वर्षा कम हुई थी।

(ग) पंजाब सरकार ने केन्द्रीय सरकार से किसी प्रकार की वित्तीय सहायता देने के लिये नहीं कहा है। तथापि, राज्य सरकार से कहा गया है कि वे सहायता कार्यों पर वास्तव में किये गये खर्च का ब्यौरा भेजें और इस सूचना के प्राप्त होने पर सहायता के निर्धारित प्रतिरूप के अधीन जो भी सहायता देय होगी राज्य सरकार को सुलभ की जाएगी।

विस्तार प्रशिक्षण सम्बन्धी तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन

1026. **श्री वी० चं० शर्मा** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई, 1966 के दूसरे सप्ताह में हैदराबाद में हुए विस्तार प्रशिक्षण सम्बन्धी तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन ने किसानों के व्यापक प्रशिक्षण तथा कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए अनेक सिफारिशें की हैं;

(ख) क्या इन सिफारिशों पर विचार किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या परिणाम निकला ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जी हाँ।

(ख) और (ग). उन पर विचार हो रहा है।

गोबर की बर्बादी

1027. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात का अनुमान लगाया है कि प्रति वर्ष गोबर की खाद के रूप में प्रयोग करने की बजाय उसे जलाये जाने के कारण कितनी हानि होती है; और

(ख) ईंधन के रूप में गोबर का प्रयोग न हो बल्कि खाद के रूप में प्रयोग हो, इसके लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) जी हां नैशनल कांउसिल आफ अप्लाईड एकोनामिक रिसर्च द्वारा किये गये अध्ययन के अनुसार देश में प्रति वर्ष 13350 लाख माटरी टन गोबर उपलब्ध होता है जिससे सूखने पर 2670 लाख मीटरी टन गोबर की खाद बनती है। कांउसिल के अनुसार 522 लाख मीटरी टन सूखा गोबर (अर्थात् कुल का 20 प्रतिशत) जलाने के काम में लाया जाता है।

(ख) सरकार नें गोबर को जलाने से बचाने तथा इसें खाद के रूप में काम में लाने कें लिए निम्न कदम उठाये हैं:—

(1) गोबर गैस प्लान्टों की स्थापना को लोकप्रय बनाया जा रहा है। गोबर गैस प्लान्ट से कृषकों की ईन्धन तथा खाद दोनों प्रकार की आवश्यकतायें पूरी होती हैं ;

(2) साझी भूमि, बेकार भूमि तथ खेतों के मेंढों पर शीघ्र उगने वाले वृक्ष लगाने के कार्य को प्रोत्साहन देना तथा वनों का विकास करना।

(3) राज्य सरकारों को परामर्श दिया गया है कि वे ईन्धन के लिए पत्थर के कोयले के प्रयोग को बढ़ा दे और कोयले के डिपुओं की स्थापना के विषय में उदार नीति अपनायें।

(4) राज्यों संघ क्षेत्रों की योजनाओं में खाद के स्थानीय संसाधनों जिसमें गोबर से खाद तैयार करना भी शामिल है, के अधिक तथा उन्नत प्रयोग की भी एक योजना शामिल की गई है।

दिल्ली के निकट सोना के गर्म पानी के चश्मों का विकास

1028. **श्री वी० चं० शर्मा :** क्या **परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के निकट सोना के गर्म पानी के चश्मों का आधुनिक पर्यटन तथा स्वास्थ्य-वर्द्धक स्थान के रूप में विकास करने का कार्य रोक दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) से (ग). दिल्ली के निकट सोना के गर्म पानी के चश्मों का स्पा के रूप में विकास करने पर पर्यटन विभाग, पंजाब सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय के परामर्श में विचार कर रहा है। विस्तृत योजना को अंतिम रूप देने से पूर्व इस चश्मे के जल के रोगहर गुणों का निश्चय करने के लिये कुछ वैज्ञानिक परीक्षण करना जरूरी समझा गया इस प्रयोजन के लिए तालाब को खाली करने और क्षेत्र को निर्दोषित करने के बाद उद्गम से पानी का नमूना लिया जाएगा। इस प्रकार लिये गये नमूने को तब भारतीय और विदेशी विशेषज्ञों के पास विश्लेषण के लिये भेजा जायगा। विशेषज्ञों से प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद सोना को स्पा के रूप में विकसित करने के प्रश्न पर विचार किया जायगा।

एक सहकारी समिति में गबन

1029. **श्री जेधे :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांगड़ा (पंजाब) में जमींदारा सहकारी, समिति दसलून, लम्बाग्राम में हो रहे गबन के बारे में सरकार को पता है ;

(ख) यदि हां, तो गबन, का यह सिलसिला किस तारीख से आरम्भ हुआ था ;

(ग) इस अवधि के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन क्या हैं ;

(घ) क्या गबन की अवधि में इस के बारे में किसी व्यक्ति से कोई शिकायत आई थी;

(ङ) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई थी ; और

(च) उसका का क्या निष्कर्ष निकला है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) :

(क) जी हां ।

(ख) 13-9-1950

(ग) 1-7-56 से 30-6-60 तक की अवधि के लेखों की लेखा-परीक्षा तीन लेखा-परीक्षा टोलियों ने की थी, किन्तु उन में से किसी को भी गबन का प ा नहीं चला । बाद में की गई विशेष लेखा परीक्षा से गबन का पता चला ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) व (च) प्रश्न नहीं उठते ।

केरल में मैनम चीनी मिलें

1030. **श्री मुहम्मद कोया :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केरल में मैनम चीनी मिलों को हाल में भूमि दी है; और

(ख) यदि हां, तो किस आधार पर ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिंदे) : (क) और (ख) : केरल सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा के पटल पर रखी जाएगी ।

जी० टी० रोड के विकल्प के स्वरूप में दूसरी सड़क

1032. **श्री हेम राज :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **परिवहन, उड्डयन नौवहन तथा पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब के लोक निर्माण विभाग के भूतपूर्व मंत्री ने हाल ही में सुझाव दिया है कि ग्राण्ड ट्रंक रोड पर अत्याधिक भीड़-भाड़ होने के कारण इस सड़क के विकल्प के रूप में एक अन्य सड़क दिल्ली से हिसार, जीन्द, नरवाना, संगरुर, बरनाला, मोगा तथा हरिका होती हुई अमृतसर तक बनाई जाये ;

(ख) क्या सरकार ने इस सुझाव पर विचार किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेडडी) : (क) से (ग). इस प्रस्ताव के अन्तर्गत रोहतक (और हिसार नहीं) होकर दिल्ली और अमृतसर के बीच एक वैकल्पिक राष्ट्रीय मुख्य मार्ग की व्यवस्था का विचार है। इन दो स्थानों के बीच प्रत्यक्षत: दूसरे राष्ट्रीय मुख्य मार्ग की आवश्यकता नहीं है। मौजूदा राष्ट्रीय मुख्य मार्ग (रा० मु० मा० संख्या –1) जो उन्हें जोड़ता है, कुछ वर्षों तक के लिये परिवहन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये पर्याप्त है। जब यातायात में और अधिक वृद्धि होगी तो एक्प्रैस वे मानक की नई सड़क के निर्माण की आवश्यकता पर विचार किया जायेगा।

दिल्ली में सहकारी समितियां

1033. **श्री रामपुरे :** क्या **खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा दिल्ली में सहकारी समितियों को दी गई राशि बट्टे खाते में डालनी पड़ी हैं क्योंकि उसे वसूल करना संभव नहीं था ;

(ख) यदि हां, तो कितनी धनराशि बट्टे खाते डाली जायेगी; और

(ग) ये ऋण कब दिये गये थे और समय पर उन्हें क्यों वसूल नहीं किया जा सका ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्याम र मिश्र): (क) दिल्ली प्रशासन के सहकारी विभाग के माध्यम से सहकारी समितियों को ऋण के रूप में दी गई कोई भी राशि वसूली योग्य न होने के कारण बट्टे खाते में नहीं डाली गई है।

(ख) व (ग) प्रश्न नहीं उठते।

उड़ीसा में अभाव की स्थिति

1034. **श्री रामपुरे :** क्या **खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकारियों के उस दल ने, जो उड़ीसा में वर्तमान अकाल की स्थिति का अध्ययन करने के लिये वहां गया था, अपना प्रतिवेदन दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या दल ने किन्ही विशिष्ठ उपायों के सुझाव दिये हैं और वर्तमान संकट को दूर करने के लिये राज्य की केन्द्रीय सहायता बढ़ायी गई हैं, तो कितनी ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन): (क) और (ख) जी हां। केन्द्रीय दल ने जिसने मई, 1966 के आरम्भ मे उड़ीसा का दौरा किया था, अपने दौरे के परन्तु बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। रिपोर्ट की प्रतियां लोक सभा के सदस्यों मे 10 मई, 1966 का परिचालित कर दी गई थीं। दल के मुख्य निष्कर्षों और सिफारिशों का सारांश संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—6620/66]**

राज्यों में खाद्य स्थिति

1035. **डा चन्द्र भान सिंह** : क्या **खाद्य, कृत्रि सामुदायिक विकास तथा सहकार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या चालू वर्ष में महाराष्ट्र, केरल, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में अनाज की कमी की स्थिति के बारे मे सरकार को पता है ;

(ख) 1 जनवरी, 1966 से लकर अब तक महीने वार हर राज्य को सरकार ने कितना-कितना अनाज दिया है ; और

(ग) सरकार ने राज्यवार, कितने प्रतिशत कमी पूरी की है ?

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन): (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6621/66]

(ग) खाद्यान्नों की आवश्यकता कई तथ्यों जसे कि राष्ट्रीय आय का वितरण, शहरीकरण की रफ्तार, लोगों की भोजन संबंधी आदतों में परिवर्तन आदि, पर निर्भर करती है। भारत जैसी विकासोन्तोन्मुख अर्थव्यवस्था में ये तथ्य निरन्तर बदलते रहते हैं और किसी भी राज्य की कमी का ठीक-ठीक अनुमान लगाना संभंव नहीं है। अत: यह बताना संभव नहीं है कि केन्द्रीय सप्लाई से कितनी प्रतिशत कमी पूरी की जाती है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

बर्मा के सीमा शुल्क कर्मचारियों द्वारा भारतीय बेट आदिम जाति के लोगों पर गोली जलाया जाना।

श्री कपूर सिंह : मैं गृह-कार्य मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि इस पर एक वक्तव्य दें :—

"22 और 23 जुलाई, 1966 को बर्मा के सीमा शुल्क कर्मचारियों द्वारा भारतीय बेट आदिम जाति के लोगों पर गोली चलाया जाना, जिसके फलस्वरूप एक व्यक्ति की मृत्यु हुई तथा कुछ लोगों के घायल होने समाचार।"

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : 22 जुलाई को करीब 3 बजे शाम, जब भारत-बर्मा भारतीय क्षेत्र में दो भारतीय आदिम जाति व्यक्ति काम कर रहे थे तो उन से दो व्यक्तियों ने, जिनको बर्मा सीमा-शुल्क विभाग का अधिकारी बताया जाता है, आपत्ति प्रकट करते हुए कहा कि वे बर्मा के क्षेत्र में घुस आये हैं और उनको अपनी ओर आगे आने के लिये कहा । जब उन आदिमजाति व्यक्तियों ने ऐसा करने से इन्कार कर दिया तो बताया जाता है कि सीमा शुल्क अधिकारियों ने गोली चलाना शुरू कर दिया । जिसके जवाब में एक भारतीय आदिमजाति व्यक्ति ने भी गोली चलाई । इस पर बर्मा के अधिकारी वहां से चले गये और उन दो भारतीयों ने निकट के मोरेह स्थित थाने में रिपोर्ट की । जहां इस मामले को दर्ज कर लिया गया ।

इसके पश्चात् आने वाली रिपोर्टों के अनुसार 23 जुलाई को अन्य दो भारतीय आदिम जाति व्यक्ति घटना स्थल पर करीब 8 बजे सवेरे गये और जैतून-हरे रंग की वर्दी तथा टोप (हैल्मट) पहने बर्मा के दो सिपाहियों को लोकचाओ नदी के उस पार खड़ा देखा । बताया जाता है कि उन सिपाहियों ने गोली बारी करने के लिये अपनी जगह सम्भाल ली और फिर उन्होंने गोली चलाई । उन में से एक भारतीय आदिमजाति व्यक्ति मोरेह थाने की ओर भागा और कार्यभारी अधिकारी के पास मामले की रिपोर्ट । की इस कार्यभारी अधिकारी ने बर्मा सीमा-शुल्क अधिकारी के साथ मिलकर तलाशी ली और दूसरे आदिमजाति व्यक्ति को दो गोलियां लगने के कारण मृत पाया । बर्मा सीमा-शुल्क तथा सैनिक कर्मचारियों ने कहा कि इस घटना के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है ।

हमने रंगून स्थित अपने दूतावास से अनुरोध किया है कि वह बर्मा सरकार से बातचीत करे और इस घटना के में बारे बर्मा सरकार को विदित सही तथ्यों को प्राप्त करे। मेरा सदन से अनुरोध है कि इस घटना को अधिक महत्व न दे ।

श्री कपूर सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि 22 जुलाई और 23 जुलाई को हुई घटना जिन स्थानों पर हुई थी वे सीमा के कितनी अन्दर है ? क्या पुलिस इस बारे में जांच कर रही है ?

श्री नन्दा : मोरेह सीमा से 1 से 2 मील दूर है और घटनाएं जहां पर हुई है वे स्थान 400 या 500 गज़ दूर हैं ।

Shri Gulshan : What type of cooperation we are getting from Burmese Government in such matters?

Shri Nanda : They are cooperating with us in many spheres. They are helping in arresting the so called hostile elements.

श्री प्र० के० देव : क्या भारत बर्मा सीमा का सीमांकन हो चुका है ? और क्या बर्मा सरकार में इस घटना के बारे में खेद प्रकट किया है ?

श्री नन्दा : हां, इसका सीमांकन हुआ है । बर्मा सरकार के साथ पत्र-व्यवहार चल रहा है ।

Shri Ram Sewak Yadav : Is it a fact that these tribals are being used for smuggling and some allegations have been made against three Ministers of West Bengal?

Shri Nanda : This question does not relate to this and Investigations are going on. The results would be known afterwards.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : The hon. Minister has said that they help us in the matters regarding hostiles. I want to know whether the Burmese guards had fired on Mizos and whether financial assistance has been given to the families of persons, who were killed ?

Shri Nanda : I cannot say in regard to Mizos. I do not have details regarding assistance to be provided by Manipur Government.

श्री दी० च० शर्मा : मैं मानता हूं कि बर्मा के साथ हमारे सम्बन्ध बहुत मित्रतापूर्ण हैं । क्या सरकार 22 और 23 जुलाई के जैसी घटनाओं के फिर न होने के लिये कोई कार्यवाही कर रही रही है ?

Shri Nanda : The tribals of similar type live on both sides of the border. This is first incident of this kind.

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

केरल मोटर गाड़ी नियमों आदि में संशोधन

परिवहन, उड्डयन, नौवहन तथा पर्यटन मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खंड (ग) (चार) के साथ पठित मोटर गाड़ी, अधिनियम, 1939 की धारा 1 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना एस० आर० ओ० संख्या 206/66 की एक प्रति जो दिनांक 24 मई, 1966 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिस के द्वारा केरल मोटर गाड़ी नियम, 1961 में एक संशोधन किया गया । **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 6594/66]**

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619—क की उपधारा (1) के अन्तर्गत 31 दिसम्बर, 1965 को समाप्त हुए वर्ष के लिए मुगल लाईन लिमिटेड, बम्बई, के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महा लेखापरीक्षक की टिप्पणियां **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 6595/66]**

अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन): मैं अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत इन अधिसूचनाओं की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं:—

(एक) खाद्यान्न वहन प्रतिबन्ध (प्रमाणित बीजों की छूट) आदेश, 1966 जो दिनांक 5 मई, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 692 में प्रकाशित हुआ था ।

(दो) राजस्थान खाद्यान्न (सीमा वहन पर प्रतिबन्ध) संशोधन आदेश, 1966 जो दिनांक, 4 जून, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 864 में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) खाद्यान्न वहन प्रतिबन्ध (भारत के खाद्य निगम को छूट) आदेश, 1966 जो दिनांक 10 जून, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 911 में प्रकाशित हुआ था।

(चार) भारतीय मक्का (मांड के निर्माण में अस्थायी प्रयोग) संख्या 2 आदेश, 1966 जो दिनांक 16 जून, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 963 में प्रकाशित हुआ था।

(पांच) गेहूं बेलन आटा मिलें (लाइसेंस देना तथा नियंत्रण) दूसरा संशोधन आदेश, 1966 जो दिनांक 18 जून, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 971 में प्रकाशित हुआ था।

(छः) दिल्ली राशन की वस्तुएं (वहन नियंत्रण) आदेश, 1966 जो दिनांक 30 जून, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1062 में प्रकाशित हुआ था।

(सात) मध्य प्रदेश खाद्यान्न (सीमा वहन पर प्रतिबन्ध) संशोधन आदेश, 1966 जो दिनांक 16 जुलाई, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1109 में प्रकाशित हुआ था।

(आठ) आन्ध्र प्रदेश चावल तथा धान (वहन पर प्रतिबन्ध) संशोधन आदेश, 1966 जो दिनांक 14 जुलाई, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1123 में प्रकाशित हुआ था। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०--6596/66]**

परिषद् के निर्वाचन क्षेत्रों (मद्रास) के संशोधन आदेश

विधि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : मैं ये पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13 की उपधारा (3) के अन्तर्गत परिषद् के निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन (मद्रास) संशोधन आदेश, 1966 की एक प्रति जो दिनांक 8 जुलाई, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1097 में प्रकाशित हुआ था। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०--6597/66]**

(2) परिसीमन आयोग अधिनियम, 1962 की धारा 10 की उपधारा (3) के अन्तर्गत परिसीमन आयोग के आदेश संख्या 20 की एक प्रति जिसके द्वारा मनीपुर के संघ राज्य-क्षेत्र में संसदीय तथा विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया गया तथा जो दिनांक 15 जुलाई, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2132 में प्रकाशित हुआ था। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6598/66]**

भारतीय केन्द्रीय सुपारी समिति का वार्षिक प्रतिवेदन

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : में भारतीय केन्द्रीय सुपारी समिति के 1964-65 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 6599/66]**

केरल पंचायत अधियिनम और अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शिन्दे) : मैं इन पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित केरल पंचायत अधिनियम, 1960 की धारा 130 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति:—

(एक) केरल पंचायत कर्मचारी (चिकित्सा सेवा) नियम, 1966 जो दिनांक 8 फरवरी, 1966 के केरल राजपत्र में अधिसूचना एस० आर० ओ० संख्या 33/66 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) केरल पंचायत (सदस्यों द्वारा पद की शपथ) नियम, 1966 जो दिनांक 22 फरवरी, 1966 के केरल राजपत्र में अधिसूचना एस० आर० ओ० संख्या 76/66 में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) एस० आर० ओ० संख्या 94/66 को दिनांक 1 मार्च, 1966 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा केरल पंचायत (पंचायतों की बैठकों तथा समितियों की कार्यवाहियां) नियम, 1962 में एक संशोधन किया गया । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 6600/66]**

(2) ऊपर की मद (7) में बताई गई अधिसूचनाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०—6601/66]**

(3) अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति:—

(एक) गन्ना प्रेस-मड (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1966 जो दिनांक 7 मई, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 680 में प्रकाशित हुआ था ।

(दो) गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 जो दिनांक 16 जुलाई, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1126 में प्रकाशित हुआ था। **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 6602/66]**

(4) अपर की मद (9) की (एक) में बताई गई अधिसूचना को सभा-पटल पर रखने में हुए बिलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 6603/66]**

अधिवक्ता अधिनियम की समीक्षा समिति की सदस्यता के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE : MEMBERSHIP OF ADVOCATES ACT REVIEW COMMITTEE

विधि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चे० रा० पट्टाभिरामन) : मुझे सभा को सूचित करना है कि अधिवक्ता अधिनियम समीक्षा समिति के सदस्य श्री से० वें० रामस्वामी की मृत्यू के कारण हुए रिक्त स्थान के लिये श्री गो० ना० दीक्षित जो कि लोक सभा के सदस्य, को सदस्य नियुक्त करने का विचार है। श्री दीक्षित इसके लिये सहमत हैं।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : यह समिति कब तक अपनी रिपोर्ट दे देगी ?

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन : समिति को एक या दो और बैठकों होगी उसके बाद रिपोर्ट तैयार हो जायगी और उ से सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

दक्षिण-पश्चिमी अफ्रीका के संबंध में अर्न्तराष्ट्रीय न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE : JUDGEMENT OF THE INTERNATIONAL CORT OF JUSTICE ON SOUTH AFRICA

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्णसिंह) : दक्षिण पश्चिम अफ्रीका पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय को देख कर भारत सरकार बड़ी निराश हुई है। दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने दक्षिण पश्चिम अफ्रीका के प्रदेश को चार्टर के अनुसार संयुक्त राष्ट्र न्यासिका (ट्रस्टीशिप) के अधीन रखने से बराबर इन्कार किया है। दूसरी ओर, दक्षिण अफ्रीका की सरकार दक्षिण पश्चिम अफ्रीका को अपना एक प्रान्त बना लेने के लिए उपाय बरतती रही है और जाति-भेद की उन सभी बुराइयों को इस पर लागू करती रही है जिनके अधीन उसने अपनी अश्वेत जनता को रखा है।

यह स्मरण रहे कि महासभा ने दक्षिण पश्चिम अफ्रीका से सम्बद्ध प्रश्न के कुछ पहलुओं को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पास राय जानने के लिए भेजा था जो कि 1950, 1955 और इसके बाद 1956 में दी गई थी। इन सम्मत्तियों से कुछ प्रश्न स्पष्ट हुए और आमतौर से सहायक सिद्ध हुए ; इसके बाद दक्षिण पश्चिम अफ्रीका पर संयुक्त राष्ट्र समिति से कहा गया कि वह इस बात पर विचार करें कि यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कानूनी कार्रवाई की जा सकती है कि जब तक दक्षिण पश्चिम अफ्रीका को न्यासिता पद्धति (ट्रस्टीशप सिस्टम) के अंतर्गत नहीं ले लिया जाता, तब तक दक्षिण अफ्रीका की सरकार अपने उन दायित्वों को पूरा करे जो मेन्डेट के अंतर्गत उसे उठाने हैं। दक्षिण पश्चिम अफ्रीका पर संयुक्त राष्ट्र समिति ने सुझाव दिया कि मामले को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले जाया जाए। 1959 में महासभा ने इस सुझाव का स्वागत किया जिसके परिणाम स्वरूप 1960 में इथोपिया और लाइबेरिया, लीग के इन दोनों मूल सदस्यों, ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अपनी अर्जी दाखिल कर दी। महासभा ने दोनों अर्जीदार सरकारों की पहल करने पर प्रशंसा की और इसके द्वारा यह संकेत दिया कि संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व न्यायालय के सम्मुख निर्णय के लिए रखे गए मसलों को कितना महत्व देता है।

[श्री स्वर्ण सिंह]

इस निर्णय से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भरोसा उत्पन्न होने अथवा अंतर्राष्ट्रीय मामलों में कानून की मर्यादा की स्थापना होने की संभावना नहीं है। यह तथ्य खेदजनक है कि न्यायालय को यह निर्णय करने में लगभग 6 वर्ष लगे कि इथोपिया और लाइबेरिया ने अपनी शिकायत के विषय में किसी कानूनी अधिकार अथवा हित की स्थापना नहीं की है। 1962 में न्यायालय ने दक्षिण पश्चिम अफ्रीका की इस प्रारम्भिक आपत्ति को अस्वीकार कर दिया कि यह न्यायालय का अधिकार क्षेत्र नहीं और यह कि इथोपिया और लाबेरिया को इस मामले को उठाने का अधिकार ही नहीं था। फिर इसके चार वर्ष बाद न्यायालय ने यह निर्णय लिया कि इथोपिया और लाइबेरिया की इस मामले में कोई अधिकारिता ही नहीं है। इस लिए, ऐसा लगता है कि न्यायालय ने 1962 का अपना निर्णय ही उलट दिया है।

यह दुर्भाग्य का विषय है कि जो मूल प्रश्न उठाए गए थे, उनका न्यायालय ने उत्तर नहीं दिया; ये प्रश्न थे--कि चूंकि मेन्डेट ट्रस्टीशिप में नहीं बदला गया है इस लिए वह बराबर बना हुआ है ; कि दक्षिण अफ्रीका निरंतर मेन्डेट के दायित्वों के अधीन है और वह संयुक्त राष्ट्र की सहमति के बगैर दक्षिण पश्चिम अफ्रीका के दर्जे को इकतरफा तरीके से नहीं बदल सकता; कि दक्षिण अफ्रीका को इस प्रदेश पर संयुक्त राष्ट्र का अधीक्षण स्वीकार करना चाहिए और संयुक्त राष्ट्र महासभा को वार्षिक रिपोर्ट पेश करनी चाहिए और याचिकाएं भेजनी चाहिएं; कि दक्षिण अफ्रीका ने मानव गरिमा को आघात पहुंचाने वाले जाति-भेद के और अन्य इकतरफा, गैर-मुनासिब और अन्यायपूर्ण उपायों को लागू करके मेन्डेट प्राप्त देश के उस दायित्व का उल्लंघन किया है जिसका संबंध "निवासियों के भौतिक और नैतिक कल्याण तथा सामाजिक प्रगति को समुन्नत करने से है।"

हमारे विचार में इन सब प्रश्नों का उत्तर सकारात्मक है। सच यह है कि महासभा ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धान्तों को लागू करने और दक्षिण पश्चिम अफ्रीका पर महासभा के विभिन्न प्रस्तावों पर अमल करने में विश्व संस्था के साथ सहयोग देने से निरंतर इन्कार करने के कारण दक्षिण अफ्रीका की सरकार की निन्दा करते हुए बहुत से प्रस्ताव पास किए हैं।

भारत का रवैया हमेशा यह रहा है कि दक्षिण पश्चिम अफ्रीका को स्वाधीनता दिलाने की अफ्रीकी देशों की न्यायोचित मांग का मजबूती से समर्थन किया जाए। भारत सरकार ने 1946 में ही प्रश्न को सब से पहले संयुक्त राष्ट्र के सामने उठाया था और उसका विरोध किया था जो कि दक्षिण पश्चिम अफ्रीका को मिला लेने के समान था। हमारा कहना था कि यह प्रदेश न्यासिका पद्धति के अंतर्गत रखा जाए जिस से कि वह धीरे-धीरे स्वतंत्र हो सके। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने बहुत अरसे से इस आधारभूत तथ्य को माना है कि दक्षिण पश्चिम अफ्रीका की समस्या न्यायिक ही नहीं है बल्कि यह निश्चित रूप से राजनैतिक और औपनिवेशिक समस्या अधिक है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अनेक प्रस्ताव पास किए जिनमें अंतिम प्रस्ताव था—2074 (XX), 1965—जिसमें दक्षिण पश्चिम अफ्रीका के स्वतंत्रता और स्वाधीनता के अविच्छेदय अधिकार की पुष्टि की गई और दक्षिण अफ्रीका की सरकार से कहा गया कि वह दक्षिण पश्चिम अफ्रीका के प्रदेश में स्थित तमाम अड्डों और अन्य सैनिक प्रतिष्ठानों को तत्काल हटा ले।

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से त्राण पाने की लाइबेरिया और इथोपिया की योग्यता के सीमित विधिक प्रश्न पर कुछ भी निर्णय हुआ हो, लेकिन दक्षिण पश्चिम अफ्रीका की समस्या बनी हुई है और उस पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। भारत सरकार बराबर इस दृष्टिकोण का दृढ़ता से समर्थन करती है कि महासभा, और यदि आवश्यक हो, तो सुरक्षा परिषद इस बात का

सुनिश्चय करे कि दक्षिण अफ्रीका की सरकार कोई भी उपाय—प्रशासनिक, विधिक और संवैधानिक—दक्षिण पश्चिम अफ्रीका के प्रदेश को दक्षिण अफ्रीका में मिलाने के लिए न बरतने पाए और जो कदम पहले ही उठा लिए गए हैं उन्हें रद्द घोषित कर दिया जाए। इसके अतिरिक्त दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका के भविष्य का निर्णय औपनिवेशिक देशों और लोगों को स्वाधीनता देने की घोषणा संबंधी संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव (प्रस्ताव 1514) द्वारा किया जाए। अंत में उस समय तक जब तक कि दक्षिण पश्चिम अफ्रीका के लोगों की स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त इच्छा के अनुसार उन्हें स्वाधीनता नहीं मिल जाती दक्षिण अफ्रीका प्रशासन के स्थान पर संयुक्त राष्ट्र की प्रभावकारी उपस्थिति से मेंन्डेट को बदल दिया जाए।

अब यह संयुक्त राष्ट्र के हाथ है कि वह दक्षिण अफ्रीका सरकार की अक्रामक योजनाओं को समाप्त करने के लिए दक्षिण पश्चिम अफ्रीका के लोगों के समर्थन में मजबूत और निर्णायक कार्रवाई करे। विगत समय की तरह, भारत सरकार इन लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में संयुक्त राष्ट्र के सभी अफ्रो-एशियाई देशों तथा समान विचारधारा वाले अन्य सदस्यों का पूर्ण और जोरदार समर्थन करेगी। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारत सरकार अफ्रीका एकता संगठन के सदस्यों, संयुक्त राष्ट्र में अफ्रो-एशियाई ग्रूप के सदस्यों और अन्य देशों के संपर्क में है। वास्तव में हम उस उप-समिति में हिस्सा ले रहे हैं जो 24 सदस्यों की विशेष समिति ने बनाई है। हम अन्यों के साथ भी संपर्क बनाए हुए हैं ताकि जातिवाद और उपनिवेशवाद की इस एक आखिरी निशानी को उखाड़ फेंकने के लिए उनके साथ सहयोग कर सकें। निकट भविष्य में जब तक यह नहीं हो जाता तब तक इस बात का गंभीर खतरा है कि कहीं वर्तमान स्थिति अफ्रीका भर में अत्यंत गंभीर जाति-युद्ध का रूप न ले ले और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा खतरे में पड़ जाए।

श्री प्र० के० देव (कालाहांडी) : बड़े खेद की बात है कि अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय ने दक्षिण के पक्ष में निर्णय दिया है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार की इस बारे में क्या स्थिति है और संयुक्त राष्ट्र में इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जायेगी ताकि वहां पर लोकतंत्रीय सरकार बन सके।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय से अफ्रीकी-एशियाई देशों के विश्वास को धक्का लगा है। इस से हमारे पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव हो सकता है। क्या सरकार कुछ कदम उठायेगी ताकि न्यायाधीश निष्पक्ष रूप से कार्य करें और पूरे विषय को संयुक्त राष्ट्र में में उठाया जा सके ?

श्री हेम बरुआ (गौहाटी) : मैं मंत्री महोदय के वक्तव्य का स्वागत करता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि इसमें पाकिस्तान का क्या हाथ है ?

श्री लक्ष्मी मल्ल सिंघवी (जोधपुर) : इस बारे में सरकार संयुक्त राष्ट्र से क्या सिफारिश करने का इरादा रखती है ?

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : क्या सरकार सुरक्षा परिषद् और अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के संविधानों में परिवर्तन कराने के बारे में कुछ कार्यवाही करेगी ताकि ऐसी बातों की पुनर्रावृति को रोका जा सके ?

Shri Bade (Khargon) : The International Court kept this case pending for six years. Nations will lose their confidence in the Court by this judgement. I want to know whether Government propose to bring this matter before U. N. O. ?

श्री स्वर्ण सिंह : मुझे प्रसन्नता है कि माननीय सदस्यों ने अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय के बारे में विरोध प्रकट किया है । हमने अफ्रीका एकता संगठन तथा अफ्रीकी एशियाई ग्रुप से सम्पर्क स्थापित किया है और 24 देशों की उपसमिति में कार्यक्रम तैयार कर रहे हैं । इस संसद् में व्यक्त किये गयेविचारों से हमारे राष्ट्र के मत की झलक मिलती है । सुरक्षा परिषद् तथा महासभा में भी यह प्रश्न उठाया जायेगा । हमने पाकिस्तान के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रचार नहीं किया है । बल्कि सर जफरूल्ला जो न्यायालय में एक पाकिस्तानी न्यायाधीश हैं ने इस निर्णय के समय न्यायालय की कार्यवाही में भाग नहीं लिया ।

उन्होंने वक्तव्य दिया है कि विश्व बैंक के प्रधान ने उनको सुझाव दिया था कि चूंकि वह पहले ही संयुक्त राष्ट्र संघ की चर्चा में अपना मत व्यक्त कर चुके हैं इसलिये उनको इस चर्चा में भाग नहीं लेना चाहिये ।

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी ने कहा कि यद्यपि विश्व बैंक ने यह फैसला दे दिया है कि इस प्रश्न को उठाने के लिये दोनों प्रार्थियों की कोई मान्य स्थिति नहीं है, फिर भी यह एक राजनैतिक मामला तो है ही । मैं उनकी इस बात से सहमत हूं ।

विश्व न्यायालय ने जो फैसला दिया है उस से इस न्यायालय पर से सदस्य राष्ट्रों का विश्वास उठ गया है ।

पाकिस्तान के साथ हमारे वर्तमान सम्बन्धों को ध्यान में रखते हुए हम सर जफरूल्ला की ओर से इस मामले को उठाना उचित नहीं समझते कि विश्व न्यायालय के सभापति ने उनको न्याय मंच पर से हटने के लिये क्यों कहा ।

श्री दी० चं० शर्मा ने विश्व न्यायालय और सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन के बारे में सुझाव दिया है । यह एक ऐसा मामला है जिस पर अग्रेतर जांच की आवश्यकता है और संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेषज्ञ इसका अध्ययन करेंगे ।

लोक लेखा समिति के पचासवें प्रतिवेदन (तीसरी लोक-सभा) के पैरा 4.39 से 4.52 के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE. PARAGRAPHS 4.39 TO 4.52 OF 50TH REPORT (THIRD LOK SABHA) PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

अध्यक्ष महोदय : कार्यसूची पर अगला मद श्री मधुलिमये और अन्य सदस्यों के नाम में एक प्रस्ताव है जिसमें कहा गया है कि इस सभा को लोक लेखा समिति के सभापति द्वारा 28 जलाई, 1966 को लोक-सभा में दिये गये वक्तव्य के प्रकाश में लोक लेखा समिति को कुछ निदेश देने चाहिये ।

श्री मधुलिमये ने दो विशेषाधिकार प्रस्तावों की भी अलग से सूचना दी है । उन पर अलग से विचार किया जायेगा । पहले मुझे श्री भागवत झा आजाद और श्री सिद्धेश्वर प्रसाद से भी सूचनाएं प्राप्त हुई थीं कि अध्यक्ष को लोक लेखा समिति को निदेश देना चाहिये कि वह मामले की जांच करें । मैं उन प्रस्तावों पर विचार ही कर रहा था जब मुझे श्री मधुलिमये का प्रस्ताव मिला । इसलिये मैं ने इसको कार्य सूची पर रख दिया है । जहां तक मैं जानता हूं कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये और मैं भी उस निदेश को देना चाहता था कि लोक लेखा समिति को इसकी जांच करनी चाहिये ।

Shri Madhu Limaye : Sir, why do you want to forest all my motion ?

Mr. Speaker : The question of motion arises only when there is any difference of opinion. I am prepared to do what the hon. Members desire. The question at the moment is whether the House should give the direction. If that is the desire, I give it just now. The matter is finished. In consonance with the motion tabled by Shri Madhu Limaye, as the House is required to give a direction, I am giving that direction. Let it be considered by the Public Accounts Committee.

Shri Madhu Limaye : Sir, my motion has been put on the order paper. It you had given your direction before admitting my motion, the question of my motion would not have areisen.

Mr. Speaker : I am not giving the direction. House is giving the direction. Do Government object to this direction being given ?

वित्त मंत्री (श्री शर्वानन्द चौधरी) : जी नहीं।

अध्यक्ष महोदय : तो आपका प्रस्ताव खत्म हो जाता है।

Shri Madhu Limaye : The motion is in my name. I must be allowed to move it and speak on it.

Mr. Speaker : What is the need for giving a speech without any reason ?

Shri Madhu Limaye : Sir, when you say something from the chair it results in grave injustice to us.

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : जब आपने एक बार उनके प्रस्ताव को कार्यसूची में रख लिया है तो निश्चय उनको इस प्रस्ताव की व्याख्या करने का अधिकार है।

Shri Bagri (Hissar) : Sir, you are creating a wrong precedent.

श्री उ० मू० त्रिवेदी (मंदसौर) : यदि सभा प्रस्ताव को बिना किसी विरोध के स्वीकार कर लेती है तो चर्चा की कोई आवश्यकता नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : यदि श्री मधु लिमये चाहते हैं कि यह प्रस्ताव उनके नाम में स्वीकार हो तो मैं यह भी करने के लिये तैयार हूं। वह प्रस्ताव करें। मैं उसको सभा के सामने रख दूंगा।

Shri Madhu Limaye : No. I want to make a speech on this motion.

Mr. Speaker : There is no need for a speach.

Shri Madhu Limaye : How can you deny me my right to speak.

Mr. Speaker : When the House is acting on the resolution, there is no need for a speeach.

Shri Madhu Limaye : I beg to move:

"That this House, in the light of the statement made by the Chairman of Public Accounts Committee on 23th July, 1966, in Lok Sabha, directs the Public Accounts Committee to consider Government's reply to paragraphs 4.39 to 4.52 of their 50th Report (Third Lok Sabha) in so far as they refer to the then Secretary of the Department of Iron and Steel and submit its report to Lok Sabha within 21 days."

Mr. Speaker : .

Mr. Speaker : That is all. Nothing further.

श्री ही० ना० मुकर्जी : (कलकत्ता-मध्य) : आप उनको प्रस्ताव के पक्ष में तर्क देने से कैसे रोक सकते हैं ?

श्री अ० क० गोपालन (कासरगोड) : जब प्रस्ताव किया गया है तो कुछ समय तो दिया ही जाना चाहिये ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद): सभा को लोक लेखा समिति को यह निदेश देना चाहिये कि वह इस बात की जांच करें कि उस विशिष्ठ सौदे के लिये संबंधित मंत्री कहां तक जिम्मेदार था और सचिव कहां तक जिम्मेदार था ।

Shri Bagri : The mover must be allowed to enlighten the House about the matter.

श्री नारायण दांडेकर (गोंडा) : यह एक ऐसा मामला है जिस से सरकार के एक सचिव का सम्बन्ध है । वह अपना बचाव करने के लिये इस समय यहां उपस्थिति नहीं हैं । सभा की यह परम्परा रही है कि इस प्रकार के मामलों पर यहां चर्चा नहीं की जाती । आप सभा की ओर से लोक लेखा समिति को निदेश दे दीजिए, मामले पर यहां चर्चा नहीं होनी चाहिए ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : वह कैसे अनुमान लगा सकते हैं कि श्री मधुलिमये क्या कहने वाले हैं ? यदि श्री मधुलिमये को बोलने की आज्ञा नहीं दी जाती तो यह आगे के लिये एक गलत पूर्वोधारण बन जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय : इस समय सभा के लिये लोक लेखा समिति के हाथ बांधना उचित नहीं है । लोक लेखा समिति एक प्रतिनिधि निकाय है और सभा इस मामले को उस समिति को भेज सकती है । समिति का प्रतिवेदन आने पर उस पर चर्चा की जा सकती है ।

श्री ही० ना० मुकर्जी : इस सभा के सदस्य के नाते हमारा यह जानने का अधिकार है कि वह मामला क्या है और इसको लोक लेखा समिति को क्यों भेजा जा रहा है ।

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : श्रीमन् सभा सारे तथ्यों से पूरी तरह अवगत है । पहले तो लोक लेखा समिति के अपने पचासवें प्रतिवेदन में यह उल्लेख किया है कि यह अधिकारी कुछ बातों के लिये जिम्मेदार हैं । दूसरे मैंने और तीन अन्य सदस्यों ने इस बारे में ध्यानकर्षण सूचना दी हुई थी । चौथे लोक लेखा समिति के सभापति ने जो उत्तर दिया था उसका सबको पता है। पांचवे नियमानुसार आपको निदेश देने का अधिकार है । छठे इस प्रस्ताव की सूचना सब से बाद में आई थी । अतः सब बातें बिल्कुल स्पष्ट हैं ।

अध्यक्ष महोदय : जब तक लोक लेखा समिति इस मामले पर विचार नहीं कर लेती मैं नहीं चाहता कि एक अधिकारी पर यहां पहले से कोई निर्णय किया जाये । यहां उस अधिकरी की आलोचना की जायेगी ।

Shri Madhu Limaye : How can you anticipate what I am going to say ?

Mr. Speaker : I can. It is a matter of ordinary intelligence. In such circumstances it is not proper to allow the discussion.

श्री हरिविष्णु कामत : इसके लिये भी आपको कोई समय नियत करना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : सभा को आश्वासन देता हूं कि प्रतिवेदन प्राप्त होने पर चर्चा का अवसर देने की कोशिश करूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि यह सभा, लोक-लेखा समति के सभापति द्वारा 28 जुलाई, 1966 को लोक-सभा में दिये गये वक्तव्य के प्रकाश में, लोक-लेखा समिति को निदेश देती है कि वह अपने 50वें प्रतिवेदन (तीसरी लोक-सभा) के पैरा 4.39 से 4.52 के सरकार द्वारा दिये गये उत्तर पर, जहां तक वह लोहा और इस्पात विभाग के उस समय के सचिव से संबंधित है, विचार करे और 21 दिन के अन्दर लोक-सभा को अपना प्रतिवेदन दे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात् तर्क देना प्रस्तावक का मूल अधिकार है। मैं समझती हूं कि आप गलती कर रहे हैं मैं इस पर सभा का त्याग करती हूं।

(इसके बाद श्रीमती रेणु चक्रवर्ती सभा से उठ कर चली गईं)

(Shrimati Renu Chakravartty then left the House)

Shri Madhu Limaye : You are giving this ruling under the pressure of the Government. I am going to move a motion of no confidence against you that you have broken all rules under the pressure of the Government . . .

Mr. Speaker : Every hon. Member has got the right to move a motion of no confidence. He can move that motion, but it is not proper to give a threat of that.

Shri Madhu Limaye : Sir, I want to draw your attention to rule 176 (a) which says :

"A member in whose name a resolution stands on the list of business shall, except when he wishes to withdraw it, when called upon, move the resolution, and shall commence his speech by a formal motion in the terms appearing in the list of business."

श्री कृ० चं० शर्मा : "जब बुलाया जाये।"

Shri Madhu Limaye : You cannot stop me from speaking. I have moved the motion and I have got the full right to speak on it.

Mr. Speaker : All that I have done is according to rules and it is my business to look to rules.

Shri Madhu Limaye : I am not happy with todays, proceedings, still I submit to your ruling. Now I will speak about my breach of privilege motion. On Sunday morning Shri Jit Pal came to my house and he said that the Public Accounts Committee has done grave injustice to him. Shri Jit Pal also gave me a document which he stated to be a petition regarding the decisions of the Public Accounts Committee.

Shri Jit Pal has Committed a grave breach of privilege and contempt of the House by printing a petition and circulating it before it has been formally presented to the Lok Sabha. contempt of the House becomes all the more serious because it traverses the finding of the Fiftieth Report of the P. A. C. and seeks to prejudice Members adversely by bringing undue influence on Members. Further, this printed matter bears no printers line and so, whoever printed it has also committed breach of privilege and should be hauled up.

Mr. Speaker : You have stressed on the point of circulation of the petition. I agree with you that it is objectionable if a person circulates a petition before presenting it to the Committee or the House. I am asking you whether it was sent to all the Members of the House.

Shri Madhu Limaye : It was given to many Members.

Mr. Speaker : Every citizen can present a petition to Parliament through a Member of Parliament. He can request any member to present his petition. To this extent it is justified. Nobody can prevent him from getting it printed before presentation. It is a breach if the petition has been circulated. I will look into the matter of circulation and I am prepared to take necessary action. Secondly printed matter does not bear printer's line. I will write about this to the Home Minister. It is for him to take the neceassry action on it. Thirdly you have told that it has been presented in the Parliament. The only objectionable thing is circulation of petition before it has been presented to the Committee. It is quite actionable if found so and the House will take action on it.

Shri Madhu Limaye: This is not my point. You have given a verdict that the Government and even the Ministers cannot criticise or say anything openly against the report of the Public Accounts Committee.

Mr. Speaker : Did the person concerned request you to present the petition before the House.

Shri Madhu Limaye: He did not ask me to present the petition before Lok Sabha. He told me that I am giving this petition to the Lok Sabha.

Mr. Speaker : I have also received the petition along with a letter. I will present it to the Committee. I will also report it to the party and await their reply. Are you sure about the matter of circulation that it has been circulated to the Members of the House ?

Shri Madhu Limaye : We do not know. Two members have said and now another copy has been received.

Mr. Speaker : It is not a question of two members. I will look into the matter of circulation. Now you come to the other point.

Shri Madhu Limaye : My second motion on breach of privilege is that our Finance Minister Shri Sachin Choudhury was very well aware of the attitude of Parliament about Public Accounts Committee. This is illustrated by his remarks about the rules of P. A.C. in the Rajya Sabha on 19th May, 1966. He assured the House that the procedure will be followed. The PAC's recommendations will be looked into and examined, and certainly answers would be made to the P. A. C. and the Committee will place all these observations before the House. This goes to idicate that procedure was known to him. Inspite of that he sent his reply to the P.A.C. He is openly criticising the findings of the P.A.C. It has been published in the Newspapers that the then Steel Secretary Shri S. Bhoothalingam was not a party. It is a breach of privilige of the Parliament as it is a one sided clarification finance Minister has committed a breach of privelege of this House. He is talking openly and supporting the then Steel Secretary. By this way he is trying to falsify the findings of the P.A.C. The Finance Minister further stated that P.A.C. would consider this matter at its special sitting and present its report to the House. This statement was contradicted by Shri Morarka. It is a time-honoured practice and convention in this House that until and unless P. A. C. has considered the reply of the Government and given its consent or dissent, the matter can not be discussed in this House. All the matters are referred to this House by the P. A. C. and thereafter this House takes a decision. In the light of this I say that a breach of previlege of this House has been committed only to save Shri S. Bhoothalingam.

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : मैंने यह सब बातें सुन ली हैं। आप ने पूरे मामले को सुना है। मेरे पास कोई काग़जात नहीं है और ठीक-ठीक क्या हुआ इसके बारे में मैं बिल्कुल ठीक-ठीक नहीं बता सकता। स्मृति के आधार पर बता रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : वित्त मंत्री माननीय सदस्य के कथन पर विचार करें और बाद में एक वक्तव्य दें।

मंत्रि-परिषद् में अविश्वास का प्रस्ताव—(जारी)

MOTION OF NO-CONFIDENCE IN THE COUNCIL OF MINISTERS—*Contd*

श्री रामेश्वर राव (गढ़वाल) : विपक्षी दल के सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव पर बहुत कुछ कहा है। सरकार को असमर्थ बताने वाले अथवा नीतियों को गलत बताने के अतिरिक्त किसी सदस्य ने, कुछ स्पष्ट नहीं कहा है।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy Speaker *in the Chair*]

इस सरकार को पद संभाले एक वर्ष भी नहीं हुआ। किसी सदस्य ने इस सरकार के अच्छे काम या बुरे काम के बारे में कुछ नहीं कहा। सदस्यों ने ज्यों-त्यों कांग्रेस दल को वर्तमान स्थिति का उत्तरदायी बताया है। सरकार अपनी पिछली नीतियों से ढीली हो रही थी और इसलिए इसे तोड़ा जाये।

अविश्वास प्रस्ताव पर वाद-विवाद विपक्षी दलों के सदस्यों को एक अवसर है कि वे सरकार की नीतियों का विश्लेषण करें। यह दिखायें कि सरकार हमारी वर्तमान समस्याओं को सुलझाने में अयोग्य है और ऐसी वैकल्पिक नीतियों का सुझाव दें जो देश के लिए अधिक लाभदायक हो सकती हैं। किसी भी विपक्षी दल के नेताओं ने किसी वैकल्पिक नीति को पेश नहीं किया है। उन्होंने जो कुछ कहा है वह यह है कि सरकार अयोग्य है और उसे छोड़ कर चला जाना चाहिये। ऐसा इसलिए हुआ है कि यों तो वे वैकल्पिक नीतियों के बारे में नहीं बता सकते या वे इस बात से डरते हैं कि वे जिन नीतियों का सुझाव देंगे उनके अन्तर्गत वे कुछ अनुषांगिक निर्णयों तथा दायित्वों से बाध्य हो जायेंगे जिससे वे देश की जनता के सम्मुख वचन-बद्ध होंगे और उनको सभी से उन अनुषांगिक निर्णयों का अनुशासित ढंग से पालन करने के लिए कहना पड़ेगा। देश को ऐसे व्यक्तियों द्वारा गलत रास्ते पर नहीं डाला जा सकता जो कोई नीति अथवा कार्यक्रम नहीं दे सकते। वे केवल चरित्र-हत्या में और यदि संभव हो तो अराजकता की स्थिति उत्पन्न करने में विश्वास रखते हैं जिससे उन्हें और उनके दलों को कुछ लाभ हो सके।

विपक्षी दल के कुछ सदस्यों ने आलोचना की है कि भारत ने अमरीका को वियतनाम पर आक्रमणकारी घोषित नहीं किया है और दोनों पार्टियों का आपस में समझौता नहीं करवाया है। परन्तु उन्होंने इसी उदाहरण को भारत-पाक संघर्ष पर लागू नहीं किया जहां रूस ने पाकिस्तान को भारत के विरुद्ध आक्रमणकर्ता घोषित करके निन्दा नहीं की थी। वियतनाम जैसी किसी भी समस्या का समाधान किसी दल की निन्दा करने से नहीं हो सकता, समाधान के लिए आवश्यकता इस बात की होती है कि विरोधी दलों का सम्पर्क बनाया जाये और पारस्परिक बातचीत द्वारा समस्या को सुलझाया जाये। ठीक ऐसा ही रूस ने भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत करवा

कर दिखलाया और ताशकन्द समझौता किया। अब जब भारत उसी प्रकार वियतनाम के मामले के बारे में सम्बद्ध पक्षों को बातचीत कराने का प्रयास कर रहा है तो ऐसा कहा जा रहा है कि उस पर दबाव पड़ रहा है। जहां यह कहा गया है कि अमरीका ने वियतनाम के लोगों पर अत्याचार किये हैं, यह नहीं भूलना चाहिये कि ऐसे भी समाचार मिले हैं कि वियतकांग ने दक्षिण वियतनाम के ग्रामीणों पर अत्याचार किये हैं जिनमें अपहरण, हत्या तथा मंत्रणा देना शामिल है। वियतकांग ग्रामीणों पर क्रूर कर लाते हैं और उसे डराधमकाकर बलपूर्वक इकट्ठा करते हैं।

देश में पिछले दस वर्षों से अप्रत्यक्ष अवमूल्यन चला आ रहा है। अवमूल्यन रुपये के सम-यूल्य को ठीक करने के अतिरिक्त न कुछ अधिक है और न कुछ कम। जबकि अवमूल्यन के सम्बन्ध में राय के विभिन्न स्रोतों के विषय में कुछ आरोप लगाये गये हैं। यह आश्चर्य की बात है कि यह नहीं देखा गया है कि रुपये का वर्तमान अवमूल्यन वर्षों से चले आ रहे रुपये के आन्तरिक मूल्य में कमी के कारण है। रूस, विशेष रूप से यूगोस्लाविया और युद्ध से पहले जर्मनी में भी जहां निर्यात तथा आयात और विदेशी मुद्रा के चलन पर यथासम्भव कड़ा नियंत्रण था, आन्तरिक और बाह्य मूल्य के बीच इस मेल को न रोका जा सका। रुपये के अवमूल्यन के कई कारण हैं। मुख्यत: यह मुद्रा की वृद्धि के साथ-साथ उत्पादन में वृद्धि न होने के कारण हुआ है। यह जरूरी नहीं है कि यह ख़राब आयोजन के कारण हुआ है। हमारा देश बहुत अधिक ग़रीब है और इसलिए शीघ्रताशीघ्र विकास की आवश्यकता है। चीन और पाकिस्तान के साथ दो यद्धों से तथा दो साल के सूखे से मुद्रास्फीति बढ़ गई है और परिणाम-स्वरूप निर्यात की जाने वाली वस्तुएं घरेलू उपयोग में लाई जाने लगी है, इससे आयात पर बोझ भी बढ़ गया है और आयात-प्रतिस्थापन के लिए प्रोत्हसाहन भी कम हो गया है। मुद्रास्फीति से वतन में वृद्धि होती है और इस से लागत मूल्य बढ़ जाता है जिससे हमारा निर्यात कठिन हो जाता है। यह निर्णय का प्रश्न है कि क्या प्रत्यक्ष अवमूल्यन अप्रत्यक्ष अवमूल्यन से अच्छा नहीं है क्योंकि अप्रत्यक्ष अवमूल्यन के अन्तगत आयात-कर्त्ताओं तथा निर्यातकर्त्ताओं को सहायता मिल रही थी। एसी सहायता में कुछ मनमाना ढंग है जिससे अर्थव्यवस्था में कुछ अनिश्चिततायें और तोड़मरोड़ होती है।

एक सदस्य ने सुझाव दिया है कि हमें अपने साधनों पर ही निर्भर रहना चाहिये। विदेशी मुद्रा पर दबाव न डाला जाये, विकास के लिए पूंजीगत सामान न मंगवाया जाये और आवश्यक आयातों को अपनी विदेशी मुद्रा की कमाई से ही मंगवाया जाये। इसका अथ होगा रुकान जो यह सरकार करने में असमर्थ है।

यह भी सुझाव दिया गया है कि विदेशी सहायता को बन्द कर दिया जाये। ऐसा किया जा सकता है यदि भारत के लोग कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार हों। उपभोग को कम किया जाये। वेतन और लाभ की वृद्धि की चेष्टा न की जाये और अधिक खाद्यान्न की मांग न की जाये किन्तु ऐसा सम्भव नहीं है। किसी भी नीति पर चला जाये। कितने ही नियंत्रण करें, इस देश में कमी को दूर नहीं किया जा सकता क्योंकि हमारी आवश्यकताएं बहुत अधिक हैं और उत्पादन की क्रिया में वृद्धि होने में काफी लम्बा समय लगता है जिस से कि हमने कुछ समय तक कमियों का सामना करना है। इस तथ्य को हमने स्वीकार करना है अन्यथा लोगों का इस देश से विश्वास उठ जायेगा।

सदस्य की गिरफ्तारी

ARREST OF A MEMBER

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सभा को सूचित करता हूं कि अध्यक्ष को अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर से यह समाचार मिला है कि श्री इन्दुलाल कन्हैयालाल याज्ञिक को अहमदाबाद में निवारक निरोध अधिनियम के अनुभाग 3(i) (क) (ii) के अन्तर्गत 2 अगस्त, 1966 को निरुद्ध किया गया है और बड़ौदा जेल में भेज दिया गया है।

श्री अ० क० गोपालन (कासरगोड) : जिस ढंग से समस्याओं का समाधान हो रहा है इसका एक दृष्टान्त इस सदन के एक सदस्य की गिरफ्तारी है जिसका समाचार अभी मिला है।

अभी हाल ही में इस सभा के सामने कई अविश्वास प्रस्ताव आये हैं। इन विवादों में सरकार की नीतियों की कटु आलोचना की गई है किन्तु सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया जिसके परिणामस्वरूप देश दिवालिया हो गया है। यह प्रस्ताव पहले के प्रस्तावों से भिन्न है। जनता ने सरकार के विरुद्ध पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश तथा बांदा में बड़े पैमाने पर कार्यवाही करके पहले ही अविश्वास प्रकट कर दिया है। 12 जुलाई को कलकत्ता में केन्द्रीय तथा राज्य सरकार के कर्मचारियों ने महंगाई भत्ते तथा वेतनों में सुधार के लिए प्रदर्शन किया। किसी राज्य में सैंकड़ों लोगों को क़ैद किये बगैर प्रधान मंत्री राज्य का दौरा नहीं कर सकतीं क्योंकि वह लोग काले झण्डे के प्रदर्शन का नियोजन करते हैं। श्रमसंघ नेताओं को कैद किये बिना और लाठी प्रहार के बिना सरकार किसी हड़ताल को खत्म नहीं कर सकती।

समूचे देश में बड़े पैमाने पर क्रान्ति हो रही है। सरकार की दीवालिया नीतियों का अन्त करने के लिए लोगों में अब जैसी एकता की भावना पहले कभी नहीं थी। कोई भी सरकार, जिसे लोगों के विचारों की थोड़ी भी परवाह होती स्वयं त्याग-पत्र दे देती तथा जनता से नया विश्वास प्राप्त करती। जनता सड़कों पर इस कारण जा रही है क्योंकि उनकी दशा असहनीय हो गई है और वे जानते हैं कि सरकार इसके लिए उत्तरदायी है। यदि सरकार यह समझती है कि यह बेचैनी गैर-कानूनी नजरबन्दी, लाठी चार्ज, अश्रु गैस छोड़ने तथा गोलियां चलाने से समाप्त हो जायेगी तो यह उसकी भूल है।

जनता पर केवल आर्थिक संकट ही प्रभाव नहीं डाल रहा है बल्कि हमारी राजनैतिक स्वतन्त्रता तथा सार्वभौमिकता भी संकट में है। सरकार की स्वाधीनता के बाद की नीतियों का लाभ कुछ बड़े बड़े व्यवसाय वाले लोगों को ही पहुंचा है। उन लोगों ने विदेशी एकाधिकारियों के साथ मिलकर अब तक जनता का शोषण ही किया है और आज की दुरावस्था का यही कारण है।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना अप्रैल, 1966 में आरम्भ होनी थी। अब चार मास बीत गये हैं परन्तु संसद् को योजना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उसका कारण यह है कि लक्ष्यों का निर्धारण वाशिंगटन में होता है और वे जिन परियोजनाओं की स्वीकृति दे देंगे, सरकार को उन्हींके लिए सहायता प्राप्त होगी। ऐसी लज्जाजनक शर्तों पर कोई स्वाभिमानी देश सहायता प्राप्त नहीं करेगा। उन्होंने सारी योजना ऐसे कार्यक्रम पर छोड़ रखी है जिसमें विदेशी शक्तियां कुछ धन देने को तैयार हों।

हमारी सरकार ने विदेशों से चार खरब रुपया ऋण लिया हुआ है। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक भारतीय को विदेशी शक्तियों का 85 रुपया देना है। पिछली दशाब्दी में लगभग 2,300 विदेशी समवायों से सहयोग समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं जिसके कारण हमारी अर्थ-व्यवस्था पर विदेशी पूंजी

समवायों की जकड़ दृढ़ हो गई है। विदेशी पूंजी को दी जाने वाली रियायतों के कारण हमारा देश विदेशी पूंजीपतियों के लिए शिकार का मैदान बन गया है।

विदेशी पूंजी पर बहुत अधिक निर्भर रहने के कारण हमारी अर्थ-व्यवस्था में प्रवाह-हीनता आ जायेगी। जब तक विदेशी समवाय मध्यम माल का सम्भरण नहीं करेंगे, हमारे उद्योग चल नहीं सकते। अवमूल्यन का कारण हमारी निर्भरता ही है। अवमूल्यन से हमारी आर्थिक स्वाधीनता और राष्ट्रीय प्रभुसत्ता को बड़ा खतरा पैदा हो गया है।

यह कहना निरर्थक है कि अवमूल्यन के कारण निर्यात बढ़ेगा। वास्तव में अधिक विदेशी मुद्रा कमाने के लिए अधिक निर्यात करना पड़ेगा। ऋणों के भुगतान का भार बहुत बढ़ जायेगा जिससे जनता पर इतना अधिक बोझा पड़ेगा कि उसकी कमर टूट जायेगी। आयात पर निर्भर वस्तुओं की उत्पादन लागत भी अधिक बढ़ जायेगी। इस परिस्थिति में हमारी अर्थ व्यवस्था में गड़बड़ी पैदा हो जायेगी। एक अनुमान के अनुसार आवश्यक वस्यओं के मूल्यों में 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मूल्यों में और भी वृद्धि होगी और प्रतिकारात्मक नकद लाभों के बिना रहन सहन के स्तर में बहुत कमी आ जायेगी। रुपये का अवमूल्यन राष्ट्र विरोधी काम है और इससे केवल विदेशी एकाधिकारियों तथा उनके सहायकों को ही लाभ होगा।

तीन योजनाओं के बाद भी एकाधिकारियों का खतरा और बढ़ गया है। सरकार न केवल एकाधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने से इनकार कर रही है अपितु उसे और भी सुदृढ़ बनाने के लिए प्रत्येक सम्भव कार्यवाही कर रही है।

सरकार की कृषि के क्षेत्र में असफलताओं को देखकर गहरा धक्का लगता है। यद्यपि करोड़ों रुपये खर्च किये गये हैं, तथापि सरकार की किसी भी योजना से ग्रामों के निर्धन लोगों को कोई लाभ नहीं हुआ है। पिछले दस वर्षों के कृषि-उत्पादन सम्बन्धी आंकड़ों से यह मालूम होता है कि भारत पी० एल० 480 के अधीन आयात के बिना अपना काम चला सकता है। पी० एल० 480 के अन्तर्गत आयात के कारण हमारी कृषि व्यवस्था न केवल अवरुद्ध हो गई है अपितु हमारे देश पर अमरीका का दबाव और भी बढ़ गया है। यह सहायता अमरीका के हाथ में एक ऐसा शस्त्र है जिससे अमरीका हमारी अर्थ-व्यवस्था पर अधिक दबाव डाल सकता है और एक के बाद दूसरे मामले पर सरकार को आज्ञा दे सकता है।

सरकार की वसूली की नीति जनता के विरुद्ध एक बहुत बड़ा धोखा है। 1965–66 में भारतीय खाद्य निगम को केवल 6·6 लाख टन अन्न प्राप्त हुआ था। यह अन्न देश के 40 लाख लोगों को खिलाने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। बहुत अधिक प्रसार के बावजूद भी 1965-66 में सभी राज्य सरकारों द्वारा कुल 20·4 लाख टन अन्न की वसूली हुई थी।

भ्रष्टाचार तथा भाईभतीजावाद एक साधारण बात हो गई है। सारा प्रशासन गंदा हो गया है। सन्थानम् समिति की सिफारिशों को खटाई में डाल दिया गया है तथा भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोपों की जांच समय पर नहीं होती है। प्रशासनिक स्तर पर भ्रष्टाचार कुशल प्रशासन के काम के लिए रुकावट बन गया है। राज्य के समूचे ढांचे पर यह इस प्रकार व्यापक हो गया है कि कुछ विदेशी जासूस और भारतीय पूंजीपति कुछ अधिकारियों को खरीद लेते हैं और उनके माध्यम से अपने सभी कार्य करवा लेते हैं।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों में वृद्धि को शत प्रतिशत निष्प्रभावी न बनाने के कारण बढ़ते हुये मूल्यों के प्रभाव से कर्मचारियों का वास्तविक वेतन कम हो गया है। कर्मचारियों का विश्वास ऐसी सरकार को कैसे प्राप्त हो सकता है जो कहने को तो उनके वेतन स्थायी करने का विरोध करे परन्तु वास्तव में उन्हें ठीक महंगाई भत्ता न देकर इसे क्रियान्वित करे।

सरकार ने यह विश्वास दिलाया था कि तेल समवायों में स्वचालन लागू होने के कारण कोई छंटनी नहीं होगी परन्तु वास्तविकता यह है कि तेल समवायों में रोजगार कम होता चला जा रहा हैं और स्च्वेछा से सेवा निवृत्ति के नाम पर छंटनी की जा रही है। जीवन बीमा निगम में भी "इलेक्ट्रोनिक कम्प्युटर्स" लागू करने की योजना बनाई जा रही है और इस कारण हजारों कर्मचारियों को नौकरी से हटाया जायेगा। रोजगार की स्थिति बहुत चिन्ताजनक बनती जा रही है और सरकार स्वचालित मशीनें लागू करके आग पर तेल डाल रही है। हमारे जैसे अर्ध-विकसित देश के लिए स्वचालन के परिणाम गम्भीर होंगे।

कृषकों को भी सरकार की नीतियों के कारण बहुत हानि हो रही है। कृषकों तथा खेतिहर श्रमिकों द्वारा खरीदी जाने वाली आवश्यक वस्तुओं के मूल्य भी बहुत बढ़ गये हैं और उन द्वारा बेची जाने वाली कृषि जन्य वस्तुओं के दाम उस अनुपात से नहीं बढ़े हैं।

मध्यम वर्ग के कर्मचारियों की स्थिति बहुत चिन्ताजनक है। छोटे कारखानों पर भी अव-मूल्यन के कारण बुरा प्रभाव पड़ा है और बहुत से कारखानेदारों ने अपने कारखाने बन्द कर दिये हैं?

आपातकालीन शक्तियों और भारत रक्षा नियमों के मनमाने ढंग से प्रयोग के कारण देश में इतना हाहाकार मचा कि प्रमुख वकीलों तथा कानूनदानों ने भी उसे संवैधानिक तानाशाही और लोकतंत्र की समाप्ति कहा है। गृह-कार्य मंत्री ने उन कठिन शक्तियों का प्रयोग मनमाने ढंग से किया है ताकि सत्तारूढ़ दल सत्ता में रहे। भारत सरकार संवैधानिक उपायों से सरकार नहीं चला सकी है और वह अधिक तानाशाही शक्तियां प्राप्त करना चाहती है। संसद् के दो अधिवेशनों के बीच की अवधि में चार अध्यादेश जारी किये थे। अवैध गतिविधियां (निवारण) अध्यादेश ने भारत में बड़ी तीव्र गति से बढ़ रहे "मेवारथिज़म" पर प्रकाश डाला है। उसके कारण देश में सार्वजनिक स्वतन्त्रता को खतरा पैदा हो गया है।

वियतनाम के प्रश्न पर सरकार की स्थिति बहुत खराब हो गई है। जब अमरीकी सरकार ने जेनेवा करार का उल्लंघन किया और आक्रमण किया तो भारत तटस्थता की नीति का बहाना बनाकर चुप रहा। वियतनाम की जनता बड़ी वीरता से लड़ी और उन्होंने दक्षिण वियतनाम का 4/5 से अधिक भाग स्वतन्त्र करा लिया परन्तु हमारी सरकार ने कठपुतली सरकार को मान्यता प्रदान की और 'नेशनल लिबरेशन फ्रंट' को मान्यता देने से इनकार कर दिया। जिस समय वियतनाम की जनता से अमरीकियों को लताड़ पड़ी तो भारत सरकार ने एक ऐसा सुझाव प्रस्तुत किया जिसका अमरीकी साम्राज्यवादियों तथा उनके पिट्ठुओं ने स्वागत किया। वास्तव में हमारी प्रधान मंत्री ने अमरीका का सुझाव विश्व के समक्ष प्रस्तुत किया। प्रधान मंत्री की इस सुझाव को मनवाने के लिए काहिरा, बेलग्रेड और मास्कों की यात्रा बिलकुल असफल रही। प्रधान मंत्री ने ऐसा सुझाव प्रस्तुत करके सरकार को अफ्रीकी एशियाई देशों में उपहास का पात्र बना दिया है।

हमारा देश लगभग 1000 करोड़ रुपया रक्षा पर व्यय कर रहा है और यह व्यय और भी बढ़ेगा। यह भारी व्यय विकास के कार्यक्रमों पर किये जाने वाले व्यय से ही निकाला गया है।

इसलिए, चीन के साथ अपने झगड़े को निपटाने के लिए पहल करना हमारे लिए और भी महत्वपूर्ण हो गया है ।

कांग्रेस के अठारह वर्षों के गलत शासन ने यह सिद्ध कर दिया है कि जब तक इस घटिया सरकार को नीचे नहीं उतारा जायेगा, लोगों की हालत में परिवर्तन होना असम्भव है। सरकार उन समस्याओं पर विचार करने के लिए तैयार नहीं है जिनके कारण लोग हड़ताल तथा आन्दोलन करते हैं । अपनी नीतियों के परिणाम वह तब समझेंगे जब निर्वाचन के समय जनता उनके विरुद्ध मत देकर अन्तिम अविश्वास प्रस्ताव मंजूर कर देगी ।

Shri Siddheshwar Prasad (Nalanda) : Mr. Deputy Speaker, Sir, the hon. Members of this House would have been satisfied, if Shri Gopalan would have expressed half as much anxiety over the supply of arms by China to Pakistan, as he has done over the problem of Vietnam. The Communists have expressed deep anxiety over this problem but they did not condemn China when she invaded our country. They do not care for their own country. They talk of our country being pressurised by other countries but they are themselves under the influence of other countries.

The country has made manifold progress after the attainment of independence. Our work during the Pakistani aggression is the evidence of our progress. The Communist Party and the Swantantra Party has paid no heed to the turn of events during the recent years in other countries. The Swantantra Party has attached the policy of planned economy. They should note that economic thought has undergone change even in the capitalistic countries after the Second World War. Economy is controlled in one way or the other in most of European countries. There is some control on economy even in the United States of America.

The theory of Communism of Stalin era underwent change during the regime of Mr. Khruschev in U.S.S.R. There is comparatively more personal liberty in Russia now. The Communists should keep it in mind. Pandit Jawaharlal Nehru appreciated the changed circumstances and he, therefore, chose the path of planned economy.

We have to adopt such methods as would be in the interest of our country. We want to make our economic position more stable. The agricultural produce and industrial output has got to be increased. Unless we increase the per capita income, our progress is nil. We have been making concerted efforts during these past years and figures would show that we have made considerable progress.

We can meet the financial needs either by expanding the internal resources or by getting aid from foreign countries. Almost all the countries of the World have taken help from other countries. There is nothing strange in our getting help from other countries. The real thing is that this aid should be properly utilised. We should make every effort to run our public undertakings in an efficient manner. The Swatantra Party wants that the public sector should be scrapped and there should be no planning. We should learn from our past experience and make necessary changes in policy. The fundamental fact is that we can make progress only through a pre-planned way.

Pakistan attacked our country last year. In spite of this our plans are going on according to schedule. The details about the fourth plan are likely to be placed before Parliament very shortly. One thing we have got to be very careful that we must increase our agricultural output during the fourth plan and we will have to attain self-sufficiency in regard to foodgrains.

The Agriculture Secretary of U.S.A. was in India recently. He had categorically stated that we could not depend on P. L. 480 for indefinite period. Secondly, now onward we will have to make payments for food supplies in dollar. In these circumstances it is all the more necessary that we should step up our food output.

Another important point is that we should provide remunerative price to the farmer. He should be given necessary inputs at reasonable rates. If these facilities are provided to the farmer, there is no doubt that we can be self-sufficient in the matter of foodgrains.

Government is making all out effort to increase agricultural produce. It is suprising that a no-confidence motion should be brought against in such circumstances. I request the House that it should reject this motion.

श्री अ० चं० गुह (बारसाट) : अविश्वास का प्रस्ताव अब एक साधारण सी बात बन गई है। पिछले तीन वर्षों में यह प्रस्ताव पांचवीं बार लाया गया है। पहले भी सभा ने इस प्रकार के प्रस्तावों को रद्द कर दिया था और अब भी मुझे आशा है कि सदन इसे अस्वीकार कर देगा। प्रतिपक्ष वालों ने इस चर्चा में परस्पर विरोधी विचार व्यक्त किये हैं। साम्यवादी दल प्रदर्शनों और हिंसा में विश्वास रखता है। परन्तु सामूहिक प्रदर्शनों के समर्थकों को यह महसूस करना चाहिये कि इनसे शान्तिप्रिय जनता को किसी प्रकार की हानि नहीं होनी चाहिये और उसे इन प्रदर्शनों में शामिल होने के लिये बाध्य नहीं करना चाहिये। साम्यवादियों को यदि संसदीय प्रजातन्त्र में श्रद्धा हो तो वे प्रदर्शन के विरुद्ध होते।

1962 तक वस्तुओं की कीमतों में अधिक वृद्धि नहीं हुई थी। जब चीन का आक्रमण हुआ तो उसके बाद मूल्यों में वृद्धि बहुत तेजी से होने लगी। इसका मुख्य कारण प्रतिरक्षा पर व्यय में वृद्धि था। हमारी योजनाओं का आकार बहुत बड़ा रहा है। मूल्यों में इस कारण से भी वृद्धि हुई है। दूसरी योजना के अन्त तक हमारी अर्थ-व्यवस्था की स्थिति बहुत अच्छी थी।

सरकार पर आरोप लगाया गया है कि इसने अवमूल्यन करने से पहले संसद् से सलाह नहीं ली। यह आरोप निरर्थक है। सरकार कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। यह कार्य तो गोपनीय रूप से किया जाता है। सरकार ने संसद् के साथ विश्वासघात नहीं किया है।

कोई भी सरकार अवमूल्यन के पक्ष में नहीं होती। कुछ परिस्थितियां ऐसी थीं कि सरकार को यह कदम उठाना पड़ा है। अवमूल्यन बहुत से देशों में हुआ है। यह केवल भारत में ही नहीं हुआ है। इस कार्यवाही के कारण देश दिवालिया नहीं हो गया है। सरकार को चाहिये कि इस सम्बन्ध में किये जा रहे भ्रामक प्रचार का खण्डन करे और जनता को वास्तविक स्थिति से अवगत कराये। हां, अवमूल्यन के बाद की कार्यवाही ठीक ढंग से होनी चाहिये।

मैंने कई वित्तीय पत्रिकाओं से आंकड़े एकत्र किये हैं और मैं इस निष्कर्ष पर पहुचा हूं कि मई के बाद वस्तुओं की थोक कीमतों में वृद्धि नहीं हुई है। हमें समझ लेना चाहिये कि वर्ष के इन महीनों में सामान्यतः कीमतों में वृद्धि हो जाती है। मुझे लोगों की कठिनाइयों की जानकारी है। हमें भय था कि रुपये के अवमूल्यन के कारण वस्तुओं की कीमतों में बहुत अधिक वृद्धि होगी परन्तु ऐसा नहीं हुआ है। इस बात के लिये सरकार सराहनीय है। सरकार ने मूल्यों को स्थिर रखने में बहुत सफलता से कार्य किया है। मैं तो कहूंगा कि अवमूल्यन के लिये पिछली दो सरकारें जिम्मेदार हैं। इस सरकार को बने तो केवल कुछ ही महीने हुए हैं।

साम्यवादी दल के नेता श्री मुकर्जी ने कहा था कि प्रधान मंत्री को अपने पद से त्यागपत्र दे देना चाहिये । उन्हें मालूम होना चाहिये कि बहुमत दल वालों को यह विशेषाधिकार प्राप्त है कि वह अपनी पसन्द का प्रधान मंत्री बनाएं । इस बारे में प्रतिपक्ष वालों को फिजूल बात नहीं कहनी चाहिये ।

साम्यवादी दल का सरकार के विरुद्ध यह आरोप है कि इसने अमरीका को वियतनाम के मामले में आक्रमणकारी नहीं माना है । ऐसा करना भारत के हित में नहीं है । मैं पूछता हूं कि चीन के भारत पर आक्रमण के समय क्या किसी देश ने चीन को आक्रमणकारी घोषित किया था ? हमें जान लेना चाहिये कि आर्थिक, औद्योगिक और सैनिक दृष्टियों से भारत की स्थिति ऐसी है कि यह ऐसा नहीं कर सकता । भारत को सब से पहले अपने हितों को देखना है ।

हमें अपनी विदेश नीति भारत के हितों को समक्ष रखकर बनानी चाहिये और किसी प्रकार के सिद्धान्तों के पीछे नहीं भागना चाहिये । वियतनाम समस्या के समाधान के लिये भारत ने कुछ रचनात्मक सुझाव दिये हैं । मुझे आशा है कि उनके कार्यान्वित करने से समस्या हल हो जायेगी । वियतनाम ने जो कुछ दक्षिण वियतनाम में किया उसे भी नहीं भूलना चाहिये ।

अवमूल्यन हो चुका है । अब तो हमें देश के आर्थिक उत्थान के बारे में सोचना चाहिये । यह वर्ष एक प्रकार से दुर्भिक्ष का वर्ष रहा है । देश में खाद्यान्नों का उत्पादन बहुत कम हुआ है । ऐसी परिस्थितियों में देश में भुखमरी से मृत्यु नहीं हुई हैं । सरकार ने बड़ी कार्यकुशलता से स्थिति का सामना किया है । यह सरकार की सफलता है ।

मझे कोई भी प्रतिपक्षी दल ऐसा दिखाई नहीं पड़ता जो कि वर्तमान सरकार का स्थान ले सके । वे सरकार नहीं बना सकते ।

सरकार ने गलतियां की हैं । परन्तु मानव से गलतियां हो ही जाती हैं । परन्तु हम उन पर विचार कर सकते हैं और भविष्य के लिये लाभ उठाया जा सकता है ।

श्री मनोहरन (मद्रास दक्षिण) : श्रीमान जी, मैं श्री मुकर्जी द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । इस प्रस्ताव को लाने में प्रतिपक्ष वालों को प्रसन्नता नहीं हुई है, परन्तु देश में परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं कि सरकार के विरुद्ध यह प्रस्ताव आवश्यक हो गया है । सरकार संसद में कहती रही है कि अवमूल्यन नहीं होगा परन्तु फिर भी यह कर दिया गया है । सरकार ने रुपये के अवमूल्यन के साथ देश का भी अवमूल्य कर दिया है ।

पिछले 18 वर्षों में हमारे देश की आर्थिक अवस्था का ह्रास ही होता चला गया है । हमने विदेशों से बहुत अधिक मात्रा में ऋण लिया है । स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय हमारा जो धन विदेशों में था वह भी लगभग समाप्त हो रहा है । देश में करों में वृद्धि हुई है । और 1,500 करोड़ रुपये की घाटे की अर्थ व्यवस्था की गई है । ऐसी स्थिति में सरकार ने रुपये का अवमूल्यन कर दिया है । मैं समझ नहीं सकता कि हमारे मंत्री इसे कैसे युक्तिसंगत समझते हैं । हमारे देश के बड़े बड़े अर्थ-शास्त्रियों ने रुपये के अवमूल्यन के विरुद्ध विचार प्रकट किये हैं । मैं योजना मंत्री और खाद्य मंत्री को अवमूल्यन के लिये दोषी मानता हूं ।

[श्री श्याम लाल सर्राफ पीठासीन हुए
Shri S. L. Saraf in the chair]

चौथे व्यक्ति हमारे प्रधान मंत्री हैं जिन्होंने अवमूल्यन की जटिलताओं को समझने की परवाह नहीं की और किसी से परामर्श किये बिना और जनसाधारण की भावनाओं की उपेक्षा करते हुए अवमूल्यन करने का निर्णय ले लिया है ।

आज चूल्हों में आग नहीं है और घरों में रोशनी नहीं है । सारे देश में लोग भुखमरी से मर रहे हैं फिर भी हमारी सरकार का दावा है कि आज बांटने के लिये हमारे पास पिछले 20 वर्षों से अधिक धन है। कुछ बड़े बड़े गगन चुम्बी भवनों से ही देश के धन का अनुमान नहीं लगाया जा सकता । इसका मापदण्ड तो जनसाधारण की स्थिति है ।

सरकार का कहना है कि अवमूल्यन अनिवार्य था । परन्तु प्रश्न तो यह है कि इसका निर्णय कौन कर सकता है कि अवमूल्यन अनिवार्य था अथवा नहीं ? क्या सरकार ने यह यह निर्णय लेने से पूर्व किन्हीं अर्थ-शास्त्रियों, से भी परामर्श किया था। संसद को इस मामले में पीछे धकेल दिय गया है। और तो और कांग्रेसी नेताओं तथा श्री हरिश्चन्द्र माथुर जैसे संसद सदस्यों की भी उपेक्षा की गई है।

जब हमारी प्रधान मंत्री अमरीका तथा ब्रिटेन की यात्रा कर रही थीं तो लन्दन के एक समाचार पत्र 'डेली एम्सप्रस' में यह प्रकाशित हुआ था कि भारत ने पश्चिम से काफी वित्तीय सहायता ली है तथा जनता की अत्यावश्यक वस्तुओं पर ध्यान न देकर उस सहायता को बड़े बड़े इस्पात तथा लोहे के कारखाने लगाने पर खर्च किया गया है। उस समाचार पत्र में आगे चल कर कहा गया है कि भारत के प्रति पश्चिम को अब अपनी नीति में परिवर्तन करना चाहिये। इन सब बातों पर विचार करना सरकार का काम है।

गृह-कार्य मंत्री ने पिछले सत्र में यह वचन दिया था कि राजभाषा अधिनियम में संशोधन करने तथा स्वर्गीय प्रधान मंत्री के आश्वासनों को कानूनी रूप देने के लिये सभा में एक विधेयक प्रस्तुत किया जायेगा। परन्तु उस वचन को पूरा नहीं किया गया है। प्रधान मंत्री, जिन्हें—गैर हिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों की भावनाओं का पता है, स्पष्ट आश्वासन दें कि वह विधेयक इस अधिवेशन में पुरः स्थापित किया जायेगा ?

Shrimati Subhadra Joshi (Balrampur) : The Communists have severly criticised the Government's policy in regard to Vietnam. It is not understood how the American cruelty in Vietnam would be stopped by removing this Government. Our policy is based on certain principles and our Government has full sympathy with the people of Vietnam.

There is no doubt that the opposition has introduced a motion of no-confidence in Gover-nment but I would like to know whether they have realised this fact that they would not be able to form the Government. The fact is this that the opposition parties differ with each other on various questions such as Vietnam, Five Year Plans, Nationalisation of Banks etc. Each party have their own views on such problems. Basically their views differ on all these questions but they are united in creating disturbances in and outside Parliament.

Nobody can deny this fact that country is faced with many difficulties and that there is a shortage of many goods. But the opposition parties are trying to draw the benefit from

[Shrimati Subhadra Joshi]

this difficult situation for their own political ends. They are also inciting the people for agitation. All this they are trying to gather support in the coming election's.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the chair*]

The leader of the Jan Sangh has emphasised for the need of a common Civil Code for Hindu and Muslim ladies. But House should remember that when a Bill regarding marriage and for giving a share in property to women was introduced in this House, this Party vehemently opposed the Bill and stated that Hindu Samaj would be ruined by it. I would therefore, say that this Party has no right to talk about women.

This is wrong to say that the decision to devaluate the Indian currency is taken under foreigner pressure. Whether anybody can quote any example where we might have worked under foreigner pressure. Even during the Pakistan and Chinese attack we did not succumb to any outside pressure.

I would appeal to the Government that even in future they should not succumb to any internal or external pressure. Government should march ahead towards socialism with full determination. Government should also implement land reforms immediately.

Government should alleviate the difficulties of the farmers and irrigation facilities such as tube wells should be provided to them. Import and export trade should be nationalised. While formulating the import policy Government should keep in view that such things are not imported which are manufactured in the country otherwise small scale industries would be badly effected.

श्री जी० भ० कृपलानी (अमरोहा) : पिछले कुछ दिनों से जो मतभेद यहां चल रहा है उसमें हस्तक्षेप करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। जिस समय अविश्वास प्रस्ताव का 50 से अधिक सदस्यों ने समर्थन किया था मैं सभा में उपस्थित नहीं था। यदि मैं उपस्थित भी होता और यद्यपि मैं विरोधी दल के पक्ष में मत देता तथापि मैं इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं करता । इसका यह कारण नहीं कि इस प्रस्ताव को साम्यवादी सदस्य ने प्रस्तुत किया है बल्कि इसके कुछ अन्य ही कारण हैं ।

वर्तमान सरकार ने कई पाप किये हैं इसलिये इसके विरुद्ध अविशवास का प्रस्ताव नहीं लाना चाहिये बल्कि इस पर दया करनी चाहिये । इसने बहुत सी गलतियां की हैं ।

हमारी मुद्रा का अवमूल्यन कर दिया गया है और विश्व में ऐसा कोई देश नहीं जिससे हमने सहायता न मांगी हो। इससे विश्व की दृष्टि में हमारी प्रतिष्ठा कम हुई है ।

भारत एक कृषि प्रधान देश है। इसलिये इससे अधिक दुख की और कोई बात नहीं हो सकती कि हम लोगों को अनाज भी सप्लाई नहीं कर सके हैं ।

कोई व्यक्ति अथवा संस्था अनभिज्ञता में कोई गलती कर सकती है परन्तु जब वही गलितयां प्रत्येक वर्ष की जायें तो यह दुगनी मूर्खता है । यदि कोई लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन अथवा लेखा परीक्षा के प्रतिवेदन पढ़ें तो पता चलेगा कि वही गल्तियां बार बार हो रही हैं।

सब से बड़ी भूल हमने यह की है कि हमने भ्रष्टाचार तथा रिश्वतखोरी के मामलों को छिपाया है। पंजाब के स्वर्गीय मुख्य मंत्री की हत्या की जिम्मेदारी उन लोगों पर है जिन्होंने कई वर्षों तक उनके पापों को छिपाया है। और यदि भविष्य में भी ऐसी बातों को छिपाया गया तो ऐसी

घटनायें होती रहेंगी। गृह-कार्य मंत्री ने भ्रष्टाचार को दो वर्ष में समाप्त करने को कहा है। मैं जानता हूं उन्होंने कुछ अच्छा काम किया है परन्तु एक बात समझ नहीं आती कि पकड़े जाने वाले समाज-विरोधी तत्वों के नाम क्यों नहीं बताये जाते और यह क्यों नहीं बताया जाता कि उनको क्या दण्ड दिया गया है।

इस सरकार का नैतिक अधिकार समाप्त हो गया है क्योंकि सभी स्थानों पर लोग यह कहते सुने जा रहे हैं कि यह सरकार भ्रष्ट है। कांग्रेस दल में फूट है। राज्यों की सीमाओं को निर्धारित करने के लिये कांग्रेस वालों ने ही आन्दोलन चलाये अथवा रेलों को रोका है। कांग्रेस संस्था ने ही आन्दोलन के लिये संकल्प पास किये तथा कांग्रेस सरकार ने उनका समर्थन किया चाहे वह महाराष्ट्र और कर्नाटक के विभाजन हों अथवा बंगाल और बिहार के बीच अथवा पंजाब का प्रश्न ही क्यों न हो।

पंजाब तो पहले ही आधा रह गया था। अब उसके तीन टुकड़े कर दिये गये हैं। सरकार ने पंजाब का बटवारा इसलिये किया है क्योंकि इस मांग को रोकने की शक्ति उनमें नहीं थी और इसने यह कार्य राष्ट्र के सम्पूर्ण हितों के विरुद्ध किया है। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति तथा मंत्री-मंडल के सदस्य भी इसके विरुद्ध थे। परन्तु फिर भी इस मांग को स्वीकार कर लिया गया क्योंकि किसी ओर से कुछ धमकी दी गई थी।

कांग्रेसियों को मिल बैठकर अपनी संस्था को सुधारने के लिये कार्य करना चाहिये। यह एक बड़ी संस्था है जिसने देश की बहुत बड़ी सेवा की है।

सरकार को चाहिये कि वह जनता की भावनाओं तथा उनकी कठिनाइयों को समझे। कांग्रेसियों को मिल कर बैठना चाहिये तथा अपने दिलों को टटोलना चाहिये ताकि वे अपनी संस्था को सुधार सकें। यदि उनमें कार्य करने की वास्तविक इच्छा है तो उन्हें सरकार में जान डालनी होगी को यह एक बड़ी संस्था है जिसने देश की बहुत बड़ी सेवा की है। अब आवश्यकता इस बात की है कि वे अपने घर को सुधारें, संगठन में एकता लायें तथा विरोधी दल के सदस्यों के साथ बैठकर समस्याओं के सुलझाने का उपाय ढूंढें। एक बार श्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि केवल कांग्रेस दल देश की समस्याओं को नहीं सुलझा सकता, इसके लिये सबके सहयोग की आवश्यकपता है।

विरोधी दल क्यों परेशानी पैदा करते हैं? इसका कारण यह है कि विरोधी दलों में युवक हैं। जब वह देखते हैं कि उन पर विश्वास नहीं किया जाता जैसाकि प्रत्येक लोकतंत्र में विरोधी दलों को समझा जाता है, तो वह परेशानी उत्पन्न करते हैं। ब्रिटेन में विरोधी दल को उच्च स्थान दिया जाता है। इसके सदस्यों को समितियों तथा परिषदों में लिया जाता है। इसके सदस्य अन्य देशों में देश के हित के लिये प्रचार करने के लिये भेजे जाते हैं। किन्तु भारत में सब स्थान केवल कांग्रेसियों के लिए सुरक्षित रखे जाते हैं। जब ये यवक निरुत्साहित हो जाते हैं तो वे परेशानी उत्पन्न करते हैं क्योंकि तब केवल यही मार्ग उनके पास रह जाता है। सरकार उस पर विश्वास करके, इस परेशानी को टाल सकती है तथा उनके सहयोग से सरकार में आवश्यक सुधार ला सकती है।

Dr. Ram Manohar Lohia (Farukhabad) : Since the Prime Minister has taken over she has not done anything to ameliorate the lot of 24 crore women of India. It would have been at least something in favour of the Prime Minister if she had taken some steps to improve

[Dr. Ram Manohar Lohia]

the standard of living of these women. Even now it is high time that something is done for them. A woman is confined in the House. Hon. Prime Minister should have seen, for example, that there was a chimney in every house for the smoke to pass out, that there were proper arrangements for water, that they were provided sufficient food, and that women also got their wages equal to what men got for equal work. But the Prime Minister has failed to do any thing in that direction. Mahatma Gandhiji's cherished dream that a sweep-girl will be our Prime Minister cannot, thus, be fulfilled.

Shrimati Vijay Lakshmi Pandit (Phulpur) : The day will come.

Dr. Ram Manohar Lohia : It would have been better had she supported me for achieving this end.

Shrimati Vijay Lakshmi Pandit : What the hon. Member is doing ?

Dr. Ram Manohar Lohia : The difficulty is that this country believes in Nepotism. Had it been a country of principles, a sweep-girl would have been the Prime Minister by now.

It has been claimed that the Government had at least the quality of taking quick decisions and the decision on devaluation is quoted as an example. But the fact was that the decision about devaluation was like the behaviour of a prisoner in a jail who has no alternative but to obey quickly whatever the jailor ordered and who called that obedience as a quick decision. This is not so. The decision was certainly taken under some duress from U.S.A. and the World Bank. According to a statement from the Government the decision on devaluation could not be postponed as negotiations on aid with U.S.A. or World Bank depended on this action. A Government which indulged in extravagance and which squandered away public money was bound to resort to devaluation of its currency and that was why the Government of India had to take that step. The total foreign debts of India at the moment were about Rs. 7,000 crores. Only half of that amount had been spent on the development of agriculture and industry and the remaining half went down the drains. The Government had borrowed this huge amount to meet the current requirements and has put a strain on furture generations. Therefore it cannot be called a good Government as the money was almost squandered away. A huge amount had been wasted by incurring unproductive e..penditure and by spending on official luxuries.

[श्री श्याम लाल शरफ पीठासीन हुये
Shri S. L. Saraf in the Chair]

Whether for capitalists, Industrialists and other high dignitaries. The Government had thus cast a heavy and almost unbearable burden on the country as also on our future generations. Until and unless some solid steps are taken in this regard, the situation will not be improved. The demand of the time was that a limit on the expenditure and income of the individuals should be prescribed so that more money could be diverted to agriculture and other important matters.

An enquiry commission, on the pattern of U.P.S.C., should be set up to probe into the wealth collected by the members of the ruling party after independence and where it is found to be accumulated by ill-means it should be confiscated forthwith.

The Government had ceased to draw any line between truth and falsehood and between justice and injustice. The Government opines that there were strikes and demonstrations in the current year because it was a pre-election year. But that was a big lie, because in an election year the political parties got busy in election matters (in the election year.) The fact was that all the incidents and demonstrations in the current year had occurred because of the wrong policies and acts of the Government during the past many years. The opposition parties were not to be blamed for that.

Opposition parties are not capable of staging demonstrations. In fact, it was the ruling party which was misleading the people by taking certain steps on the eve of elections. They had taken action in Goa just when the last elections were going to take place as the Congress party was to win elections in 1962 and there should be no surprise, if towards the end of 1966 or in early 1967, when elections would take place, they might explode an atomic device just to catch peoples' votes.

The ruling Party's promises on vital matters such as co-operative farming, about which they talked so much before the last elections, were not fulfilled; the progress in that regard was miserably slow. Taken together co-operative farming was started in an area of 3 lakh acres only. This time they might come forward with the announcement of crop insurance. But the people had now realised that there was no substance in what they said.

The famine condition was a matter of grave concern. It was a disgrace for the Government that a large number of persons died of starvation and many were half-fed. In the current year there was a famine even of water. Bombay was about to be vacated. In Indore water was sold at 8 annas or a rupee per glass. There was no arrangement for pure drinking water for about four or five crores of people in the country and thousands died of cholera and smallpox. The Government should have taken the help of W.H.O. in eradicating these diseases, but it had failed to do so.

The people's patience had exhausted. The police firings in Bengal, Bastar and Banda, resulting in the death of scores of people, had shown how the Government was bahaving with them. They looked upon the opposition parties for remedying the situation. One thing which had got to be done was to see that the people's attitude of passive submission to everything had to be changed. They should learn that the orders should first by analysed, examind and if unjustified, fight and face them, only then the country could make an advance. The people would put up a fight in the elections as also against acts of injustice. They would always fight against injustice and there was nothing anti-democratic in it.

In the international affairs, the Government's policy of non-alignment was nothing but pleasing and appeasing one bloc or the other. This was amply proved after the recent visit of the Prime Minister to some countries.

There was going to be a summit Conference in October but the Government should know that already statements were being made in some countries questioning the status of the countries assuming the role of leaders.

The people's agitation in East Bengal was something which should be taken note of. The policy of non-alignment should not blind us from seeing the realities. The people there were laying down their lives for their rights. Tashkant Agreement wherein it has been prescribed that no country shall interfere in the internal affairs of other country, should not be mentioned. If the Government of India, through the P. I. B. or some other agency, was trying to see that our people did not begin to sympathise with them, it was really unfortunate.

The people were fed up with the Government's policies. Let the Government understand that elections were not the only method to oust them, there are other methods too. There is difference between what the Government says and what it does. The Government had said that the rates should not be enhanced but the Government itself increases the rents on Government buildings or Corporations buildings. It was declared that prices are kept under check and there is no price rise. But on the contrary prices of foreign mail and air rates etc. were increased. The time is not far off when people will demand their rights.

Shri Ram Sahai Pandey (Guna) : It is desirable in a Parliamentary Democracy that a responsible opposition moves a motion of no-confidence in the Council of Ministers. It is unfortunate that the opposition parties in India are not behaving with the sense of

[Shri Ram Sahai Pandey]

responsibility one expected of them. I wish we had only two parties in our country, and that the opposition party behave like a responsible opposition. It is expected of an opposition party that along with criticism and other things, it would guide the people and tell them that so and so alternative steps had been suggested to the Government and that these were not acted upon. A good Government must accept an honest advise of the opposition. A good opposition should not indulge in revolts and other destructive works and they should help Government in solving the problems of India and achieving rapid progress only then the traditions of parliamentary democracy can be strengthened in India.

The Government and the ruling party never claimed that there was nothing wrong in the country; we did admit that there were shortages and conditions of scarcity. But if certain elements tried to take advantage of that situation and instigate people to indulge in violent activities, it was most unjustified. Any talk, even in an indirect way, about revolution was very objectionable. It struck at the very root of democracy.

Mr. Speaker : Now the hon. Member will continue his speech tomorrow.

इसके पश्चात्, सभा बुधवार 3 अगस्त 1966/12 श्रावण, 1888 (शक) 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Wednesday, August 3, 1966/Sravana 12, 1888 (Saka).

GMGIPND—LSIII—1235(Ai)LSD—20-1-68—565.